मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़

RNI No.: MPBIL/2001/05256
DAVP Code : 128101
Postal Registration No. : Bhopal/MP/581/2021-2023

Publish Date : Every Month Dt. 05
Posting Date : Every Month Dt. 15
Rs. 10/-

जगत विज़न

| वर्ष : 26 | अंक : 11 |

| जुलाई 2026 |

1 लाख 53 हजार वर्गफिट से अधिक शासकीय जमीन पर कब्जा कर कई अशासकीय संस्थाओं को करोड़ों में बेची

पूर्व सीएस विवेक ढांड और मौजूदा रेरा अध्यक्ष संजय शुक्ला के भ्रष्टाचार की दास्तान

प्रेरणा स्त्रोत : स्व. श्री जगत पाठक

निर्भीक पत्रकारिता

संपादक	विजया पाठक
कार्यकारी संपादक	समता पाठक
पश्चिम बंगाल ब्यूरो चीफ	अमित राय

सम्पादकीय एवं विज्ञापन कार्यालय

भोपाल

एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल
मो. 98260-64596, मो. 9893014600
फोन : 0755-4299165 म.प्र. स्वत्वाधिकारी,

छत्तीसगढ़

4-विनायका विहार, रिंग रोड, रायपुर

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक

विजया पाठक द्वारा जगत प्रिंटर्स पब्लिशर्स, खसरा नं. 1/1/6 अमरावद खुर्द बरखेड़ा पठानी, फंदा भोपाल से मुद्रित एवं एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र. से प्रकाशित संपादक विजया पाठक। समस्त विवादों का कार्यक्षेत्र भोपाल सत्र-न्यायालय रहेगा। पत्रिका में प्रकाशित किये जाने वाले संपूर्ण आलेख एवं सामग्री की जिम्मेदारी लेखक एवं संपादक की होगी।

E-mail : jagat.vision@gmail.com
Website: www.jagatvision.co.in

मासिक द्विभाषी पत्रिका **वर्ष 26 ।। अंक 11 ।। जुलाई 2026**

(पृष्ठ क्र.-6)

- केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और सीएम मोहन यादव के खिलाफ किसानों का फूटा आक्रोश 33
- मेरे लिए उद्योग केवल निवेश नहीं, राष्ट्र निर्माण का संकल्प है 41
- भारतीय राजनीति का अध:पतन 44
- एक चेतावनी है वेनेजुएला का भूकंप 48
- नशे के विरूद्ध निर्णायक युद्ध : ड्रग्स माफियाओं पर बढ़ा प्रहार 52
- ब्रिटिश हुकूमत का क्रूरतम स्वरूप टुरिया जंगल कांड 56
- अयोध्या मंदिर में चढ़ावा चोरी आस्था, व्यवस्था और पारदर्शिता की चुनौती 60
- Assam: Uniform Civil Code and Muslim women of the 'Char' areas 63

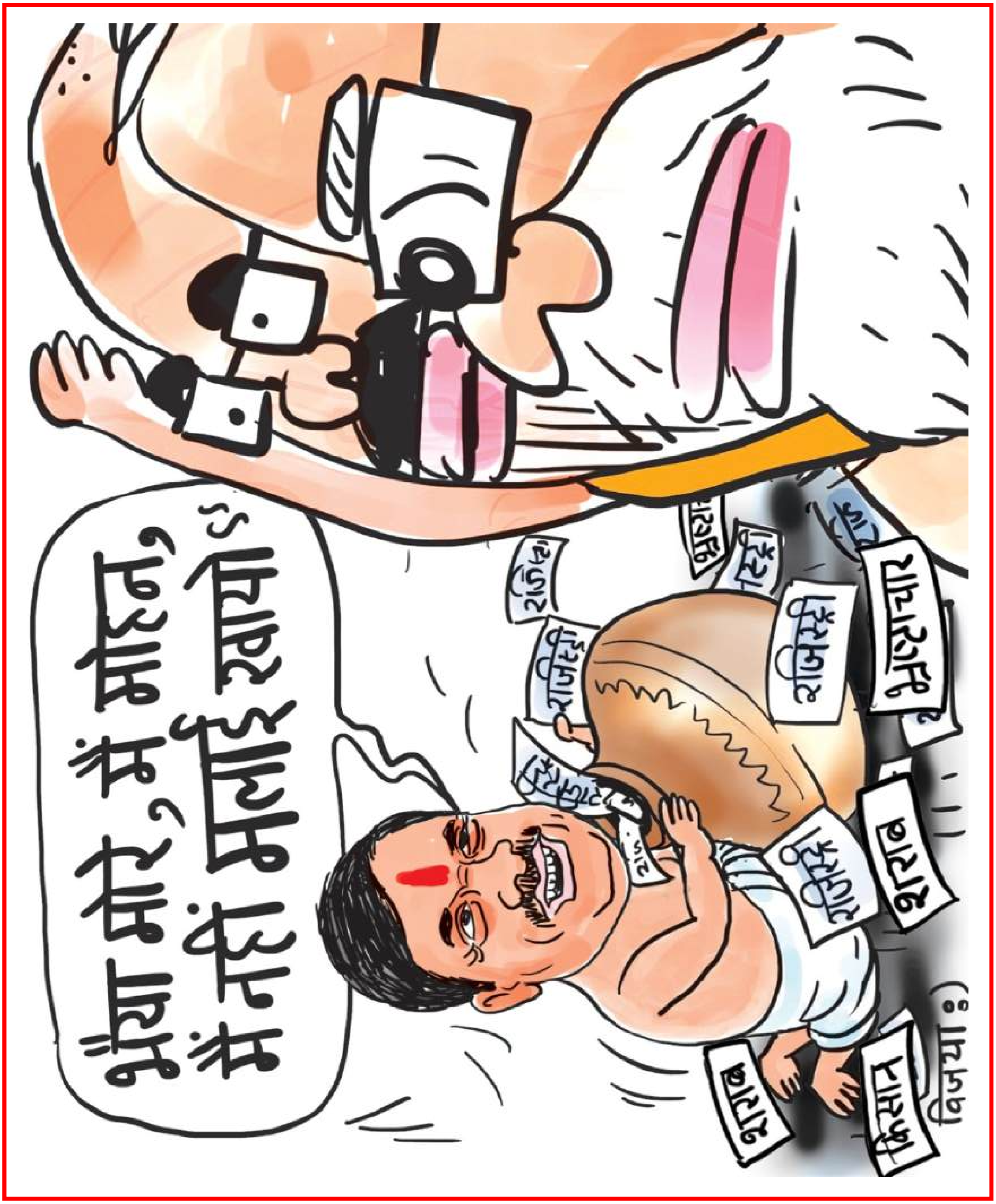
भैया मोरे, मैं मोहन,
मैं नहीं मलाई खायो ऽऽ
शराब
किसान
शराब
रजिस्ट्री
रजिस्ट्री
रजिस्ट्री
रजिस्ट्री
भ्रष्टाचार
विजया :)

आस्था के केन्द्रों की सुरक्षा पर उठते सवाल

अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों की आस्था, विश्वास और सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है। ऐसे पवित्र और अत्यधिक सुरक्षा वाले परिसर में चोरी जैसी घटना सामने आना स्वाभाविक रूप से चिंता का विषय है। यह केवल एक आपराधिक घटना नहीं, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था, निगरानी तंत्र और प्रशासनिक सतर्कता पर गंभीर प्रश्न भी खड़े करती है। देश के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में शामिल अयोध्या राम मंदिर में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ऐसे स्थानों पर बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था, आधुनिक निगरानी प्रणाली और प्रशिक्षित सुरक्षा बल तैनात रहते हैं। इसके बावजूद यदि चोरी जैसी घटना होती है, तो यह संकेत है कि सुरक्षा व्यवस्था में कहीं न कहीं सुधार की आवश्यकता है। यह घटना इस बात की याद दिलाती है कि केवल सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ा देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनकी कार्यप्रणाली, समन्वय और तकनीकी संसाधनों को भी लगातार सुदृढ़ करना होगा।

धार्मिक स्थलों पर होने वाली ऐसी घटनाएं केवल आर्थिक नुकसान तक सीमित नहीं रहतीं। इनका सबसे बड़ा प्रभाव श्रद्धालुओं के मन में उत्पन्न होने वाली असुरक्षा की भावना पर पड़ता है। लोग यह अपेक्षा करते हैं कि जिन स्थलों पर वे श्रद्धा और विश्वास के साथ जाते हैं, वहां उनकी आस्था के साथ-साथ सुरक्षा की भी पूर्ण गारंटी हो। इसलिए ऐसी घटनाओं की निष्पक्ष और त्वरित जांच आवश्यक है, ताकि दोषियों को कानून के दायरे में लाया जा सके और भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो। आज देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर आधुनिक तकनीक का उपयोग बढ़ा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निगरानी प्रणाली, उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे, बायोमेट्रिक प्रवेश व्यवस्था, डिजिटल मॉनिटरिंग और कमांड सेंटर जैसी व्यवस्थाएं सुरक्षा को अधिक प्रभावी बना सकती हैं। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था का समय-समय पर स्वतंत्र ऑडिट भी होना चाहिए, जिससे संभावित कमजोरियों की पहचान कर उन्हें समय रहते दूर किया जा सके।

सुरक्षा केवल सरकारी एजेंसियों की जिम्मेदारी नहीं है। मंदिर ट्रस्ट, प्रशासन, सुरक्षा बल, स्थानीय कर्मचारी और श्रद्धालु सभी की सतर्कता समान रूप से आवश्यक है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तत्काल सूचना देना, सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करना और परिसर में अनुशासन बनाए रखना सामूहिक जिम्मेदारी का हिस्सा है। इस विषय पर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से बचना भी उतना ही आवश्यक है। आस्था से जुड़े विषयों को राजनीतिक विवाद का माध्यम बनाने की बजाय प्राथमिकता इस बात को मिलनी चाहिए कि घटना की निष्पक्ष जांच हो, जिम्मेदारी तय हो और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाया जाए। संवेदनशील मामलों में तथ्यों के आधार पर कार्रवाई ही जनता का विश्वास बनाए रख सकती है।

भारत में अनेक ऐसे धार्मिक स्थल हैं, जहां प्रतिवर्ष लाखों-करोड़ों श्रद्धालु पहुंचते हैं। इन सभी स्थलों के लिए एक समान सुरक्षा मानक विकसित किए जाने चाहिए। नियमित सुरक्षा अभ्यास, कर्मचारियों का सत्यापन, आधुनिक तकनीकी उपकरणों का उपयोग और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली को मजबूत बनाना समय की मांग है। सुरक्षा व्यवस्था जितनी पारदर्शी और पेशेवर होगी, श्रद्धालुओं का विश्वास भी उतना ही मजबूत होगा। अयोध्या राम मंदिर भारत की सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र है। इसलिए वहां की सुरक्षा व्यवस्था भी सर्वोच्च स्तर की होनी चाहिए। चोरी जैसी घटनाएं केवल कानून-व्यवस्था का प्रश्न नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा विषय हैं। आवश्यक है कि इस घटना से सबक लेते हुए सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा की जाए, तकनीकी और मानवीय दोनों स्तरों पर सुधार किए जाएं तथा ऐसी व्यवस्था विकसित की जाए कि भविष्य में किसी भी प्रकार की चूक की संभावना न्यूनतम रह जाए। यही आस्था का सम्मान और सुशासन की वास्तविक कसौटी होगी।

विजया पाठक

1 लाख 53 हजार वर्गफिट से अधिक शासकीय जमीन पर कब्जा कर कई अशासकीय संस्थाओं को करोड़ों में बेची
पूर्व सीएस विवेक ढांड और मौजूदा रेरा अध्यक्ष संजय शुक्ला के भ्रष्टाचार की दास्तान

■ विजया पाठक

छत्तीसगढ़ के रेरा अध्यक्ष संजय शुक्ला, विवेक ढांड के रेरा में उत्तराधिकारी बनकर बैठे हैं। इनकी भी अरबों की नामी बेनामी संपत्तियां हैं, जिनकी शिकायत छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो के पास लंबित है। इन पर ईओडब्ल्यू क्यों मेहरबान है? यह समझ से परे है। जबकि सभी जानते हैं कि पूर्व मुख्य सचिव एवं रेरा के पूर्व अध्यक्ष विवेक ढांड के साथ मिलकर अरबों की शासकीय जमीनों की बंदरबांट की है। ऐसे भ्रष्ट अफसर को रेरा जैसी संस्था का प्रमुख बनाना प्रदेश की शासकीय जमीनों पर डाका डलवाने जैसा है। छत्तीसगढ़ शासकीय जमीनों की खदान है। और रेरा जैसी संस्था में बैठकर आराम से गैर तरीके से जमीनों की बंदरबांट की जा सकती है। वहीं विवेक ढांड ने तो छत्तीसगढ़ को 400 करोड़ का चूना लगाया है। राजस्व विभाग में प्रमुख पद पर रहते हुए भू-माफिया विवेक ढांड ने करीब साढ़े चार एकड़ बेशकीमती जमीन पर पहले कब्जा किया और फिर अशासकीय संस्थाओं को करोड़ों रूपये में बेच दी है। रायपुर शहर की प्राईम लोकेशन पर स्थित पॉच शासकीय पट्टों पर अवैध कब्जा किया। विवेक ढांड ने उस समय के जमीनों के शासकीय मूल्य का केवल 02 प्रतिशत राशि जमा करके रजिस्ट्रियां अपने और अपने परिवारजनों के नाम करवा ली। जबकि उस समय इनकी कीमत लाखों रूपये की थी। जो आज करोड़ों में है। जमीनें शहर के प्राईम लोकेशन में होने के कारण वर्तमान में इन जमीनों पर बड़े-बड़े मॉल और मकान बने हुए हैं। इस गोरखधंधे में प्रदेश का राजस्व विभाग, छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड की प्रमुख भूमिका रही। इसकी शिकायत ईओडब्ल्यू में भी की गई थी। हालांकि रेरा ने इन सभी जमीनों पर स्टे लगाया था लेकिन विवेक ढांड ने सेटिंग करके वह स्टे हटवा दिया। मूल भूमि 01 लाख 53 हजार वर्गफिट से अधिक को 58 हजार, 37 हजार और 23 हजार वर्ग फीट सहित अन्य हिस्सों में विभाजित किया गया। इन टुकड़ों को ढांड परिवार के विभिन्न सदस्यों के नाम पर ट्रांसफर किया गया, जिसे नियमों के विपरीत बताया जा रहा है। दावा है कि नजूल भूमि के ऐसे विभाजन और हस्तांतरण की अनुमति नियमों में नहीं है। आवासीय पट्टे पर दी गई इस जमीन का व्यावसायिक उपयोग किया गया, जबकि नियमों के अनुसार ऐसा नहीं किया जा सकता। भूपेश बघेल सरकार की फ्री-होल्ड नीति का लाभ उठाकर इस जमीन को फ्री होल्ड कराया, जिसमें गंभीर गड़बड़ियां हुई हैं। रायपुर की लगभग सभी हाउसिंग बोर्ड की कालोनियों के आसपास की जमीन विवेक ढांड एंड कंपनी जिसमें एक सीए जैन और उसके आदमियों का नाम दर्ज है। ये सब हुआ था जब वर्तमान रेरा अध्यक्ष आईएफएस संजय शुक्ला हाउसिंग बोर्ड के पदाधिकारी थे।

वर्तमान में विवेक ढांड विभिन्न विभागों में प्रमुख पदों पर रहते हुए सेवानिवृत्त हो गये हैं। छत्तीसगढ़ के अरबों रूपए के शराब घोटाले में विवेक ढांड का नाम भी जुड़ा है। प्रवर्तन निदेशालय ने विवेक ढांड को पूरे घोटाले का मुख्य आरोपी बताया है। इसके अलावा, विवेक ढांड को इस घोटाले में हिस्सेदारी भी दी गई थी। कहा गया है कि ढांड के निर्देशन में अनवर ढेबर, अनिल टुटेजा और अरूणपति त्रिपाठी काम कर रहे थे। इसके अलावा भी विवेक ढांड का और अनेक भ्रष्टाचार के मामलों में नाम आया है। जैसे- 1,000 करोड़ का दिव्यांग NGO घोटाला है, जिसमें विवेक ढांड के अलावा 06 अन्य और अधिकारी शामिल हैं। बहुचर्चित महादेव सट्टा एप का मामला हो, जिसके कारण आज भी वह जांच एजेंसियों के रडार पर हैं और

कानूनी शिकंजा कसने का उन पर भय बना रहता है। अपनी शासकीय सेवा में रहते हुए ढांड ने बहुत बड़ा आर्थिक साम्राज्य खड़ा किया है। भ्रष्टाचार करने के बाद उन पर अभी तक तो आंच तो नहीं आयी है। लेकिन एक न एक दिन जरूर विवेक ढांड सलाखों के पीछे होंगे। हालांकि विवेक ढांड बीजेपी की रमन सरकार में भी सीएस रहे थे। बाद में जब 2018 में भूपेश बघेल की सरकार बनी तो यह सीएस रहे। मलतब साफ है कि विवेक ढांड ने यह पूरा गोरखधंधा भूपेश सरकार में ही किया। रमन सरकार में नहीं कर पाये। विवेक ढांड के भ्रष्टाचार में उनके खास और चहेते आईएफएस अधिकारी संजय शुक्ला भी बराबर के हिस्सेदार हैं। दोनों ने ही मिलकर जमीनों का फर्जीवाड़ा किया है। वैसे भी प्रदेश में विवेक ढांड और संजय शुक्ला के भ्रष्टाचार के कारनामे जग जाहिर हैं। भूपेश बघेल की सरकार में तो इनका भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। जब-जब विवेक ढांड प्रभावशाली पदों पर रहे तब-तब विवेक ढांड ने संजय शुक्ला की पोस्टिंग आयुक्त, छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के पद पर की। वह इस पद पर छह वर्षों तक रहे। साथ ही सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग में रहे। नया रायपुर अटल नगर के विकास की प्रारंभिक योजना के कार्यों में प्रमुख भूमिका रही। वर्ष 2022 में भूपेश सरकार के समय प्रधान मुख्य संरक्षक के पद पर संजय शुक्ला की नियुक्ति विवेक ढांड ने करवाई थी और 01 मई 2023 को स्वैच्छिक सेवानिवृति (वीआरएस) दिलवाकर विवेक ढांड ने अपना उत्तराधिकारी रेरा का अध्यक्ष बनवा दिया क्योंकि भूपेश सरकार का अघोषित रूप से मुख्य सलाहकार विवेक ढांड ही था?

भूपेश बघेल की ऐसी कौनसी कमजोरी थी जिसके कारण विवेक ढांड की मर्जी के बिना कोई भी निर्णय भूपेश सरकार नहीं ले पाती थी। संजय शुक्ला को रेरा अध्यक्ष बनवाने में विवेक ढांड की अहम भूमिका रही थी। संजय शुक्ला का नाम रावतपुरा मेडिकल कालेज काण्ड की सीबीआई जांच में आरोपी के रूप में आया है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार संजय शुक्ला के खिलाफ सीबीआई द्वारा चार्जशीट भी दाखिल की गई है। उसके बाद भी संजय शुक्ला रेरा के अध्यक्ष के पद पर विराजमान हैं? क्या यह आश्चर्यजनक नही है। कोड ऑफ कंडक्ट के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है।

विवेक ढांड और संजय शुक्ला की नामी और बेनामी संपत्तियों की लम्बी सूची है। जब संजय शुक्ला हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर थे तब जहां हाउसिंग बोर्ड का प्रोजेक्ट लाया जाता था उस क्षेत्र के किसानों की भूमि औने-पौने दामों में खरीद ली जाती थी। वहां के किसानों को पता भी नहीं होता था कि यहाँ कोई हाउसिंग बोर्ड का प्रोजेक्ट आ रहा है। उदाहरण के तौर पर धरमपुरा हाउसिंग बोर्ड कालोनी में आईएएस, आईपीएस, आईएफ एस एवं जजों के लिए कालोनी निर्माण हेतु वर्ष 2005 में खसरा नम्बर 172, 187, 241, 242, 278, 312 आदि पर रकबा लगभग 90 एकड़ भूमि आवासीय कालोनी के लिए आवंटित करवाई गई थी। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार विवेक ढांड ने इसी भूमि से लगी हुई भूमि, जिसका खसरा क्रमांक 182, 183, 187, 162, 165, 166, 167, 168, 169, 172 एवं 293 में रकबा 18.12 एकड़ भूमि खरीदी थी। उक्त पांचों पट्टों के संबंध में आपत्तिकर्ता नारायण शर्मा ने तहसीलदार नजूल रायपुर में अपील दायर की है। अब आपत्तिकर्ता अपने अन्य आपत्तिकर्ताओं साथियों के साथ हाईकोर्ट में अपील करने की तैयारी कर रहे हैं।

भूमाफिया विवेक ढांड, पूर्व मुख्य सचिव ने किया खेल! अरबो की सम्पत्ति फर्जी तरीक़े से डी.मार्ट कंपनी को बेच दिया!

यह वहीं जमीन हैं, जो विवेक ढांड ने रायपुर की प्राईम लोकेशन पर स्थित इस जमीन को डी-मार्ट को 300 करोड़ में बेची है। अब यह पर डी मार्ट की भव्य बिल्डिंग बनी हुई है। यह लगभग एक एकड़ की जमीन है। यह पहली बार देखने में आ रहा है कि पट्टे की शासकीय जमीन का सौदा अरबों में हुआ है और शासन-प्रशासन आंख बंद करके बैठा है।

विवेक ढांड की विवादित नजूल जमीन पर राजस्व मण्डल बोर्ड के अध्यक्ष ने खरीद बिक्री पर लगाई रोक

सरकारी अधिकारी रहते हुए सरकारी जमीन 1,53,000 वर्गफीट नजूल की जमीन पर फर्जी तरीके से पट्टे बनवाकर कब्जा किया। यह कारनामा किया है छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्य सचिव और रेरा के पूर्व अध्यक्ष विवेक ढंाढ ने। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार के समय फ्री होल्ड करवा कर विवेक ढांढ ने सरकारी नजूल की जमीनों को फर्जी तरीके से बेच दिया। सरकारी जमीन पर पहले कब्जा फिर पट्टा बनवाकर उसे फ्री होल्ड करना और बाजार दर की कीमत से मात्र 02 प्रतिशत की कीमत देकर 300 करोड़ की जमीन की फ्री होल्ड रजिस्ट्री कराकर उसे लगभग 300 करोड़ रूपये में बेच देना विवेक ढांड की खासियत रही। सूत्रों से मिली खबर के

पूर्व मुख्य सचिव एवं पूर्व रेरा अध्यक्ष विवेक ढांड ने छत्तीसगढ़ को लगाया 400 करोड़ का चूना!

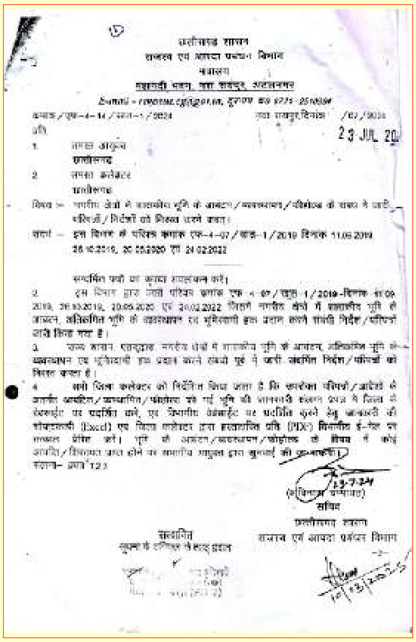
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटलनगर

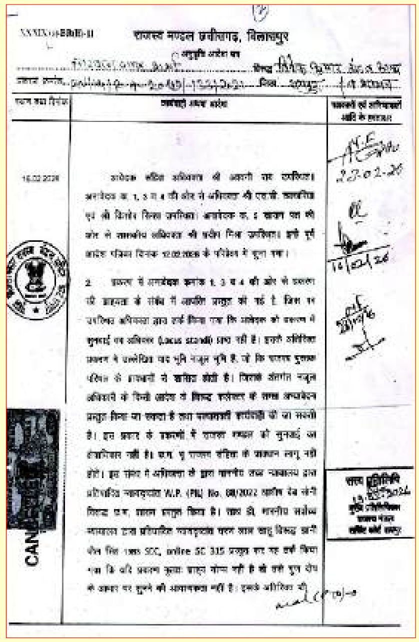
राजस्व मण्डल छत्तीसगढ़, बिलासपुर
अनुवृत्ति आदेश पत्र

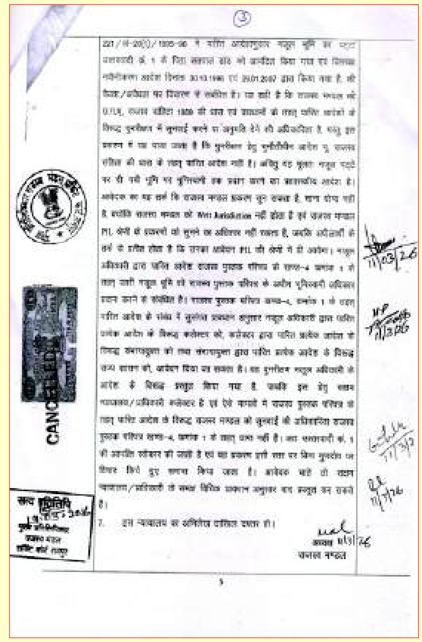

यह वह पत्र है जो राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, छ.ग. शासन ने 23 जुलाई 2024 को प्रदेश के समस्त आयुक्त एवं कलेक्टर को नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आवंटन/व्यावस्थापक/फ्री-होल्ड के संबंध में जारी परिपत्रों/निर्देशों को निरस्त करने के संबंध में लिया गया था।

राजस्व मंडल छत्तीसगढ़ का अनुवृत्ति आदेश पत्र है। इसमें आपत्तिकर्ता नारायण शर्मा ने विवेक ढांड के विरुद्ध आवेदन दिया था। जिसमें राजस्व मंडल ने नियमों और कानूनों का हवाला देकर पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया है।

अनुसार विवेक ढांढ विदेश भागने की फिराक में है। छत्तीसगढ़ शासन व छत्तीसगढ़ पुलिस को विवेक ढांढ का पासपोर्ट जब्त कर लेना चाहिए। तत्काल प्रभाव से इस प्रकरण की जाँच छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक अपराध ब्यूरो चीफ से करवाई जानी चाहिए। इस प्रकरण को ईडी को भी सौंपा जा सकता है क्योंकि यह मनी लांड्रिंग का केस भी बनता है। विवेक ढांड भूपेश बघेल सरकार समय में 3200 सौ करोड़ के शराब घोटाले का मास्टर माइंड है। साथ ही 1000 करोड़ रूपये के नि:शक्तजन एनजीओ घोटाले का भी मास्टर माइंड है। इस घोटाले में विवेक

छत्तीसगढ़ रेरा अध्यक्ष संजय शुक्ला कर रहे सरकारी जमीनों की बंदरबांट

ढांड ने इसी जमीन की फर्जी रजिस्ट्री कूटरचित दस्तावेज 1964 में पिता सतपाल ढांड वल्द गौरीशंकर ढांड के नाम से तैयार कर लिए गए थे। जिनका सत्यापन आईएएस अधिकारी तारण प्रकाश सिन्हा ने किया। भौतिक सत्यापन निश्चित ही मूल दस्तावेज देख कर किया होगा। नजूल पट्टा रायपुर स्थित सिविल स्टेशन वार्ड की नजूल पर आवासीय उपयोग के लिए दिया गया था। ब्लॉक नम्बर 15 प्लॉट नम्बर 17/39 का रकबा 37000 वर्ग फीट है। ब्लॉक नम्बर 15 प्लॉट नम्बर 17/41, 17/48,17/52, 17/53 का रकबा

यही है छत्तीसगढ़ के वे दो सीनियर अफसर, जिन्होंने फर्जीवाड़ा कर रायपुर की कीमती जमीनों को अपने और अपने परिजनों के नाम करवा लिया। विवेक ढांड ने पट्टों की जमीनों को अरबों में बेचा तो इस गोरखधंधे में उनका साथ दिया वर्तमान में रेरा के अध्यक्ष संजय शुक्ला ने। संजय शुक्ला वहीं हैं जिन्हें विवेक ढांड की कृपा से रेरा अध्यक्ष बनाया गया था। इसकी कीमत शुक्ला ने विवेक ढांड को जमीनें आवंटित करने में चुकायी। हालांकि दोनों अफसर जांच एजेंसियों की रडार पर हैं, लेकिन परिणाम क्या निकलते हैं यह देखने वाली बात होगी।

23,750 वर्गफीट है। प्लॉट नम्बर 17/38 का रकबा 23000 वर्ग फीट है। ब्लॉक नम्बर 15 प्लॉट नम्बर 17/40 में कुल रकबा 58,300 वर्गफीट का है। अब छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल बोर्ड के अध्यक्ष ने विवेक ढांड की नजूल की विवादित जमीन पर खरीद बिक्री पर रोक लगा दी है और उसे यथास्थिति रखने का आदेश दिया है।

बोरियाकलां हाउसिंग बोर्ड कालोनी

सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार बोरियाकला में हाउसिंग बोर्ड द्वारा वर्ष 2007-2008 में खसरा क्रमांक 1493, 1495, 1496, 1498 खसरा की 100 एकड़ भूमि आवंटित की गई थी और इससे आसपास की लगी हुई भूमि, खसरा क्रमांक 1618/1 व 1618/6 संजय शुक्ला के द्वारा अपनी पत्नी श्रीमती पियूष शुक्ला के नाम, खसरा नम्बर 1618/7 व 1618/8, सौम्या अतुल त्रिपाठी (यह संजय शुक्ला की साली है) के नाम से 1618/3, श्रीमती दुर्गेश शरद शुक्ला के नाम से कुल 3 एकड़ जमीन खरीदी और विवेक ढांड ने अपने पिता सतपाल ढांड के नाम से खसरा क्रमांक

01 लाख 53 हजार वर्गफीट से अधिक शासकीय जमीन पर कब्जा कर कई अशासकीय संस्थाओं को करोड़ों में बेची

1619/1 व 1619/2 के नाम से 03 एकड़ जमीन खरीदी और संयुक्त रूप से कमलेश जैन के नाम से खसरा क्रमांक 1618/5, 1619/3, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625 रकबा 16 एकड़ जमीन खरीदी गई थी। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार जब विवेक ढांड के

भू-माफिया विवेक ढांड ने किया पद और पॉवर का दुरूपयोग

यहाँ आयकर विभाग की रेड पड़ी थी तब पंचशील नगर, सिविल लाइंस नगर निवासी कमलेश जैन के घर पर व दफ्तर में भी रेड पड़ी थी। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार कमलेश जैन विवेक ढांड व संजय शुक्ला की काली कमाई के धन को जमीनों में, कालोनियों में और ब्याज के धंधे में लगाता

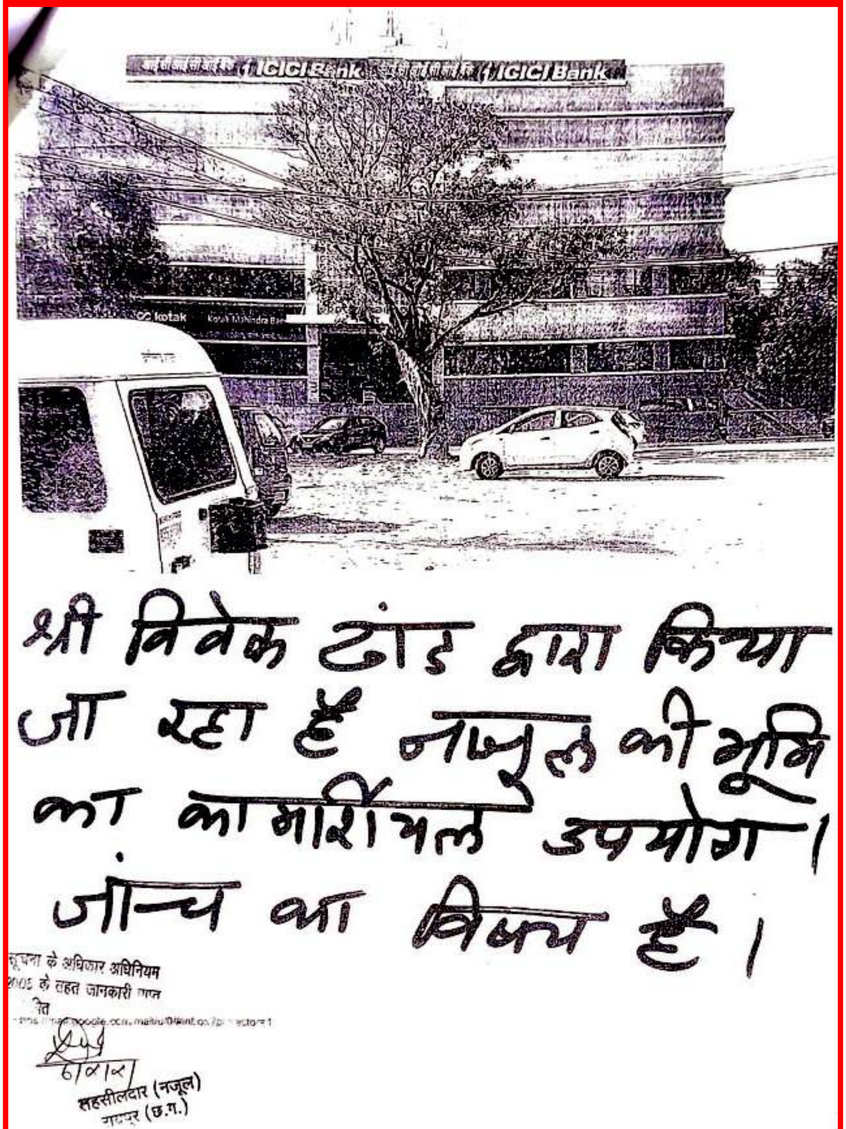

रायपुर स्थित नजूल की इस शासकीय भूमि पर विवेक ढांड द्वारा व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। इस भूमि पर बैंकों से ऑफिस बने है। निश्चित ही यह जांच का विषय है।

है।

कबीर नगर, कोटा एवं टाटीबंध हाउसिंग बोर्ड कालोनी

कबीर नगर, कोटा एवं टाटीबंध हाउसिंग बोर्ड कालोनी- तीनों कालोनियों के मध्य गोगांव में संजय शुक्ला द्वारा पत्नी श्रीमती पियूष शुक्ला के नाम से खसरा क्रमांक 42/15, विवेक पिता एच नारायण भोपाल के नाम से खसरा क्रमांक 42/18, विजय तिवारी के नाम से खसरा क्रमांक 42/19, महेंद्र नारायण पिता श्याम नारायण सिविल लाइन के नाम से खसरा क्रमांक 42/22, सौम्या पिता एच नारायण के नाम से खसरा क्रमांक 42/24, राजेंद्र पिता सरेश दीक्षित के नाम से खसरा क्रमांक 42/26 तथा अन्य नाम से खसरा क्रमांक 42/28 रकबा में कुल 3.41 एकड़ तथा इन जमीनों के बीच-बीच में उपलब्ध शासकीय भूमि खसरा क्र्मांक 42/16, 42/17, 42/20, 42/21 एवं 42/27 कुल रकबा 09 एकड़ पर भी कब्ज़ा किया गया है।

पुरैना, व्हीआईपी रोड हाउसिंग बोर्ड कालोनी

पुरैना में विधायकों, मंत्रियों एवं सांसदों के लिए कालोनी निर्माण की योजना जैसे बनाई गई थी। संजय शुक्ला के द्वारा खसरा क्र्मांक 462/2 स्वयं के नाम से 410/3, 410/8, 410/13, 461/2, 462/3, 463/2, 463/3, 464/2, 464/4, 466/2, 466/9 एवं 466/10 संजय शुक्ला की बहन शालिनी शुक्ला के नाम से खसरा क्रमांक 463/1, 464/1, 462/5, भाई ब्रिजेश कुमार शुक्ला के नाम व खसरा क्रमांक 409/1 व अन्य नाम से 412/2, 412/3, कुल रकबा 06 एकड़ जमीन व्हीआईपी रोड में खरीदी गई थी। इस जमीन पर दा ग्रांड नीलम वुड, इरिश कैफे एंड बार, वेडिंग लॉन बंकेट, डीलक्स रूम्स बने हुए हैं।

सडडू हाउसिंग बोर्ड कालोनी एवं अन्य क्षेत्र

सडडू हाउसिंग बोर्ड कालोनी हाउसिंग बोर्ड के द्वारा गरीबों के लिए जब शासन से जमीन ली गई थी, उसी समय संजय शुक्ला के द्वारा अपनी भाभी श्रीमती कल्पना शुक्ल एवं अनिल कुमार के संयुक्त नाम से खसरा क्रमांक 174/2 कुल रकबा 1.50 एकड़ जमीन खरीदी गई थी।

कुम्हारी हाउसिंग बोर्ड

कुम्हारी हाउसिंग बोर्ड के पास 100

25 करोड़ की 37 हजार वर्गफीट जमीन पर अवैध कब्जा, नजूल में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर लोगों की आपत्तियां

सिविल लाईन रायपुर में ब्लॉक नं. 15, प्लाट नं. 17/39, नजूल (शासकीय) की भूमि है। इसका रकबा 37,300 वर्गफीट है। जिसकी कीमत उस समय करीब 25 करोड़ से अधिक बताई जा रही थी। दिनांक 26 नवंबर 2020 को भूमि को फ्री-होल्ड करने के लिए आपत्ति लगाई गई थी। आपत्ति को बकायका अखबार में प्रकाशित किया गया था। आपत्ति में कहा गया था कि यह जमीन शासकीय भूमि है तथा शहर के हदय स्थल में स्थित है। यह भूमि आम शहरवासियों के उपयोग में आने वाली भूमि है तथा आम नागरिकों द्वारा दैनिक उपयोग में लाई जाने वाली भूमि है। उक्त भूमि का आवंटन जिन शर्तों के अन्तर्गत मूल आवंटन प्रकरण याने सर्वप्रथम आवंटनकर्ता को किया गया था। उन नियम व शर्तों का उल्लेख इस ईश्तहार में नहीं किया गया और न ही उसका कोई विवरण दिया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि भूमिहीन या आवासहीन गरीब, निर्धन व्यक्ति ना होने पर भी इतनी बड़ी शासकीय भूमि का रकबा 37,300 वर्गफीट कैसे व किस आधार पर आवेदक (विवेक कुमार ढांड, श्रीमती रंजना खोसला, कुमारी साधना ढांड और श्रीमती अरूणा पल्टा) को आवंटित

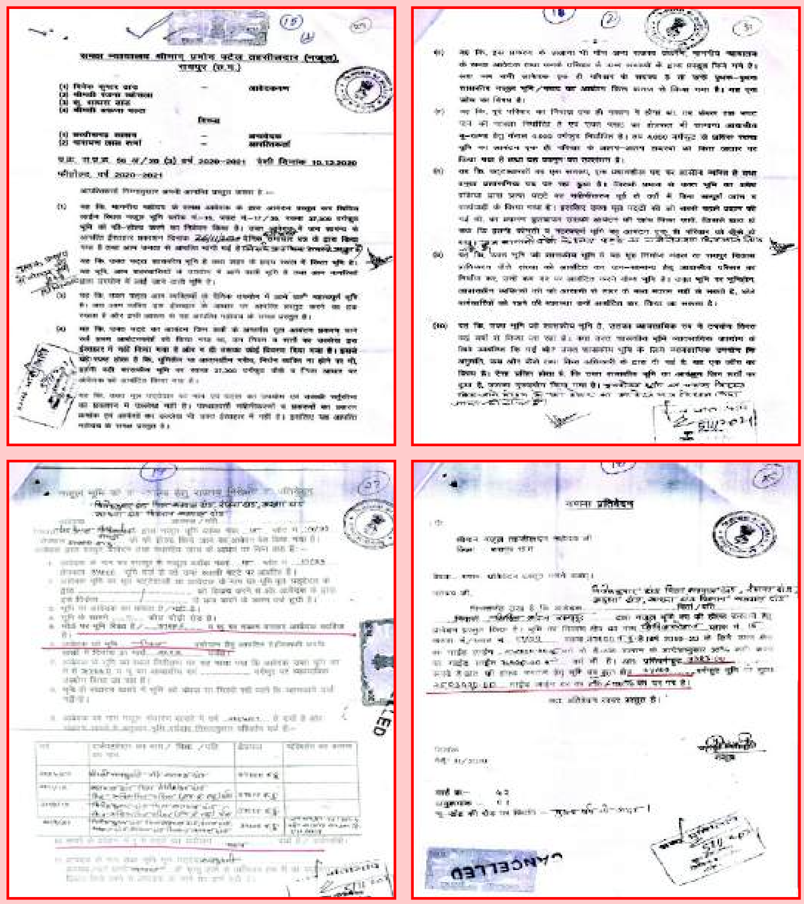

यह वही आवेदन है जो तहसीलदार (नजूल) रायपुर को दिया गया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि विवेक ढांड, रंजना घोसला, साधना ढांड और अरूणा पल्टा ने कैसे और कितनी जमीन पर कब किया है। साथ में जमीन की कीमत भी दर्शायी गई है।

एकड़ तथा सिरपुर रोड पर पप्पू खनुजा के फार्म हाउस के आगे 120 एकड़ तथा नकटी नया रायपुर में 10 एकड़ और दलदल सिवनी में 01 एकड़ जमीन खरीदी गई थी।

विवेक ढांड और संजय शुक्ला के द्वारा पद के दुरूपयोग से कमाई गई आय से

किया गया है। मूल पट्टेदार का नाम एवं पट्टा का उपयोग एवं उसकी चर्तुसीमा का प्रकाशन में उल्लेख नहीं है। पश्चातवर्ती नवीनीकरणों व प्रकरणों का प्रकरण क्रमांक एवं आदेशों का उल्लेख भी उक्त ईश्तहार में नहीं है। इस प्रकरण के अलावा भी पाँच अन्य राजस्व प्रकरण, न्यायालय के समक्ष आवेदक तथा उनके परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं। जब सभी आवेदक एक ही परिवार के सदस्य हैं तो उन्हें पृथक-पृथक शासकीय नजूल भूमि/प्लॉट का आवंटन किस कारण से किया गया है। यह एक जांच का विषय है। पूरे परिवार का निवास एक ही मकान में होना था, तब केवल एक प्लाट पाने की पात्रता निर्धारित है एवं इस प्लाट का क्षेत्रफल भी सामान्य आवासीय भू-खण्ड के लिए केवल 4,000 वर्गफीट निर्धारित है। तब 4,000 वर्गफीट से अधिक रकबा भूमि का आवंटन एक ही परिवार के अलग-अलग सदस्यों को किस आधार पर किया गया है। यह कानून का उल्लंघन है। पट्टाधारकों का एक सदस्य, एक प्रभावशील पद पर आसीन व्यक्ति है तथा प्रमुख प्रशासनिक पद पर है। जिसके प्रभाव से भूमि का अवैध प्रक्रिया द्वारा प्राप्त पट्टे का नवीनीकरण पूर्व के वर्षो में बिना सम्पूर्ण जांच व कार्यवाही के किया गया है। इसलिए मूल पट्टों की जो सबसे पहले प्रदान की गई थी। यह भूमि जो शासकीय भूमि है वह गृह निर्माण मंडल या रायपुर विकास प्राधिकरण जैसे संस्था को आवंटित कर जनसामान्य हेतु आवासीय परिसर का निर्माण कर, उन्हें कम दर पर आवंटित करने योग्य भूमि है। इसका भूमिहीन, आवासहीन व्यक्तियों को जो आसानी से शहर के मध्य मकान नहीं ले सकते हैं। विगत कई वर्षो से इस भूमि का व्यावसायिक रूप में उपयोग किया जा रहा है। क्या यह शासकीय भूमि व्यावसायिक उपयोग के लिये आवंटित की गई थी? इस भूमि के लिये व्यावसायिक उपयोग की अनुमति, कब और कैसे तथा किस अधिकारी के द्वारा दी गई है। यह एक जांच का विषय है। शासकीय भूमि का आवंटन जिन शर्तो पर हुआ है उसका दुरूपयोग किया गया है। इस भूमि का पट्टा निरस्त कर देना चाहिए। यह सही है कि आवेदक को यह भूमि पट्टे पर प्राप्त है, जिसे तत्कालीन पट्टेधारी से 28/10/1964 को आवेदक के पिता स्व. सतपाल ढांड ने रूस्तम आत्मज खुर्शेद कामा, मिनोचर आत्मज खुर्शेद कामा एवं नोशिर्वान आत्मज खुदादाद डुंगा से क्रय किया था, यह किस आधार पर और कैसे आवंटित की गई। यह विचारणीय है।

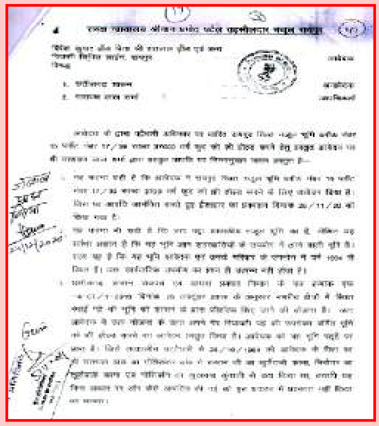

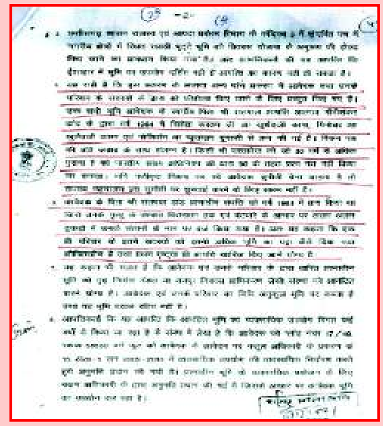

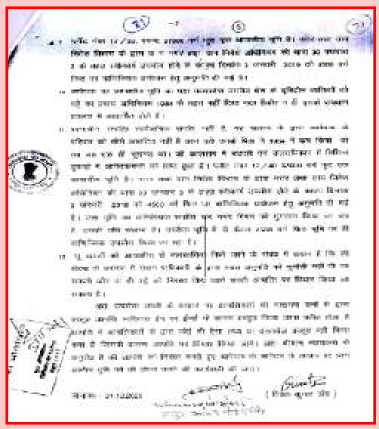

रायपुर स्थित नजूल भूमि ब्लॉक नं. 15, प्लॉट नं. 17/39 रकबा 37000 वर्गफीट को फ्री होल्ड करने हेतु प्रस्तुत आवेदन पर नारायण शर्मा द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पर विवेक ढांड ने तहसीलदार नजूल रायपुर को जबाव प्रस्तुत किया गया है।

अधिक नामी औए बेनामी संपत्तियों जांच होनी चाहिए। विवेक ढांड और उनके परिजनों के नाम पर 300 करोड़ की नजूल की जमीन के घोटाले के आरोप पहले से ही लगे हुए हैं। जिनके 21 प्रकरण रेवेन्यू बोर्ड में चल रहे हैं।

40 करोड़ की 58 हजार वर्गफीट जमीन पर अवैध कब्जा

सतपाल ढांड, पिता गौरीशंकर ढांड, निवासी- रायपुर द्वारा हल्ला सिविल स्टेशन रायपुर स्थित नजूल (शासकीय) भूमि ब्लाक नंबर- 15, प्लाट नंबर 17/40, कुल 58,300 वर्गफीट नजूल अभिलेख में सतपाल ढांड एवं विवेक कुमार ढांड, रंजना ढांड, अरुणा ढांड के नाम पर व्यवसायिक प्रयोजन के लिए दर्ज है। यह संपत्ति नजूल अभिलेख में सतपाल ढांड के नाम पर दर्ज किए जाने में अन्य पट्टेदारों द्वारा सहमति दी गई है। उक्त जमीन की कीमत 40 करोड़ से अधिक है। सतपाल ढांड द्वारा आदेश नियम-18, नियम-4 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत कथन में बताया कि मोहल्ला सिविल स्टेशन रायपुर स्थित नजूल स्थायी पट्टे की भूमि पर कोई वाद-विवाद नहीं है। अन्य खातेदारों ने भी भूमि पर वाद-विवाद नहीं होने का कथन दिया। पत्र दिनांक 27/02/2012 प्रस्तुत किया गया, जिसमें उक्त सभी एच.यू.एफ. संयुक्त के सदस्यगण तथा सतपाल ढांड द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में यह घोषणा की गई कि प्रश्नाधीन भूमि वर्तमान में सतपाल ढांड

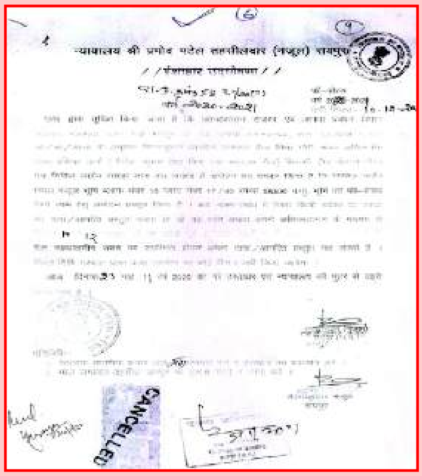

यह वहीं आवेदन है जो नारायण शर्मा ने नजूल तहसीलदार रायपुर में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि नजूल भूमि ब्लॉक नं. 15, प्लाट नं. 17/40, कुल 58300 वर्गफीट जमीन विवेक ढांड, रंजना ढांड, अरूणा ढांड के नाम पर व्यावसायिक प्रयोजन के लिए दर्ज है। इस जमीन की कीमत लगभग 40 करोड़ बताई जा रही है।

सरकार करती बर्खास्त उससे पहले ही विवेक ढांड ने छत्तीसगढ़ नवाचार आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया

छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के साथ बदले सियासी और प्रशासनिक समीकरण के बीच पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांड ने इस्तीफा दे दिया था। ढांड को राज्य की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने मार्च 2023 में छत्तीसगढ़ नवाचार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया था। विष्णुदेव साय सरकार उन्हें बर्खास्त करने की तैयारी में थी।

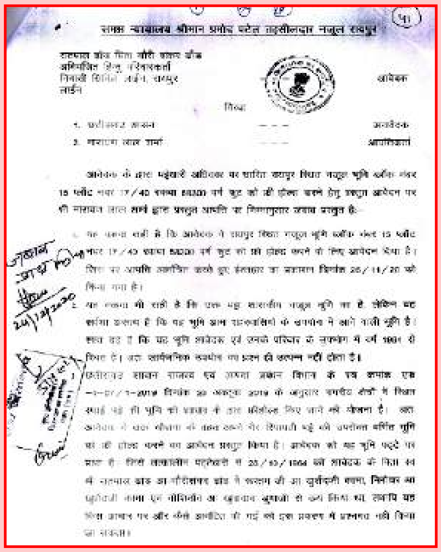

समक्ष न्यायालय श्रीमान प्रमोद पटेल तहसीलदार नजूल रायपुर

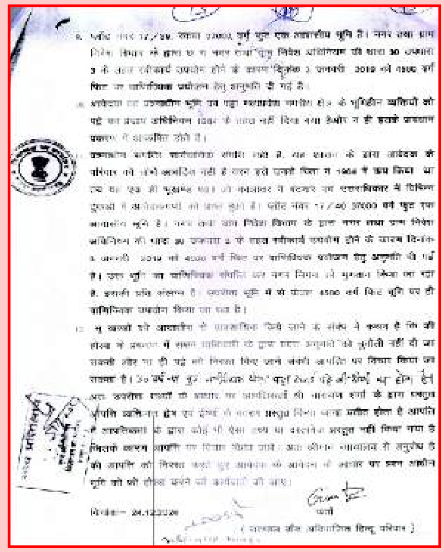

आवेदन में नारायण शर्मा द्वारा लगाई गई आपत्ति के विरुद्ध विवेक ढांड ने तहसीलदार नजूल रायपुर को 50,300 वर्गफीट जमीन को फ्री होल्ड करने हेतु जवाब प्रस्तुत किया है।

पिता गौरीशंकर ढांड एवं विवेक ढांड, रंजना ढांड, साधना ढांड, अरूणा ढांड सभी पिता सतपाल ढांड के नाम पर दर्ज है तथा उनके द्वारा एच.यू.एफ . की सभी सदस्य प्रश्नाधीन भूमि को एच.यू.एफ . में सम्मिलित करने की घोषणा करते हैं। जैन एंड बैद चार्टर्ड एकांउटेंट के द्वारा सतपाल ढांड की एच.यू.एफ. के संबंध में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसमें गत 8-10 वर्षो से सतपाल ढांड एच.यू.एफ . के रिटर्न दाखिल करने एवं एच.यू.एफ . में सतपाल ढांड, विवेक ढांड, रंजना खोसला, अरूणा पल्टा तथा कु. साधना ढांड के सम्मिलित होने का उल्लेख किया है। प्रतिवेदन में बताया कि आवेदित भूमि सिविल स्टेशन ब्लाक नंबर-15 प्लाट नंबर 17/40 रकबा 58,300 वर्गफुट भूमि पट्टे की अवधि 31/03/2022 तक व्यवसायिक प्रयोजन में सतपाल ढांड पिता गौरीशंकर ढांड, विवेक कुमार ढांड पिता सतपाल ढांड, रंजना ढांड, साधना ढांड, अरूणा ढांड सभी पिता सतपाल ढांड के नाम में दर्ज है।

गौरतलब है कि यह शासकीय भूमि है तथा शहर के हृदय स्थल में स्थित है। यह भूमि, आम शहरवासियों के उपयोग में आने वाली है तथा आम नागरिकों द्वारा उपयोग के लिए है। इससे यह स्पष्ट होता है कि भूमिहीन या आवासहीन गरीब, निर्धन व्यक्तिना होने पर भी इतनी बड़ी शासकीय भूमि का रकबा 58,300 वर्गफीट कैसे व किस आधार पर सतपाल ढांड को आवंटित की गई। इस प्रकरण के अलावा भी पाँच अन्य राजस्व प्रकरण, न्यायालय के समक्ष सतपाल ढांड तथा उनके परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं। जब सभी आवेदक एक ही परिवार के सदस्य हैं तो उन्हें पृथक-पृथक शासकीय नजूल भूमि/प्लॉट का आवंटन किस कारण से किया गया है। यह एक जांच का विषय है। यह भी है कि पूरे परिवार का निवास एक ही मकान में होना था, तब केवल एक प्लाट पाने की पात्रता निर्धारित है एवं इस प्लाट का क्षेत्रफ ल भी सामान्य आवासीय भू-खण्ड हेतु केवल 4,000 वर्गफीट निर्धारित है। तब 4,000 वर्गफीट से अधिक रकबा भूमि का आवंटन एक ही परिवार के अलग-अलग सदस्यों को किस आधार पर किया गया है तथा यह कानून का उल्लंघन है। उक्त भूमि जो शासकीय भूमि है। वह गृह निर्माण मंडल या रायपुर विकास प्राधिकरण जैसे संस्था को आवंटित कर जनसामान्य के लिए आवासीय परिसर का निर्माण कर, उन्हें कम दर पर आवंटित करने योग्य भूमि है।

इसकी भनक लगते ही ढांड ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। ढांड को 1 मार्च को 2014 को राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया था, तब प्रदेश में डॉ. रमन सिंह की नेतृत्व वाली भाजपा सरकार थी। ढांड मार्च 2018 में सेवानिवृत्त होने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही तत्कालीन भाजपा सरकार ने जनवरी 2018 में उन्हें नवगठित रियल एस्टेट नियामक आयोग (रेरा) का अध्यक्ष बना दिया। 2023 में रेरा में ढांड का कार्यकाल खत्म हुआ तब प्रदेश में भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार थी।

बताया जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार में उनकी अच्छी दखल थी। ऐसे में सरकार ने फ रवरी 2023 में उन्हें नवगठित नवाचार आयोग का अध्यक्ष बना दिया। ढांड अभी तक उस पद पर बने हुए थे। सत्ता परिवर्तन के साथ ही नवाचार आयोग के गठन और

2 करोड़ की 3250 वर्गफीट शासकीय जमीन पर कब्जा

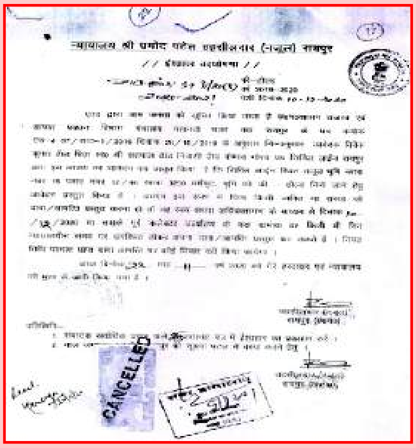
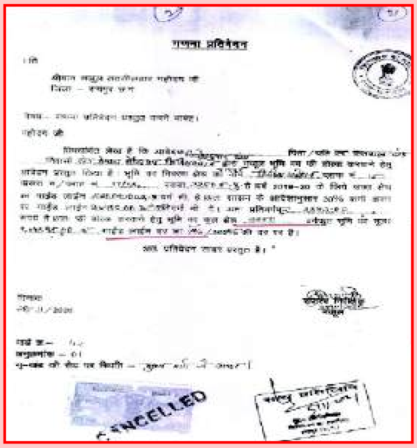
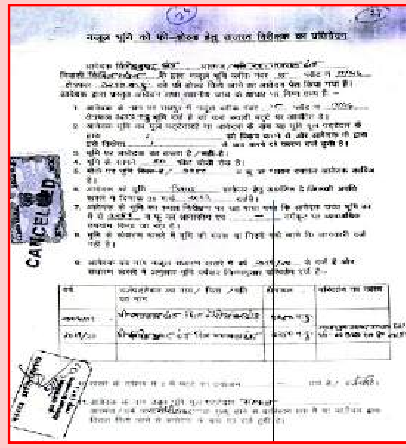

2 करोड़ की 3250 वर्गफीट शासकीय जमीन पर विवेक ढांड द्वारा किये गए अवैध कब्जे के विरुद्ध में नारायण शर्मा ने तहसीलदार नजूल, रायपुर को आवेदन प्रस्तुत किया था। साथ में गणक प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया।

रायपुर की सिविल लाईन स्थित नजूल भूमि ब्लॉक नं. 15, प्लॉट नं. 17/46, रकबा 3250 वर्गफीट भूमि को फ्री होल्ड करने का निवेदन दिनांक 26/11/2020 किया गया था। यह पट्टा शासकीय भूमि है तथा शहर के हदय स्थल में स्थित है। पट्टे का आवंटन जिन शर्तो के अन्तर्गत मूल आवंटन प्रकरण यानी सर्वप्रथम आवंटनकर्ता विवेक ढांड को किया गया था। उन नियम व शर्तो का उल्लेख इस ईश्तहार में नहीं किया गया है और न ही उसका कोई विवरण दिया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि, भूमिहीन या आवासहीन गरीब, निर्धन व्यक्तिना होने पर भी, इतनी बड़ी शासकीय भूमि का रकबा 3.250 वर्गफुट कैसे व किस आधार पर विवेक ढांड को आवंटित किया गया है। इस प्रकरण के अलावा भी पाँच अन्य राजस्व प्रकरण, न्यायालय के समक्ष आवेदक तथा उनके परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं। उक्त जमीन की कीमत 02 करोड़ से अधिक है। यह भूमि जो शासकीय भूमि है, उसका व्यावसायिक रूप में उपयोग विगत कई वर्षो से किया जा रहा है। क्या उक्त शासकीय भूमि व्यावसायिक उपयोग के लिये आवंटित की गई थी ? उक्त शासकीय भूमि के लिये व्यावसाकि उपयोग की अनुमति, कब और कैसे तथा किस अधिकारी के द्वारा दी गई है, यह एक जाँच का विषय है। ऐसा प्रतीत होता है कि भूमि का आवंटन जिन शर्तो पर हुआ है, उसका दुरूपयोग किया गया है। भूमि के पट्टा निरस्त किए जाने योग्य है।

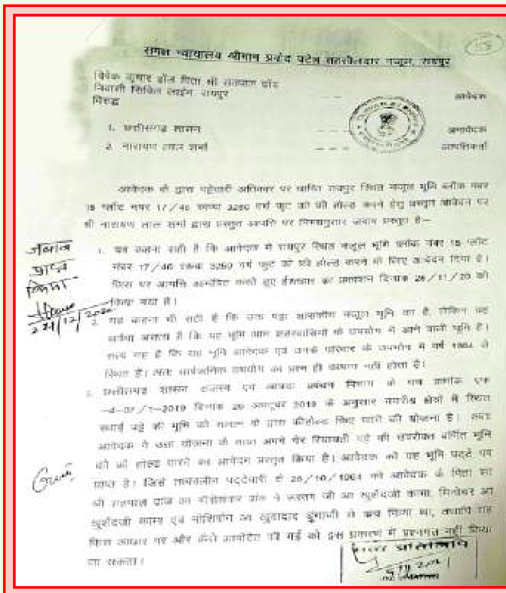

आवेदक के विरुद्ध विवेक ढांड ने नजूल तहसीलदार रायपुर को अपना जवाब प्रस्तुत किया है।

कामकाज पर सवाल उठने लगे। विष्णुदेव साय सरकार नवाचार आयोग और इस आयोग के अध्यक्ष के रूप में ढांड के कामकाज से संतुष्ट नहीं थे। समीक्षा में सरकार ने पाया कि इस आयोग का कोई औचित्य ही नहीं है। ऐसे में सरकार ढांड को

16 करोड़ रूपये की 23,750 वर्गफीट भूमि पर अवैध कब्जा

सिविल लाईन रायपुर स्थित नजूल भूमि ब्लाक नंबर 15, प्लॉट नंबर 17/41, 17/48, 17/52, 17/53 कुल 23,750 वर्गफुट रकबा भूमि विवेक ढांड द्वारा अवैध कब्जा किया गया है। इस संबंध में दिनांक 10/12/2020 को ईश्तहार प्रकाशित किया गया कि जिस किसी व्यक्ति या संस्था को दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वह स्वयं अथवा अधिवक्तागण के माध्यम से या उसके पूर्व कलेक्टर कार्यालय में उपस्थित होकर अपना दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। 23,750 वर्गफीट भू-भाटक वार्षिक रु. 100/- आवासीय प्रयोजन हेतु पट्टे पर धारित है। आपत्तिकर्ता नारायण शर्मा ने प्रश्नाधीन भूमि को फ्री होल्ड करवाना चाहता है। जिसके लिए आपत्तिकर्ता ने तहसीलदार नजूल रायपुर में आवेदन प्रस्तुत किया था। नारायण शर्मा ने आपत्ति में लिखा था कि उक्तपट्टा शासकीय भूमि है तथा शहर के हृदय स्थल में स्थित है। यह भूमि, आम शहरवासियों के उपयोग में आने वाली भूमि है तथा आम नागरिकों

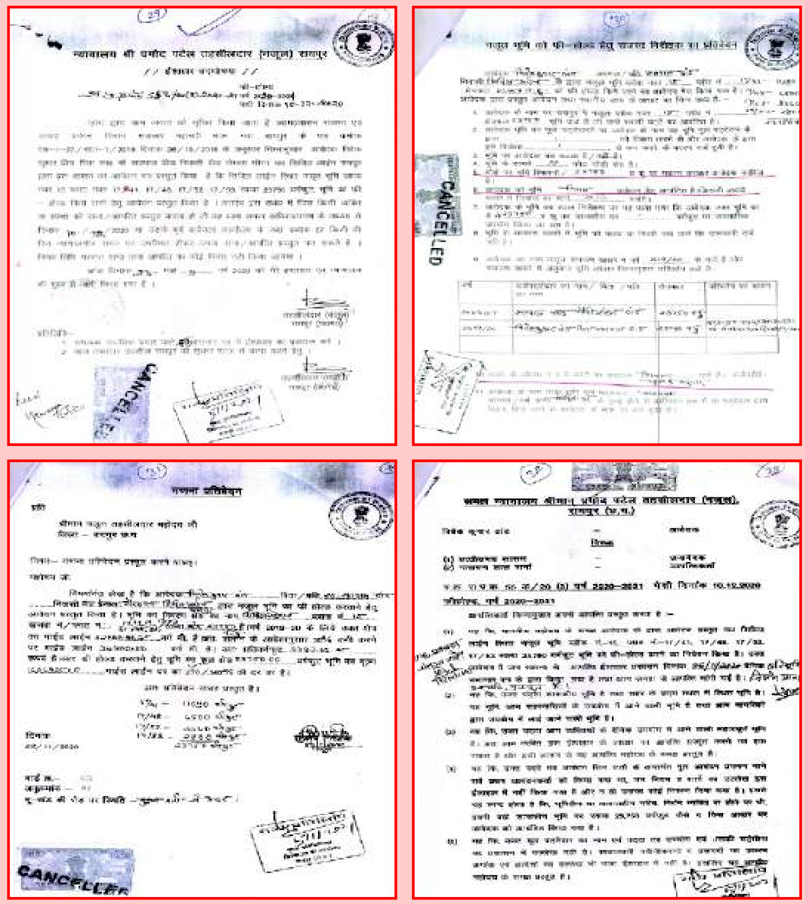

16 करोड़ की 23,750 वर्गफीट नजूल की भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर विवेक ढांड के विरुद्ध नजूल तहसीलदार रायपुर को आवेदन प्रस्तुत किया गया था। जिसमें दर्शाया गया है कि यह पट्टे की जमीन है और इसका व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। जो कि गैरकानूनी है।

बर्खास्त करने की तैयारी में थी। चुनाव से पहले भाजपा ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ जो आरोप पत्र जारी किया था उसमें ढांड का नाम भी था। यानी ढांड भाजपा के टारगेट में थे।

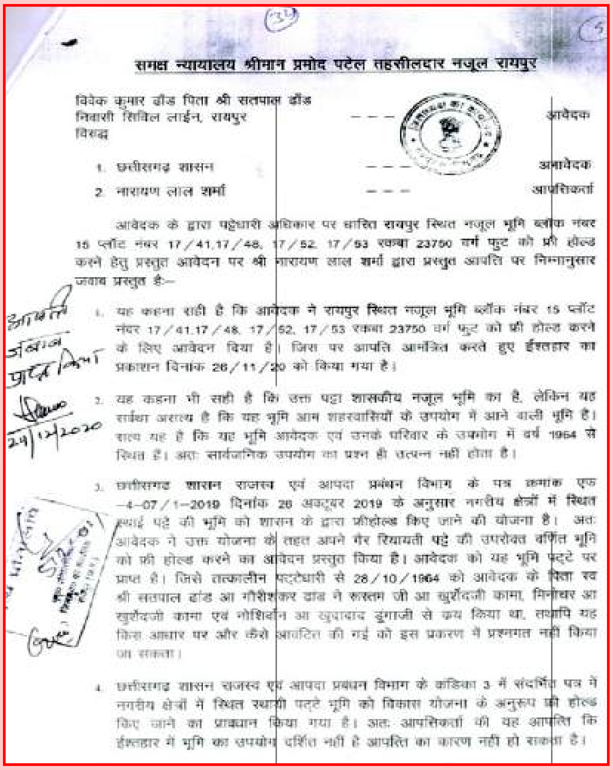

समक्ष न्यायालय श्रीमान प्रमोद पटेल तहसीलदार नजूल रायपुर

विवेक कुमार ढींड पिता श्री सतपाल ढींड
निवासी सिविल लाईन, रायपुर --- आवेदक
विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ शासन --- अनावेदक
2. नारायण लाल शर्मा --- आपत्तिकर्ता

आवेदक के द्वारा पट्टेधारी अधिकार पर धारित रायपुर स्थित नजूल भूमि ब्लॉक नंबर 15 प्लॉट नंबर 17/41,17/48, 17/52, 17/53 रकबा 23750 वर्ग फुट को फ्री होल्ड करने हेतु प्रस्तुत आवेदन पर श्री नारायण लाल शर्मा द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पर निम्नानुसार जवाब प्रस्तुत है:-

1. यह कहना सही है कि आवेदक ने रायपुर स्थित नजूल भूमि ब्लॉक नंबर 15 प्लॉट नंबर 17/41,17/48, 17/52, 17/53 रकबा 23750 वर्ग फुट को फ्री होल्ड करने के लिए आवेदन किया है। जिस पर आपत्ति आमंत्रित करते हुए ईश्तहार का प्रकाशन दिनांक 26/11/20 को किया गया है।

2. यह कहना भी सही है कि उक्त पट्टा शासकीय नजूल भूमि का है, लेकिन यह सर्वथा असत्य है कि यह भूमि आम शहरवासियों के उपयोग में आने वाली भूमि है। सत्य यह है कि यह भूमि आवेदक एवं उनके परिवार के उपभोग में वर्ष 1964 से स्थित है। अतः सार्वजनिक उपयोग का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

3. छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पत्र क्रमांक एफ-4-07/1-2019 दिनांक 26 अक्टूबर 2019 के अनुसार नगरीय क्षेत्रों में स्थित स्थाई पट्टे की भूमि को शासन के द्वारा फ्रीहोल्ड किए जाने की योजना है। अतः आवेदक ने उक्त योजना के तहत अपने गैर रियायती पट्टे की उपरोक्त वर्णित भूमि को फ्री होल्ड करने का आवेदन प्रस्तुत किया है। आवेदक को यह भूमि पट्टे पर प्राप्त है। जिसे तत्कालीन पट्टेधारी से 28/10/1964 को आवेदक के पिता स्व श्री सतपाल ढांड आ गौरीशंकर ढांड ने रुस्तम जी आ खुर्शेदजी कामा, मिनोचर आ खुर्शेदजी कामा एवं नोशिर्वान आ खुदादाद डुंगाजी से क्रय किया था, तथापि यह किस आधार पर और कैसे आवंटित की गई को इस प्रकरण में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता।

4. छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के कंडिका 3 में संदर्भित पत्र में नगरीय क्षेत्रों में स्थित स्थायी पट्टे भूमि को विकास योजना के अनुरूप फ्री होल्ड किए जाने का प्रावधान किया गया है। अतः आपत्तिकर्ता की यह आपत्ति कि ईश्तहार में भूमि का उपयोग दर्शित नहीं है आपत्ति का कारण नहीं हो सकता है।

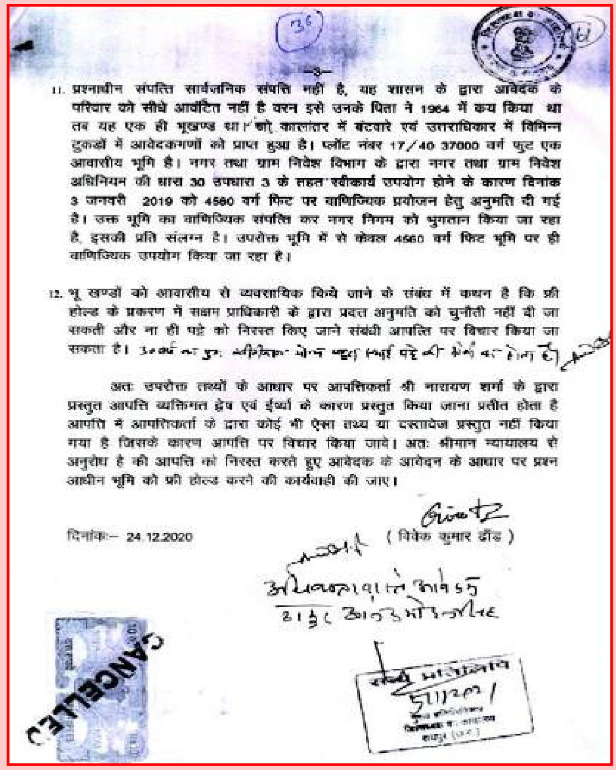

-3-

11. प्रश्नाधीन संपत्ति सार्वजनिक संपत्ति नहीं है, यह शासन के द्वारा आवेदक के परिवार को सीधे आवंटित नहीं है वरन इसे उनके पिता ने 1964 में क्रय किया था तब यह एक ही भूखण्ड था। जो कालांतर में बंटवारे एवं उत्तराधिकार में विभिन्न टुकड़ों में आवेदकगणों को प्राप्त हुआ है। प्लॉट नंबर 17/40 37000 वर्ग फुट एक आवासीय भूमि है। नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के द्वारा नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम की धारा 30 उपधारा 3 के तहत स्वीकार्य उपयोग होने के कारण दिनांक 3 जनवरी 2019 को 4560 वर्ग फिट पर वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु अनुमति दी गई है। उक्त भूमि का वाणिज्यिक संपत्ति कर नगर निगम को भुगतान किया जा रहा है, इसकी प्रति संलग्न है। उपरोक्त भूमि में से केवल 4560 वर्ग फिट भूमि पर ही वाणिज्यिक उपयोग किया जा रहा है।

12. भू खण्डों को आवासीय से व्यवसायिक किये जाने के संबंध में कथन है कि फ्री होल्ड के प्रकरण में सक्षम प्राधिकारी के द्वारा प्रदत्त अनुमति को चुनौती नहीं दी जा सकती और ना ही पट्टे को निरस्त किए जाने संबंधी आपत्ति पर विचार किया जा सकता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आपत्तिकर्ता श्री नारायण शर्मा के द्वारा प्रस्तुत आपत्ति व्यक्तिगत द्वेष एवं ईर्ष्या के कारण प्रस्तुत किया जाना प्रतीत होता है आपत्ति में आपत्तिकर्ता के द्वारा कोई भी ऐसा तथ्य या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण आपत्ति पर विचार किया जावे। अतः श्रीमान न्यायालय से अनुरोध है की आपत्ति को निरस्त करते हुए आवेदक के आवेदन के आधार पर प्रश्न आधीन भूमि को फ्री होल्ड करने की कार्यवाही की जाए।

दिनांक:- 24.12.2020

(विवेक कुमार ढींड)

विवेक ढांड ने नजूल की भूमि पर किय गये कब्जे के विरूद्ध तहसीलदार नजूल रायपुर को अपना जवाब प्रस्तुत किया है। जवाब में कहा गया है कि यह जमीन पुश्तैनी है, जिसका मालिका हक उनके पास है।

द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली है। पट्टे का आवंटन जिन शर्तों के अन्तर्गत किया गया है उसमें कब्जेधारी ने पालन नहीं किया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि भूमिहीन या आवासहीन गरीब, निर्धन व्यक्ति ना होने पर भी इतनी बड़ी शासकीय भूमि का रकबा 23,750 वर्गफीट कैसे व किस आधार पर विवेक ढांड को आवंटित किया गया है। यह एक जाँच का विषय है। विवेक ढांड ने अपने प्रभाव से उक्तभूमि का अवैध प्रक्रिया द्वारा प्राप्त पट्टे का नवीनीकरण पूर्व के वर्षों में बिना सम्पूर्ण जांच व कार्यवाही के किया गया है। इसलिए उक्तमूल पट्टों की जो सबसे पहले प्रदान की गई थी, का प्रकरण बुलवाकर उसकी आवंटन की जांच की जाये, जिससे ज्ञात हो सके कि इतनी कीमती व महत्वपूर्ण भूमि का आवंटन एक ही परिवार को कैसे हो गया।

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्य सचिव भू-माफिया विवेक ढांड के काले कारनामें

नजूल की 1,53,000 वर्गफिट जमीन पर कब्जा करके पहले 1964 के फर्जी रजिस्ट्री दस्तावेज तैयार कर उन्हें आईएएस अधिकारी तारन प्रकाश सिन्हा से सत्यापित करवाया। जमीन के बाद में आवासीय उपयोग के लिये नजूल के पट्टे

31 करोड़ रूपये की 23 हजार वर्गफीट शासकीय जमीन पर अवैध कब्जा

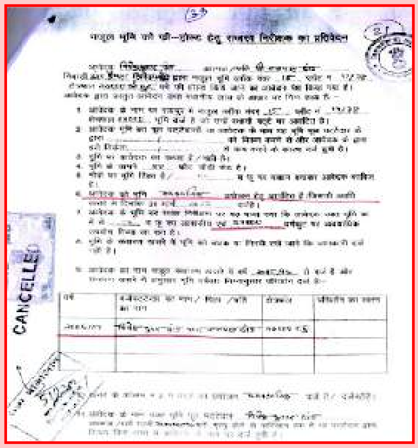
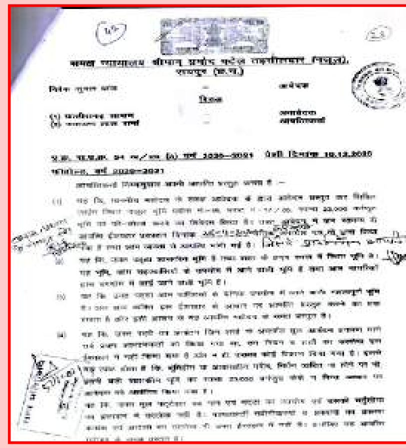

नजूल भूमि ब्लॉक नं. 15, प्लॉट नं. 17/38 रकबा 23,000 वर्गफीट को फ्री-होल्ड किये जाने हेतु नजूल तहसीलदार रायपुर को आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें इसकी कीमत 31 करोड़ बताई गई है।

विवेक कुमार ढाँड, पिता स्व. सतपाल ढांड, निवासी- ढांड केम्पस, गौरव पथ, सिविल लाईन रायपुर द्वारा सिविल लाईन रायपुर स्थित नजूल भूमि ब्लॉक नंबर 15, प्लॉट नंबर 17/38 रकबा 23 हजार वर्गफीट भूमि पर 31 करोड़ रूपये से अधिक की शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है। जिसके संबंध में आपत्तिकर्ता नारायण शर्मा ने 11 नबंवर 2020 को तहसीलदार नजूल रायपुर में फ्री-होल्ड किये जाने हेतु आवेदन किया था। आवेदन में आपत्तिकर्ता नारायण शर्मा ने लिखा था कि विवेक ढांड के नाम पर उक्त भूमि, जिसका कुल क्षेत्रफल 23,000 वर्गफीट है, भू-भाटक वार्षिक रूपये 16,100/- व्यवसायिक प्रयोजन हेतु पट्टे पर धारित है। शासन की योजना के अनुरुप भूमि को फ्री होल्ड करवाना चाहता है। नारायण शर्मा ने बताया कि उक्त पट्टा शासकीय भूमि है तथा शहर के हदय स्थल में स्थित भूमि है। यह भूमि आम शहरवासियों के उपयोग में आने वाली भूमि है तथा आम नागरिकों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली है। विवेक ढांड ने इस भूमि पर अवैध कब्जा करके शासन को करोड़ों का चूना लगाया है।

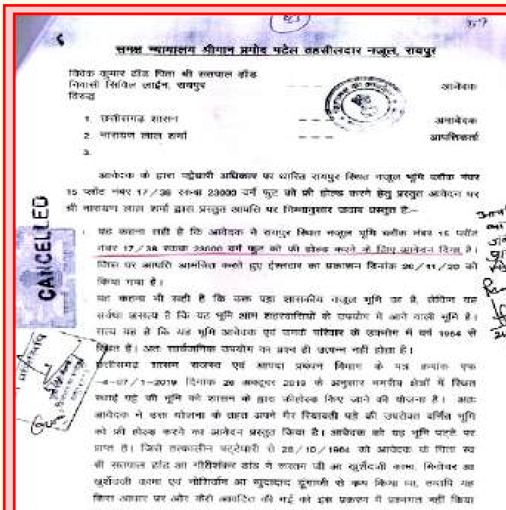

आरोप के विरुद्ध विवेक ढांड ने तहसीलदार के सामने अपना जवाब प्रस्तुत किया है।

बनवाये गए। भू-माफिया, रसूखदारों के लिए शासकीय आबादी जमीन वरदान साबित होती है। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांड को इस पूरे घोटाले का मास्टर माइंड बताया गया है। विवेक ढांड को पूरे घोटाले

का मास्टर माइंड बताया गया है। कहा गया है कि ढांड के निर्देशन में अनवर ढेबर, अनिल टुटेजा और अरूणपति त्रिपाठी काम कर रहे थे। यह भी दावा किया गया है कि घोटाले में पूर्व आईएस अधिकारी विवेक ढांड को हिस्सेदारी भी दी गई है।

1,000 करोड़ का दिव्यांग NGO घोटाला

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेश के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांड और अन्य वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के खिलाफ 1,000 करोड़ के सामाजिक कल्याण विभाग (NGO) घोटाले की भी जांच कर रही है। इस मामले में राज्य के 6 आईएएस अधिकारी आलोक शुक्ला, विवेक ढांड, एमके राउत, सुनील कुजूर, बीएल अग्रवाल और पीपी सोती समेत समाज कल्याण विभाग व संबंधित अधिकारी सतीश पांडेय, राजेश तिवारी, अशोक तिवारी, हरमन खलखो, एमएल पांडेय और पंकज वर्मा पर आरोप लगाया गया है। इसमें आरोप है कि

दावा किया गया है कि शराब घोटाले में शामिल लोग शराब कंपनियों से शराब का अवैध उत्पादन करवाते थे। इस अवैध शराब की सप्लाई शराब घोटाले के सिंडीकेट चलाते थे। जिसके बदले में उन्हें कमीशन मिलता था। ईडी के अनुसार,

कागजों पर फर्जी पुनर्वास केंद्र (SRC और PRRC) दिखाकर गैर मौजूद कर्मचारियों के नाम पर हर महीने सरकारी खजाने से लाखों-करोड़ों रूपये निकाले गए। इन मामलों में ईडी और राज्य की भ्रष्टाचार निरोधक शाखाएं उनके बैंक खातों, शेल कंपनियों और बेनामी संपत्तियों के दस्तावेजों को खंगाल रही हैं। याचिका के मुताबिक राज्य को संस्था के माध्यम से 1000 करोड़ का वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा, जो कि 2004 से 2018 के बीच में 10 साल से ज्यादा समय तक किया गया। छत्तीसगढ़ के कुछ वर्तमान और रिटायर्ड आईएएस अफ सरों पर एनजीओ के नाम पर करोड़ों का घोटाला करने का आरोप लगाते हुए 2017 में वकील देवर्षि ठाकुर के माध्यम से याचिका दायर की थी। यह मामला विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य संसाधन केंद्र (एसआरसी) से संबंधित है, जिसे कल्याणकारी योजनाओं के लिए निर्धारित पर्याप्त सरकारी धनराशि प्राप्त हुई थी। संविदा कर्मचारी द्वारा बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का खुलासा करने के बाद ये मामले सामने आए। उन्होंने विभिन्न स्तरों पर शिकायतें दर्ज कराईं और बाद में 2018 में जनहित याचिका (PIL) दायर की, जिसमें आरोप लगाया गया कि उनकी जानकारी के बिना उनके नाम से वेतन निकाला गया। खबरों के अनुसार, उन्हें धमकियां मिलीं और बाद में उन्हें बर्खास्त

2019 से 2022 तक लाइसेंसी शराब की दुकानों पर नकली होलोग्राम लगाकर बड़ी मात्रा में अवैध शराब बेची जाती थी। जिससे राजस्व विभाग को करोड़ों का नुकसान हुआ है। इस घोटाले का खुलासा कांग्रेस की सरकार में हुआ था। ईडी ने इस मामले में

कर दिया गया। विशेष जांच में 31 वित्तीय अनियमितताएं सामने आईं, जिनमें अनधिकृत नकद निकासी, अनुचित निधि हस्तांतरण, अस्तित्वहीन चिकित्सा उपकरणों की खरीद, वाउचर और कैश-बुक का गायब होना और केवल कागज़ी तौर पर नियुक्त कर्मचारी शामिल हैं। वेतन का भुगतान ऐसे कर्मचारियों के नाम पर किया गया जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं था। सामाजिक कल्याण विभाग से जुड़े संस्थान, एसआरसी और शारीरिक पुनर्वास केंद्र (पीआरसी), कथित तौर पर केवल कागज़ी तौर पर ही अस्तित्व में थे। 2004 में स्थापित एसआरसी का उद्देश्य दिव्यांगों को तकनीकी और प्रशिक्षण सहायता प्रदान करना था, जबकि 2012 में स्थापित पीआरसी का उद्देश्य कृत्रिम अंग और अन्य चिकित्सा सहायता प्रदान करना था। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त जानकारी के अनुसार, दोनों संस्थान कथित तौर पर पर्याप्त सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करते हुए काफी हद तक निष्क्रिय रहे। इससे पहले कई आरोपी अधिकारियों ने 5 फरवरी 2020 को दायर एक विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय से संपर्क किया था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने मामले को वापस उच्च न्यायालय को भेज दिया था।

कई सीनियर अधिकारियों और कारोबारियों को गिरफ्तार किया है।

रेरा के पूर्व अध्यक्ष विवेक ढांड के काबिज वाली जमीन पर कब चलेगा बुलडोजर?

छत्तीसगढ़ बनने के बाद प्रदेश में दर्जनों घोटाले सुर्खियों में रहे हैं। सरकार भ्रष्ट अधिकारियों व भ्रष्टाचार पर नियंत्रण पाने में

हमेशा असहाय ही साबित हुई। प्रदेश के विभिन्न विभागों में भ्रष्ट अधिकारियों का राज जमकर है, लेकिन इन पर कार्यवाही करने को छाड़ इन्हें वफादारों की तरह पाला पोसा जाता है। आम जनता को जहाँ आवास के लिए जमीन नहीं मिल पाती, जहाँ हजारों- लाखों की संख्या में लोग किराए के मकान में अपना सारा जीवन गुजार देते हैं। वहीं भू-माफिया, रसूखदारों के

300 करोड़ की नजूल की जमीन 20 हजार रूपये प्रति वर्गफीट में विवेक ढांड ने बेच दी डी-मार्ट को

पूर्व मुख्य सचिव भू-माफिया विवेक ढांड पर छत्तीसगढ़ सरकार की छत्रछाया क्यों बरकरार हैं? यह गंभीर सवाल है, इसके भ्रष्टाचार की जांच क्यों नहीं की जा रही? जबकि बहुचर्चित महादेव सट्टा एप मामले में, बहुचर्चित शराब घोटाले में भी भू-माफिया विवेक ढांढ का नाम सामने आया था। साथ ही छत्तीसगढ़ में एक हज़ार करोड़ के एनजीओ घोटाले में भी विवेक ढांड का नाम है। इसके साथ ही पूर्ववर्ती भूपेश सरकार के फ्री होल्ड के आदेश को निरस्त करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने विवेक ढांड को खुली छूट क्यों दे दी? परिणामस्वरूप नजूल की जमीन को बेचने का कार्य विवेक ढांड ने कर दिया। सूत्रों प्राप्त जानकारी के अनुसार 20 हजार रूपये प्रति वर्गफीट में जमीन बेची गई है। जिसकी कीमत लगभग 300 करोड़ रूपये से उपर आंकी गई है। छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो इसकी प्रकरण की जांच क्यों नहीं कर रहा है।

लिए शासकीय आबादी जमीन वरदान साबित होती है। राजधानी रायपुर के हृदय स्थल सिविल स्टेशन वार्ड की 01 लाख 53 हजार वर्गफीट की नजूल भूमि का भू-स्वामी, होना किसी साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं। लेकिन ऐसा हुआ है और यह

01 लाख 53 हजार वर्गफीट शासकीय जमीन की बंदरबांट

- नारायण शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, आपत्तिकर्ता

सिविल लाइन रायपुर के मुख्य मार्ग पर पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांड परिवार को वर्ष 1964 में करीब 01 लाख 53 हजार वर्गफीट नजूल जमीन का आवासीय पट्टा मिला था। उक्त जमीन की रजिस्ट्री होना भी बताया गया है। 58 हजार वर्गफीट और 37 हजार वर्गफीट के अलावा 23 हजार वर्गफीट व बाकी जमीन ढांड परिवार के सदस्यों के नाम हस्तांतरित की गई। यह पट्टा गलत तरीके से हासिल किया गया। आवासीय पट्टा का किसी और प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता, मगर विवेक ढांड इसका व्यावसायिक उपयोग कर रहे हैं। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने जमीन फ्री-होल्ड की जो नीति बनाई थी, उसका लाभ ढांड ने उठाया और जमीन को फ्री-होल्ड करा लिया गया। वर्तमान भाजपा सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार की फ्री होल्ड पॉलिसी को निरस्त कर दिया और गड़बड़ियों की जांच कर रही है। विवेक ढांड जमीनों को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्व मंडल ने संबंधित पक्षों को सुनने के बाद भूमि और उससे जुड़े अभिलेखों को यथावत रखने के आदेश दिए हैं। भूपेश बघेल सरकार के द्वारा जिस नजूल जमीन का फ्री होल्ड का किए जाने का आदेश सरकार बदलते ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने निरस्त कर दिया तो फिर अभी तक इस भू-माफिया पर विष्णुदेव के सुशासन की छत्रछाया बरकरार क्यों ? आखिर क्या कारण है कि इस नामजद आरोपी पर कार्यवाही करने के नाम पर राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो और ईओडब्ल्यू हाथ पर हाथ धरकर बैठे हैं।

करामात कर दिखाया है, प्रदेश के महाभ्रष्ट आईएएस भू-माफिया विवेक ढांढ ने। विवेक कुमार ढांढ भाजपा शासन काल से सरकार में तूती बोलते आई है। यह शख्स डॉ. रमन सिंह के मुख्यमंत्रित्वकाल में सरकार का नकचढ़ा और बेहद शातिर बुद्धि का महाभ्रष्ट आईएएस अधिकारी रहा है।

पूर्व आईएएस विवेक ढांड और वर्तमान रेरा अध्यक्ष संजय शुक्ला के भ्रष्टाचार की दास्तान

एक हजार करोड़ के एनजीओ घोटाला, शराब घोटाले का मास्टर माइंड, महादेव सट्टा एप और जमीन कब्जाने में शातिर इस शख्स पर यदि विष्णुदेव के सुशासन का चक्र चले तो निश्चय ही इसका जीवन का अंतिम क्षण जेल में ही कटेगा। मगर लगता है कि इसके पाप का घड़ा भरा नहीं है। तभी तो 23

रेरा चेयरमेन संजय शुक्ला की करोड़ों की बेनामी संपत्ति

रेरा चेयरमेन संजय शुक्ला पर करोड़ों रूपये की बेनामी संपत्ति रखने के गंभीर आरोप सामने आए हैं, जिससे प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। बताया जा रहा है कि कई जमीन, मकान और अन्य संपत्तियां उनके करीबी लोगों के नाम पर दर्ज हैं, जिनका संबंध कथित रूप से उनसे जोड़ा जा रहा है। आय से अधिक संपत्ति के एंगल से भी मामले की जांच की जा रही है और वित्तीय लेन-देन से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल जारी है। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद संबंधित एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं और आगे की कार्रवाई तथा जांच के परिणाम पर सभी की नजर बनी हुई है।

केंद्रीय जांच एजेंसियों की रडार पर विवेक ढांड

विवेक ढांड वर्तमान में कई बड़े घोटालों के आरोपों और केंद्रीय जांच एजेंसियों की रडार पर हैं, जिसमें 300 करोड़ से लेकर 6,000 करोड़ तक के बड़े वित्तीय घपले शामिल हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, विवेक ढांड पर 300 करोड़ से अधिक के जमीन घोटाले और हजारों करोड़ रूपये की बेनामी प्रॉपर्टी नेटवर्क बनाने का गंभीर आरोप हैं। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच एजेंसियां उनका पासपोर्ट जब्त कराने की तैयारी में जुटी हैं ताकि वे देश छाड़कर न जा सकें।

जुलाई 2024 को पारित आदेश के बावजूद इस भू-माफिया पर सरकार की मेहरबानी बरकरार है।

पूर्ववर्ती भूपेश सरकार के समय विवेक ढांड ने नवम्बर 2020 में सिविल लाईन स्थित नजूल की 01,53,3000 वर्गफीट जमीन को फ्री होल्ड किए जाने बाबत कुल 5 प्रकरण नजूल अधिकारी रायपुर के समक्ष विवेक कुमार ढांड व उनकी बहनों के नाम

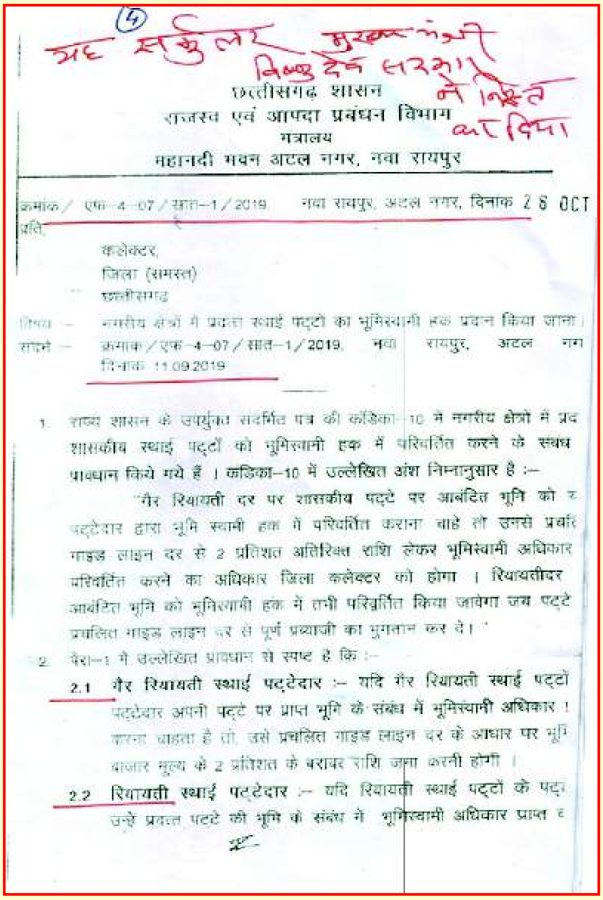

यह सर्कुलर मुख्यमंत्री विष्णुदेव सरकार ने निरस्त कर दिया

(5)

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन अटल नगर, नवा रायपुर

क्रमांक / एफ–4–07 / सात–1 / 2019 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 26 OCT

प्रति,
कलेक्टर,
जिला (समस्त)
छत्तीसगढ़

विषय – नगरीय क्षेत्रों में प्रदत्त स्थाई पट्टों का भूमिस्वामी हक प्रदान किया जाना।
संदर्भ – क्रमांक / एफ–4–07 / सात–1 / 2019, नवा रायपुर, अटल नग[र] दिनांक 11.09.2019

1. राज्य शासन के उपर्युक्त संदर्भित पत्र की कंडिका–10 में नगरीय क्षेत्रों में प्रद[त्त] शासकीय स्थाई पट्टों को भूमिस्वामी हक में परिवर्तित करने के स्पष्ट प्रावधान किये गये हैं। कंडिका–10 में उल्लेखित अंश निम्नानुसार है :–
"गैर रियायती दर पर शासकीय पट्टे पर आबंटित भूमि को [य]दि पट्टेदार द्वारा भूमि स्वामी हक में परिवर्तित कराना चाहे तो उनसे प्रच[लित] गाइड लाइन दर से 2 प्रतिशत अतिरिक्त राशि लेकर भूमिस्वामी अधिकार परिवर्तित करने का अधिकार जिला कलेक्टर को होगा। रियायती दर [पर] आबंटित भूमि को भूमिस्वामी हक में तभी परिवर्तित किया जावेगा जब पट्टे[दार] प्रचलित गाइड लाइन दर से पूर्ण प्रब्याजी का भुगतान कर दे।"

2. पैरा–1 में उल्लेखित प्रावधान से स्पष्ट है कि :–

2.1 गैर रियायती स्थाई पट्टेदार :– यदि गैर रियायती स्थाई पट्टों [के] पट्टेदार अपनी पट्टे पर प्राप्त भूमि के संबंध में भूमिस्वामी अधिकार [प्राप्त] करना चाहता है तो, उसे प्रचलित गाइड लाइन दर के आधार पर भूमि [के] बाजार मूल्य के 2 प्रतिशत के बराबर राशि जमा करनी होगी।

2.2 रियायती स्थाई पट्टेदार :– यदि रियायती स्थाई पट्टों के पट्टे[दार] उन्हें प्रदत्त पट्टे की भूमि के संबंध में भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त [करना चाहते हैं ...]

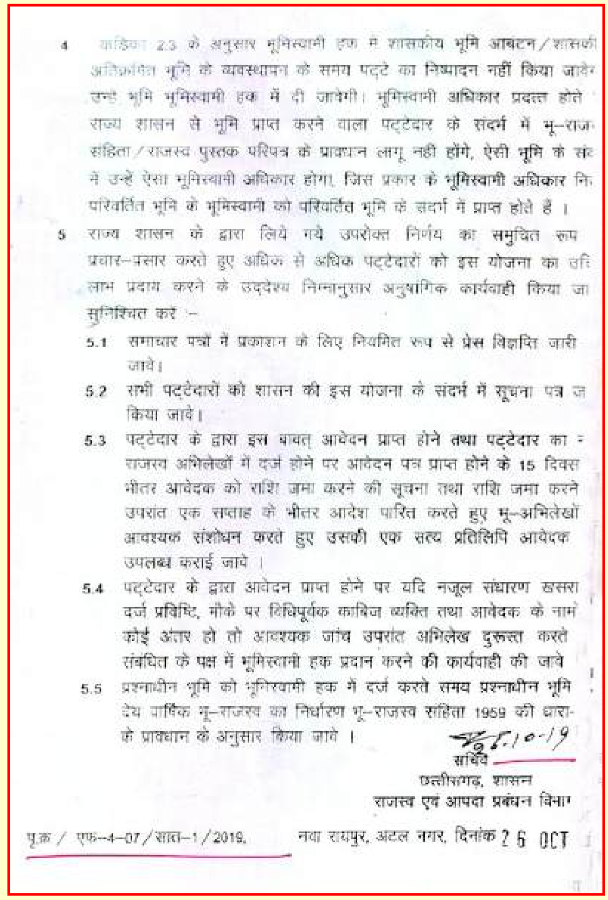

4. कंडिका 2.3 के अनुसार भूमिस्वामी हक में शासकीय भूमि आबंटन / शासकी[य] अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन के समय पट्टे का निष्पादन नहीं किया जावे[गा] उन्हें भूमि भूमिस्वामी हक में दी जावेगी। भूमिस्वामी अधिकार प्रदत्त होने [पर] राज्य शासन से भूमि प्राप्त करने वाला पट्टेदार के संदर्भ में भू–राज[स्व] संहिता / राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधान लागू नहीं होंगे, ऐसी भूमि के सं[बंध] में उन्हें ऐसा भूमिस्वामी अधिकार होगा, जिस प्रकार के भूमिस्वामी अधिकार नि[जी] परिवर्तित भूमि के भूमिस्वामी को परिवर्तित भूमि के संदर्भ में प्राप्त होते हैं।

5. राज्य शासन के द्वारा लिये गये उपरोक्त निर्णय का समुचित रूप [से] प्रचार–प्रसार करते हुए अधिक से अधिक पट्टेदारों को इस योजना का [अधिकतम] लाभ प्रदाय करने के उद्देश्य निम्नानुसार आनुषांगिक कार्यवाही किया जा[ना] सुनिश्चित करें :–

5.1 समाचार पत्रों में प्रकाशन के लिए नियमित रूप से प्रेस विज्ञप्ति जारी [की] जावे।

5.2 सभी पट्टेदारों को शासन की इस योजना के संदर्भ में सूचना पत्र ज[ारी] किया जावे।

5.3 पट्टेदार के द्वारा इस बाबत् आवेदन प्राप्त होने तथा पट्टेदार का [नाम] राजस्व अभिलेखों में दर्ज होने पर आवेदन पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस [के] भीतर आवेदक को राशि जमा करने की सूचना तथा राशि जमा करने [के] उपरांत एक सप्ताह के भीतर आदेश पारित करते हुए भू–अभिलेखों [में] आवश्यक संशोधन करते हुए उसकी एक सत्य प्रतिलिपि आवेदक [को] उपलब्ध कराई जावे।

5.4 पट्टेदार के द्वारा आवेदन प्राप्त होने पर यदि नजूल संधारण खसरा [में] दर्ज प्रविष्टि, मौके पर विधिपूर्वक काबिज व्यक्ति तथा आवेदक के नाम [में] कोई अंतर हो तो आवश्यक जांच उपरांत अभिलेख दुरूस्त करते [हुए] संबंधित के पक्ष में भूमिस्वामी हक प्रदान करने की कार्यवाही की जावे।

5.5 प्रश्नाधीन भूमि को भूमिस्वामी हक में दर्ज करते समय प्रश्नाधीन भूमि [पर] देय वार्षिक भू–राजस्व का निर्धारण भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा- के प्रावधान के अनुसार किया जावे।

26.10.19
सचिव
छत्तीसगढ़, शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

पृ.क्र / एफ–4–07 / सात–1 / 2019, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 26 OCT

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, विभग का यह वहीं सर्कुलर है, जिससे मुख्यमंत्री विष्णुदेव सरकार ने निरस्त कर दिया है। इस सर्कुलर को सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा प्रदेश के सभी कलेक्टर को जारी किया गया था। यह सर्कुलर 2019 में जारी हुआ था।

पर दर्ज नजूल जमीन की फर्जी रजिस्ट्री कूट रचित दस्तावेज 1964 में पिता सतपाल ढांड वल्द गौरीशंकर ढांड के नाम से तैयार कर लिए गए थे। जिनका सत्यापन आईएएस अधिकारी तारण प्रकाश सिन्हा ने किया था। सूत्रों प्राप्त जानकारी के अनुसार अब उसी जमीन का कुछ भाग विवेक ढांड ने 20 हजार रूपये प्रति वर्ग फु ट की दर से डी-मार्ट को बेच दी, जिसकी कीमत लगभग 300 करोड़ रूपये से उपर आंकी गई है।

पूर्ववर्ती भूपेश सरकार के समय विवेक ढांड ने नवम्बर 2020 में सिविल लाईन स्थित नजूल की 01,53,3000 वर्गफीट जमीन को फ्री होल्ड किए जाने बाबत कुल 5 प्रकरण नजूल अधिकारी रायपुर के समक्ष विवेक कुमार ढांड व उनकी बहनों के नाम पर दर्ज नजूल जमीन की फर्जी रजिस्ट्री कूट रचित दस्तावेज 1964 में पिता सतपाल ढांड वल्द गौरीशंकर ढांड के नाम से तैयार कर लिए गए थे।

Name of Officer (in full) : VIVEK KUMAR DHAND
Present post held : Principal Secretary, Govt. of Chhattisgarh
Cadre of the State on which borne in applicable cause to be struck out : C.G. (1981)
Present Pay : Rs. 79,000/-

Name of Distt Sub-Divn. Taluka and Village in which property is situated	Name and details of property		Present Value	If not in own name, state in whose name held his/her relationship to the member or the service	How acquired whether by purchase lease of mortgage inheritance gift of otherwise with date of acquisition and name with details of person/ persons from whom acquired	Annual Income from the property
	Housing & Other Building	Lands				
1	2	3	4	5	6	7
Raipur city Dist. Raipur(C.G)	House property at Civil Lines, Raipur	About 17,592 Sq.Ft.	Rs. 39-00 lacs App.	VIVEK KUMAR DHAND -HUF (Declarant is KARTA of HUF)	By partition of SATPAL DHAND (HUF) in the year 1976	Rs. 5.80 lacs
2. Raipur city Dist. Raipur(C.G.)	House property at Civil Lines, Raipur Ground Floor about 12000 Sq.Ft	About 58000 Sq.Ft.	Rs. 96-00 lacs App.	Co-parcener interest in the property owned by SATPAL DHAND (HUF)	Co-parcener. HUF was created in the year 1969	Rs. 14.40 lacs
3. Village Dharampura, Tah.Raipur Distt. Raipur (C.G.)	Plot No. 32, (Old Chowkidar Hut existing)	6723 Sq.Ft.	Was bought from C.G.Housing Board for Rs 7.06 lacs in the year 2008	Own name (Jointly owned along with wife Mrs Deepika Dhand)	Lease hold property Purchased from C.G. Housing Board in the year 2008.	Nil
4. Mova, Distt Raipur (C.G.)	Agricultural land	0.428 hectare	Was bought by my mother in the year 2004, for Rs 12.00 lacs	Own name	Inherited from mother Late Smt. Rajkumari Dhand after her death, Mutation in my name on 21/9/2010	Nil

100 रु० वर्ग फिट में

Note: (i) Value of the properties in (1) & (2) above are based on the rent received from them.

23-01-12
(VIVEK DHAND)
Principal Secretary,
Govt. of Chhattisgarh

यह विवेक ढांड की संपत्तियां हैं, जो उन्होंने 23 जनवरी 2012 को दर्शायी थी। इसमें उन्होंने प्लॉट, जमीन, घर और कृषि भूमि का जिक्र किया है। इन प्रापर्टी में सभी रायपुर में स्थित हैं। विवेक ढांड ने रायपुर में पट्टे की जमीन का जिक्र नहीं किया है, जिस पर आपत्तियां जाहिर की जा रही हैं।

फाईल फोटो

कौन हैं विवेक ढांड

विवेक ढांड 1981 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वह छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं। ढांड 01 मार्च 2014 को राज्य के मुख्य सचिव बने थे। उनके नाम सबसे लंबे समय तक मुख्य सचिव बने रहने का रिकॉर्ड है। वह 03 साल 07 महीने से ज्यादा समय तक राज्य के मुख्य सचिव रहे। विवेक ढांड भूपेश बघेल की सरकार में नवाचार आयोग के अध्यक्ष पद पर काम कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार जाने के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।

केवल एक क्विंटल बीस किलो प्रति एकड़ मूंग खरीद रही मध्यप्रदेश सरकार

केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और सीएम मोहन यादव के खिलाफ किसानों का फूटा आक्रोश

विजया पाठक

मध्यप्रदेश के अधिकांश जिलों में किसानों का प्रदर्शन

मध्यप्रदेश के किसानों की मुसीबतें कम होती दिखाई नहीं दे रही हैं। पहले गेंहू को बेचने में किसानों ने परेशानी झेली अब मूंग को लेकर भी वहीं स्थिति बन रही है। मूंग बेचने पर तो दोहरी मार पड़ने वाली है। क्योंकि मप्र सरकार ने फैसला किया है कि वह केवल प्रति एकड़ एक क्विंटल बीस किलो ही मूंग खरीद सकेगी। जबकि प्रति एकड़ मूंग 7-8 प्रति क्विंटल पैदा हुई है। ऐसी स्थिति में बाकी की मूंग को किसान कहां बेचेगा। स्वाभाविक है मजबूरन बाजार में व्यापारियों को मूंग बेचने पर मजबूर होगा। जबकि मूंग का सरकारी समर्थन मूल्य 8800 रूपये प्रति क्विंटल है। सरकार के इस फैसले से पूरे प्रदेश में केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और सीएम डॉ. मोहन यादव के खिलाफ किसानों का आक्रोश फूट पड़ा है। पूरे प्रदेश में कांग्रेस के साथ मिलकर किसान सड़कों पर उतर आये हैं। किसानों के धरने, प्रदर्शन ने मोहन सरकार को सकते में डाल दिया है। मध्यप्रदेश

सरकार ने ग्रीष्म मूंग का उत्पादन लगभग 20 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया है और इस बार बरसात में देरी के कारण पैदावार भी अच्छी हुई है। अब जब पैदावार बेहतर हुई है तो खरीदने में सरकार की सांसें फूल रही हैं। दूसरी तरफ मोहन सरकार 2026 को कृषि कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है। अब किसान सवाल कर रहे हैं कि यह कैसा कृषि कल्याण वर्ष है।

> **मोहन सरकार 2026 को कृषि कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है। अब किसान सवाल कर रहे हैं कि यह कैसा कृषि कल्याण वर्ष है।**

शिवराज और मोहन यादव की कथनी और करनी में अंतर

जब प्रदेश में मूंग की फसल खेतों में तैयार हो रही थी तब केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री मोहन यादव मंचों से घोषणा करते थकते नहीं थे कि किसानों की मेहनत बर्बाद नहीं होने देंगे और मूंग को समर्थन मूल्य पर ही खरीदेंगे। हालांकि यहां पर इन्होंने चालाकी जरूर दिखाई कि यह नहीं बताया कि कितनी मात्रा में खरीदेंगे लेकिन किसान को लगा कि सरकार पूरी मात्रा में ही मूंग की खरीदी करेगी। यही कारण है कि किसानों का गुस्सा अब सातवें आसमान पर पहुंच गया है।

MSP और बाजार भाव के बीच बढ़ती खाई

सरकार हर साल मूंग के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) घोषित करती है, ताकि किसानों को उनकी लागत से कम

क्विंटल के बीच ही दाम मिल रहे हैं। जब सरकारी खरीद नहीं होती, तो किसान मजबूरी में निजी व्यापारियों को अपनी उपज बेच देते हैं। व्यापारी इसी स्थिति का फायदा उठाकर कम कीमत पर खरीदारी करते हैं।

लागत बढ़ने और मुनाफा घटने की समस्या

किसान केवल फसल उगाने में ही नहीं, बल्कि बीज, खाद, सिंचाई, श्रम और परिवहन में भी भारी खर्च करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में इन सभी इनपुट लागतों में लगातार वृद्धि हुई है। लेकिन मूंग का बाजार भाव उसी अनुपात में नहीं बढ़ा। इस असंतुलन के कारण किसान लागत निकालना भी मुश्किल समझ रहे हैं। कई

किसानों की नाराजगी से सकते में मोहन सरकार

दाम न मिलें। 2026 के आसपास मूंग का MSP लगभग 8800 प्रति क्विंटल है। लेकिन हकीकत यह है कि मंडियों में किसानों को कई बार 6000 से 7000 प्रति

किसानों का कहना है कि अगर फसल MSP पर भी नहीं बिकती, तो वे घाटे में चले

मंडियों का दबाव

जब सरकारी खरीद सीमित होती है, तो पूरा दबाव निजी मंडियों पर आ जाता है। वहां भाव पूरी तरह मांग और आपूर्ति पर निर्भर होते हैं। जैसे ही नई फसल बाजार में आती है, कीमतें तेजी से गिर जाती हैं। कई जिलों में देखा गया है कि शुरूआती दिनों में भाव ठीक रहते हैं, लेकिन जैसे-जैसे आवक बढ़ती है, रेट गिरकर लागत के करीब या उससे नीचे पहुंच जाते हैं। इससे किसानों की मेहनत का लाभ बिचौलियों और व्यापारियों को मिल जाता है।

जाते हैं। किसानों की एक बड़ी चिंता नीति की अनिश्चितता भी है। कभी खरीद की घोषणा होती है, कभी प्रक्रिया देर से शुरू होती है, तो कभी सीमित कोटा तय कर दिया जाता है। इससे किसान यह तय नहीं कर पाते कि कौनसी फसल लाभकारी रहेगी। मप्र सरकार ने कुछ वर्षों में राज्य ने मूंग की खरीद प्रक्रिया को लेकर स्पष्टता नहीं दी, जिससे किसानों का भरोसा कमजोर हुआ है और उन्होंने फसल पैटर्न बदलना शुरूकर दिया है। किसानों को उत्पादन जोखिम के साथ-साथ बाजार जोखिम भी झेलना पड़ता है, जिससे यह फसल पहले जैसी कम जोखिम वाली नहीं रह गई है।

मध्यप्रदेश, जिसे भारत का दलहन राज्य भी कहा जाता है, देश में मूंग (हरी मूंग) उत्पादन के प्रमुख केंद्रों में से एक है। यहाँ के नर्मदापुरम, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, रायसेन, सीहोर और देवास जैसे जिलों में हर साल हजारों किसान ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती करते हैं।

गौरतलब है कि मध्यप्रदेश, जिसे भारत का दलहन राज्य भी कहा जाता है, देश में मूंग (हरी मूंग) उत्पादन के प्रमुख केंद्रों में से एक है। यहाँ के नर्मदापुरम, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, रायसेन, सीहोर और देवास जैसे जिलों में हर साल हजारों किसान ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती करते हैं। यह फसल कम पानी में, कम समय में और अपेक्षाकृत बेहतर मुनाफे के लिए जानी जाती है। लेकिन हाल के वर्षों में यही फसल किसानों के लिए परेशानी और घाटे का कारण बनती जा रही है। इस साल भी स्थिति

छोटे और मध्यम किसानों को सबसे ज्यादा मार

मध्य प्रदेश के ज्यादातर मूंग उत्पादक छोटे और सीमांत किसान हैं, जिनके पास भंडारण की सुविधा नहीं होती। ऐसे किसान फसल को लंबे समय तक रोककर नहीं रख सकते, इसलिए उन्हें तुरंत मंडी में बेचना पड़ता है। यही वजह है कि बड़े व्यापारी और आढ़ती इस स्थिति का फायदा उठाते हैं और कम दामों पर खरीद कर मुनाफा कमाते हैं।

कुछ अलग नहीं है। मूंग की फसल के बावजूद किसानों को मजबूरी में कम दामों पर अपनी उपज बेचनी पड़ रही है। इसके पीछे कई आर्थिक, प्रशासनिक और नीतिगत कारण हैं, जिन्होंने किसानों की कमर तोड़ दी है। मध्य प्रदेश के किसान आज एक ऐसे चक्रमें फंसे हुए हैं, जहां उत्पादन तो अच्छा है लेकिन लाभ नहीं मिल रहा। मूंग जैसी नकदी फसल, जो कभी किसानों के लिए उम्मीद थी, अब अनिश्चितता और बाजार के दबाव का प्रतीक बनती जा रही है। जब तक MSP पर भरोसेमंद और समय पर खरीद सुनिश्चित नहीं होती, तब तक किसानों को कम दामों पर फसल बेचने की मजबूरी बनी रहेगी। यह केवल आर्थिक समस्या नहीं, बल्कि कृषि नीति और बाजार संरचना से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा है, जिस पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है।

मध्यप्रदेश को देश के प्रमुख दलहन उत्पादक राज्यों में गिना जाता है। यहां की जलवायु और मिट्टी मूंग, उड़द, चना तथा अन्य दलहनी फसलों के लिए अनुकूल मानी जाती है। विशेष रूप से खरीफ मौसम की मूंग किसानों के लिए नकदी फसल का काम करती है। सरकार भी समय-समय पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर दलहन खरीद की घोषणा करती है ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। लेकिन जब मध्यप्रदेश सरकार प्रति एकड़ केवल एक क्विंटल बीस किलो (1.20 क्विंटल) मूंग खरीदने की सीमा निर्धारित करती है, तब यह निर्णय किसानों के बीच असंतोष का कारण बन जाता है। किसानों का कहना है कि यह सीमा वास्तविक उत्पादन से मेल नहीं खाती और उन्हें अपनी बड़ी मात्रा में उपज खुले बाजार में कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यह मुद्दा केवल खरीद सीमा तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे किसानों की आय, सरकारी कृषि नीति, समर्थन मूल्य व्यवस्था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी व्यापक प्रभाव पड़ता है।

मध्यप्रदेश के अधिकांश किसान खरीफ मौसम में मूंग की खेती करते हैं। आधुनिक बीज, उन्नत कृषि तकनीकों, सिंचाई

सुविधाओं और वैज्ञानिक खेती के कारण कई क्षेत्रों में प्रति एकड़ मूंग का उत्पादन तीन से छह क्विंटल तक पहुंच जाता है। कुछ सिंचित क्षेत्रों में इससे भी अधिक उत्पादन दर्ज किया जाता है। ऐसे में यदि सरकार केवल 1.20 क्विंटल प्रति एकड़ ही खरीदती है, तो किसान की अधिकांश उपज समर्थन मूल्य के दायरे से बाहर रह जाती है। मान लीजिए किसी किसान के पास दस एकड़ भूमि है और उसने प्रति एकड़ चार क्विंटल उत्पादन प्राप्त किया है। कुल उत्पादन चालीस क्विंटल होगा, जबकि सरकारी सीमा के अनुसार केवल बारह क्विंटल ही समर्थन मूल्य पर खरीदे जाएंगे। शेष अट्ठाईस क्विंटल किसान को खुले बाजार में बेचना पड़ेगा। यदि बाजार भाव समर्थन मूल्य से काफी कम है, तो किसान को हजारों रूपये का सीधा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।

सरकार का तर्क होता है कि खरीद सीमा निर्धारित करने का उद्देश्य फर्जी पंजीकरण रोकना, दूसरे राज्यों की उपज की खरीद रोकना तथा सरकारी वित्तीय बोझ को नियंत्रित करना है। कई बार कुछ व्यापारी किसानों के नाम पर दूसरे राज्यों की उपज बेचने का प्रयास करते हैं। ऐसे मामलों को रोकने के लिए उत्पादन का औसत निर्धारित किया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वास्तविक उत्पादन करने वाले किसानों को भी उसी पैमाने पर सीमित कर देना उचित है? आज कृषि तकनीक पहले जैसी नहीं रही। उन्नत किस्मों के बीज, ड्रिप सिंचाई, जैविक एवं रासायनिक पोषण तथा वैज्ञानिक प्रबंधन से उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यदि सरकार आज भी पुराने औसत उत्पादन के आधार पर खरीद सीमा तय करती है, तो यह किसानों के साथ न्याय नहीं माना जा सकता। इस निर्णय का सबसे अधिक प्रभाव छोटे और मध्यम किसानों पर पड़ता है। उन्होंने महंगे बीज खरीदे, खाद एवं कीटनाशकों पर खर्च किया, सिंचाई कराई और मजदूरी दी। खेती की लागत लगातार बढ़ रही है। ऐसे में किसान की अपेक्षा रहती है कि कम से कम उसकी उपज का उचित मूल्य मिले। लेकिन जब बड़ी मात्रा में उपज कम दाम पर बेचनी पड़ती है, तब खेती लाभ का नहीं बल्कि घाटे का सौदा बन जाती है। समर्थन मूल्य व्यवस्था का मूल उद्देश्य किसानों को बाजार की अनिश्चितता से बचाना है। यदि सरकार स्वयं खरीद की मात्रा सीमित कर दे, तो समर्थन मूल्य की अवधारणा कमजोर पड़ जाती है। कागजों पर एमएसपी घोषित होने का लाभ तभी है जब किसान अपनी पूरी या अधिकांश उपज उस मूल्य पर बेच सके।

यह स्थिति केवल आर्थिक नुकसान तक सीमित नहीं रहती। किसानों में निराशा बढ़ती है। वे अगली बार मूंग जैसी दलहनी फसलों की खेती कम करने लगते हैं। इसका असर देश के दलहन उत्पादन पर भी पड़ सकता है। भारत पहले से ही कई दलहनी फसलों की मांग पूरी करने के लिए आयात पर निर्भर रहा है। यदि किसानों का रूझान दलहन से घटेगा, तो भविष्य में आयात बढ़ने की संभावना भी बढ़ सकती है।

विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को खरीद सीमा तय करने के बजाय वास्तविक उत्पादन के वैज्ञानिक आकलन की व्यवस्था विकसित करनी चाहिए। आज उपग्रह तकनीक, ड्रोन सर्वे, भू-अभिलेख, डिजिटल फसल पंजीकरण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी आधुनिक तकनीकों के माध्यम से किसी क्षेत्र का वास्तविक उत्पादन अनुमानित किया जा सकता है। यदि किसी किसान ने वास्तव में अधिक उत्पादन किया है, तो उसे समर्थन मूल्य से वंचित करना उचित नहीं होगा। कृषि अर्थशास्त्रियों का यह भी सुझाव है कि प्रत्येक जिले की उत्पादकता अलग-अलग होती है। कहीं सिंचित क्षेत्र हैं तो कहीं वर्षा आधारित खेती। इसलिए पूरे प्रदेश के लिए एक समान खरीद सीमा निर्धारित करने के बजाय जिला अथवा विकासखंड स्तर पर औसत उत्पादकता के आधार पर सीमा तय की जानी चाहिए। इससे अधिक न्यायसंगत व्यवस्था बन सकती है। सरकार यदि चाहे

तो किसानों से पूरी उपज खरीदने के बजाय उत्पादन सत्यापन की मजबूत व्यवस्था भी लागू कर सकती है। फसल पंजीयन, भू-अभिलेख, मौसम आधारित उत्पादन अनुमान तथा मंडी रिकॉर्ड का समन्वय करके वास्तविक किसानों की पहचान की जा सकती है। इससे फर्जी खरीद पर भी रोक लगेगी और ईमानदार किसानों को नुकसान भी नहीं होगा।

मध्यप्रदेश सरकार ने पिछले वर्षों में कृषि क्षेत्र में अनेक सकारात्मक पहल की हैं। सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार, किसान सम्मान निधि, फसल बीमा, कृषि यंत्रीकरण तथा विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं से किसानों को लाभ मिला है। लेकिन यदि खरीद नीति वास्तविक परिस्थितियों के अनुरूप नहीं होगी, तो इन योजनाओं का पूरा लाभ किसानों तक नहीं पहुंच पाएगा। किसानों का यह भी कहना है कि सरकार यदि उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्नत तकनीक अपनाने का संदेश देती है, तो अधिक उत्पादन होने पर उसी किसान को खरीद सीमा के कारण दंडित नहीं किया जाना चाहिए। अधिक उत्पादन करने वाले किसान को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, न कि उसकी उपज समर्थन मूल्य से बाहर कर दी जाए। यह भी ध्यान देने योग्य है कि खुले बाजार में जब अधिक मात्रा में मूंग आती है, तब कीमतें तेजी से गिर जाती हैं। व्यापारी किसानों की मजबूरी का लाभ उठाते हैं। किसान के पास भंडारण की पर्याप्त सुविधा नहीं होती और उसे तत्काल भुगतान की आवश्यकता रहती है। परिणामस्वरूप वह कम कीमत पर भी उपज बेचने को मजबूर हो जाता है। यदि सरकार खरीद सीमा बढ़ा दे, तो बाजार में मूल्य संतुलन भी बना रह सकता है। समाधान के रूप में सरकार को कई कदमों पर विचार करना चाहिए। सबसे पहले खरीद सीमा का पुनर्मूल्यांकन किया जाए और उसे वर्तमान उत्पादकता के अनुरूप बनाया जाए। दूसरा, जिलावार

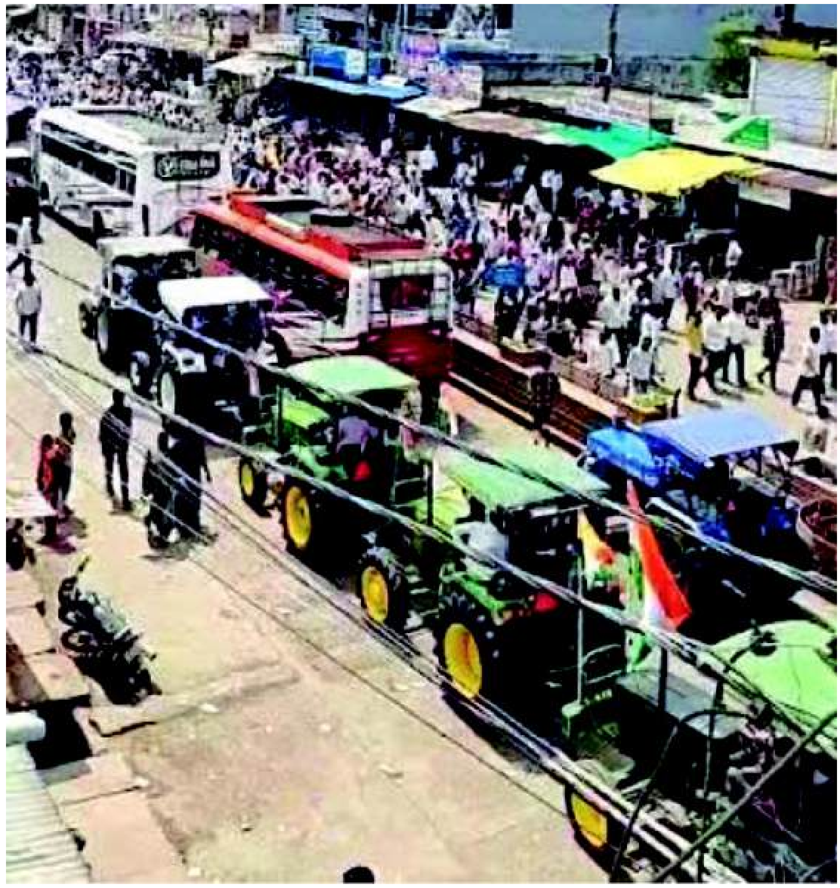

औसत उत्पादन के आधार पर खरीद सीमा निर्धारित की जाए। तीसरा, डिजिटल सत्यापन प्रणाली को मजबूत किया जाए ताकि फर्जी खरीद पर रोक लगे। चौथा, किसानों के लिए पर्याप्त भंडारण एवं प्रसंस्करण सुविधाओं का विस्तार किया जाए। पांचवां, यदि किसी कारणवश पूरी खरीद संभव न हो तो मूल्य अंतर की भरपाई जैसी योजनाओं पर भी विचार किया जा सकता है।

कृषि केवल उत्पादन का विषय नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की आजीविका का आधार है। यदि किसान को उसकी मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिलेगा, तो कृषि क्षेत्र में निवेश और उत्पादन दोनों प्रभावित होंगे। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना तभी साकार होगी जब किसान आर्थिक रूप से मजबूत होगा और उसकी उपज का न्यायपूर्ण मूल्य सुनिश्चित किया जाएगा। यह कहा जा सकता है कि प्रति एकड़ केवल एक क्विंटल बीस किलो मूंग खरीदने की सीमा किसानों के बीच गंभीर चिंता का विषय है। सरकार की मंशा यदि पारदर्शिता बनाए रखने और अनियमितताओं पर रोक लगाने की है, तो इसके लिए आधुनिक तकनीक और प्रभावी निगरानी तंत्र का उपयोग अधिक उपयुक्त विकल्प हो सकता है। वास्तविक उत्पादन करने वाले किसानों को समर्थन मूल्य का पूरा लाभ मिलना चाहिए। कृषि नीति का उद्देश्य केवल खरीद को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि किसान की आय बढ़ाना और उसे आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना होना चाहिए। यदि सरकार समय रहते इस नीति की समीक्षा करती है, तो इससे किसानों का विश्वास भी मजबूत होगा और प्रदेश में दलहन उत्पादन को भी नई गति

मेरे लिए उद्योग केवल निवेश नहीं, राष्ट्र निर्माण का संकल्प है

कमलनाथ

भारत के विकास की कहानी केवल आंकड़ों की कहानी नहीं है, बल्कि यह उन सपनों की कहानी है जिन्हें समय-समय पर दूरदर्शी नेतृत्व ने दिशा दी। मुझे गर्व है कि मुझे अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में देश की औद्योगिक प्रगति के इस सफर का सहभागी बनने का अवसर मिला। जब मैं केंद्र सरकार में विभिन्न महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा था, तब मेरा एक ही उद्देश्य था- भारत को आत्मविश्वासी, आत्मनिर्भर और औद्योगिक रूप से सशक्त राष्ट्र बनाना। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने जिस आधुनिक भारत का सपना देखा था, वह केवल सूचना प्रौद्योगिकी तक सीमित नहीं था। उनका लक्ष्य भारत को विज्ञान, तकनीक, उद्योग और नवाचार के क्षेत्र में विश्व की अग्रणी शक्तियों में शामिल करना था। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उनके उस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाने का अवसर मिला।

मैं हमेशा मानता रहा हूं कि उद्योग केवल बड़े-बड़े कारखानों का नाम नहीं है। उद्योग रोजगार पैदा करता है, युवाओं को अवसर देता है, किसानों की आय बढ़ाता है, छोटे व्यापारियों को बाजार उपलब्ध कराता है और किसी भी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को नई गति देता है। यही सोच मेरे प्रत्येक निर्णय के केंद्र में रही। यह सच है कि बिना प्रशिक्षण के रोजगार नही मिलता है। इसलिए मैंने छिंदवाड़ा में कई स्किल सेंटर

शुरू किये। जहां हजारों बच्चे विभिन्न क्षेत्रों में स्किल्ड पाकर देश-विदेश में जॉब कर रहे

> **यदि भारत को वास्तविक अर्थो में विकसित बनाना है तो उद्योगों का विस्तार देश के हर राज्य और हर क्षेत्र तक होना चाहिए। इसी सोच के साथ हमने देश के अनेक राज्यों में निवेश को बढ़ावा देने का प्रयास किया।**

हैं। जब मैं केंद्र में उद्योग एवं वाणिज्य सहित विभिन्न मंत्रालयों का दायित्व संभाल रहा था, तब मैंने कभी यह नहीं सोचा कि विकास केवल दिल्ली, गुरूग्राम, नोएडा, मुंबई, सूरत या बेंगलुरु जैसे महानगरों तक सीमित रहना चाहिए। मेरा स्पष्ट विश्वास था कि यदि भारत को वास्तविक अर्थों में विकसित बनाना है तो उद्योगों का विस्तार देश के हर राज्य और हर क्षेत्र तक होना चाहिए। इसी सोच के साथ हमने देश के अनेक राज्यों में निवेश को बढ़ावा देने का प्रयास किया। मेरा हमेशा प्रयास रहा कि उद्योग वहां जाएं, जहां रोजगार की सबसे अधिक आवश्यकता है। भारत का प्रत्येक युवा अपने ही प्रदेश और अपने ही जिले में सम्मानजनक रोजगार प्राप्त कर सके, यही

मेरी प्राथमिकता रही।

मध्यप्रदेश से मेरा विशेष भावनात्मक रिश्ता रहा है। मैंने हमेशा महसूस किया कि प्राकृतिक संसाधनों, कृषि क्षमता और भौगोलिक स्थिति के बावजूद यह प्रदेश अपनी औद्योगिक संभावनाओं का पूरा लाभ नहीं उठा पा रहा था। इसलिए जब भी अवसर मिला, मैंने मध्यप्रदेश में निवेश आकर्षित करने, औद्योगिक वातावरण विकसित करने और नए उद्योगों की स्थापना के लिए हरसंभव प्रयास किए। मेरा विश्वास था कि किसी भी राज्य का विकास केवल सरकारी योजनाओं से संभव नहीं होता। जब तक निजी निवेश, उद्योग, व्यापार और उद्यमिता को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, तब तक व्यापक आर्थिक परिवर्तन नहीं आ सकता। इसी सोच के साथ उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने पर लगातार कार्य किया गया।

मैंने हमेशा निवेशकों से कहा कि मध्यप्रदेश केवल एक राज्य नहीं, बल्कि संभावनाओं की भूमि है। यहां पर्याप्त भूमि है, प्राकृतिक संसाधन हैं, मेहनतकश युवा हैं और देश के मध्य में स्थित होने के कारण उत्कृष्ट भौगोलिक स्थिति भी उपलब्ध है। यदि इन सभी विशेषताओं का सही उपयोग

मेरा विश्वास था कि किसी भी राज्य का विकास केवल सरकारी योजनाओं से संभव नहीं होता। जब तक निजी निवेश, उद्योग, व्यापार और उद्यमिता को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, तब तक व्यापक आर्थिक परिवर्तन नहीं आ सकता। इसी सोच के साथ उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने पर लगातार कार्य किया गया।

किया जाए तो मध्यप्रदेश देश का अग्रणी औद्योगिक राज्य बन सकता है। मेरे लिए उद्योग लगाने का अर्थ केवल फैक्ट्री स्थापित करना नहीं था। मैं चाहता था कि उद्योगों के साथ सड़कें बनें, बिजली पहुंचे, कौशल विकास हो, छोटे व्यवसाय विकसित हों और स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले। किसी भी उद्योग की वास्तविक सफलता तभी होती है जब उसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्तितक पहुंचे।

विकास किसी एक व्यक्ति या एक सरकार की संपत्ति नहीं होता। यदि कोई अच्छी योजना आगे बढ़ती है और जनता को उसका लाभ मिलता है तो इससे बड़ी संतुष्टि किसी जनप्रतिनिधि के लिए नहीं हो सकती। मैं हमेशा इस बात का पक्षधर रहा हूं कि सरकारों को विकास के प्रश्न पर राजनीतिक सीमाओं से ऊपर उठकर कार्य करना चाहिए। यदि किसी पूर्व सरकार ने कोई अच्छा कार्य किया है तो उसे रोकना

नहीं, बल्कि आगे बढ़ाना चाहिए। यही लोकतंत्र की परिपक्वता और सुशासन की पहचान है।

औद्योगिक विकास के साथ-साथ मैंने लघु, कुटीर और मध्यम उद्योगों को भी समान महत्व दिया। मेरा मानना रहा है कि भारत की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति हमारे छोटे उद्यमी हैं। यदि उन्हें पूंजी, तकनीक और बाजार उपलब्ध कराया जाए तो वे देश की अर्थव्यवस्था को नई उंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। आज पूरी दुनिया तकनीक और नवाचार के युग में प्रवेश कर चुकी है। ऐसे समय में भारत के लिए यह आवश्यक है कि हम आधुनिक उद्योगों, सूचना प्रौद्योगिकी, विनिर्माण, निर्यात और अनुसंधान को प्राथमिकता दें। यह केवल आर्थिक विकास का विषय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता का भी प्रश्न है।

मैंने हमेशा युवाओं को भारत की सबसे बड़ी पूंजी माना है। यदि उन्हें अवसर, प्रशिक्षण और संसाधन मिलें तो वे दुनिया में किसी से पीछे नहीं हैं। इसलिए मेरी सोच हमेशा रोजगार सृजन केंद्रित रही। उद्योगों का विस्तार युवाओं के भविष्य को सुरक्षित बनाने का सबसे प्रभावी माध्यम है। मुझे इस बात का भी संतोष है कि आज देश में औद्योगिकीकरण, विनिर्माण और आत्मनिर्भरता को लेकर जो व्यापक वातावरण बना है, उसमें अतीत में किए गए अनेक प्रयासों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। विकास एक सतत प्रक्रिया है और प्रत्येक पीढ़ी उसमें अपना योगदान देती है।

मेरे सार्वजनिक जीवन का मूल मंत्र हमेशा यही रहा है कि राजनीति का उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए स्थायी परिवर्तन लाना होना चाहिए। यदि मेरे प्रयासों से देश के किसी युवा को रोजगार मिला, किसी परिवार की आय बढ़ी, किसी जिले में उद्योग स्थापित हुआ या किसी राज्य के विकास को नई गति मिली, तो मैं इसे अपने सार्वजनिक जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूं। भारत के पास अपार संभावनाएं हैं। हमें केवल उन संभावनाओं को सही दिशा देने की आवश्यकता है। मेरा विश्वास है कि यदि उद्योग, कृषि, तकनीक और कौशल विकास एक साथ आगे बढ़ें तो भारत विश्व की अग्रणी आर्थिक शक्तियों में स्थायी स्थान प्राप्त करेगा।

यही मेरा विश्वास था, यही मेरा प्रयास रहा और यही मेरा संकल्प आज भी है कि विकास का लाभ देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, उद्योगों की रोशनी महानगरों से निकलकर गांवों और छोटे शहरों तक पहुंचे और भारत आर्थिक समृद्धि के साथ सामाजिक न्याय का भी उदाहरण बने। यही सच्चे अर्थों में राष्ट्र निर्माण का मार्ग है।

(लेखक, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हैं)

भारतीय राजनीति का अध:पतन

रघु ठाकुर

भारतीय राजनीति निरंतर पतन से अध:पतन की ओर बढ़ रही है। 30 जनवरी 1948 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के बाद सत्ताधारी कांग्रेस का नेतृत्व लगभग नियंत्रण मुक्त हो गया था। जो लोकप्रियता खोने के भय या सम्मान के चलते महात्मा गांधी की सलाह कुछ सुनी या मानी जाती थी उसकी भी संभावना समाप्त हो गई थी। 1952 के बाद कांग्रेस सरकार ने अपने वर्चस्व को बनाये रखने के लिये कई प्रकार के अनैतिक उपक्रम शुरू किये। केरल की विरोधी सरकार को दलबदल कर गिराया और ऐसे कई प्रयोग कालान्तर में 1957 और 1962 के बाद कई सूबों में किये गये। विंदेश्वरी प्रसाद मंडल जिनके नाम से मंडल कमीशन जाना जाता है, वे बिहार के मधेपुरा से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के विधायक चुनकर आये थे और राज्य सरकार में मंत्री थे। उस समय की कांग्रेस पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री पद का लालच दिया, सरकार गिराई गई और कुछ समय के लिये वे मंत्री बने और फिर उन्हें भी हटा दिया गया। बाद में वही विंदेश्वरी मंडल 1969 में कांग्रेस के विभाजन के समय संगठन कांग्रेस याने मुरारजी कांग्रेस के साथ चले गये। उनके इन्हीं रिश्तों के चलते जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जब जनता पार्टी की सरकार से उपप्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को मंत्रीमंडल से हटाया गया, तब उनके जनाधार को कम करने के लिये जनता पार्टी के तत्कालीन नेतृत्व ने पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिये आयोग बनाने की बात स्वीकार की और जब वह आयोग बना तब उसका अध्यक्ष उन्हीं वी.पी. मंडल को बनाया, जो पिछड़े वर्ग को धोखा देकर कांग्रेस के हाथ के खिलौना बने थे।

देश में दलबदल की शुरूआत कराने वाली भी कांग्रेस और उसके मुखिया थे।

जहां कहीं भी प्रतिपक्ष का आधार बढ़ा उसे कमजोर करने के लिये कांग्रेस नेतृत्व ने हर प्रकार के हथकंडे अपनाये। दल के भीतर रहकर, दल के निर्णय के खिलाफ कार्य करने की परिपाटी भी कांग्रेस ने ही शुरू की थी। 1969 में कांग्रेस के विभाजन का एक कारण यह भी था कि कांग्रेस संगठन व सरकार के बीच गहरे मतभेद व टकराव थे। स्व. जवाहर लाल नेहरू ने यह परिपाटी शुरू कर दी थी कि संगठन की तुलना में सत्ता सर्वोपरि है और उन्होंने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में धीरे-धीरे सत्ता का केंद्रीयकरण किया इसके परिणामस्वरूप या तो संगठन को अप्रभावी बनाया या अपने कब्जे में ले लिया। स्व. जवाहर लाल नेहरू के जीवनकाल में श्रीमती इंदिरा गांधी कार्यवाहक अध्यक्ष बनी थीं तथा वह सरकार के निर्णयों को प्रभावित करने लगी थी। राजनैतिक निर्णयों को करने के लिये स्वतः प्रधानमंत्री पार्टी के नेताओं को इंदिरा जी के पास जाने के इशारे देने लगे थे। एक प्रकार से अप्रत्यक्ष, अलिखित सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसी प्रक्रिया को 1971 के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने आगे बढ़ाया तथा अप्रत्यक्ष व अलिखित तौर पर सत्ता का नियंत्रक अपने बेटे संजय गांधी को बनाया था। 1969 में कांग्रेस संसदीय बोर्ड ने राष्ट्रपति पद के लिये स्वः नीलम संजीव रेड्डी को प्रत्याशी बनाया, इस पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में प्रधानमंत्री के तौर पर श्रीमती इंदिरा गांधी उपस्थित थीं। उन्होंने न किसी नाम का प्रस्ताव किया और न कोई राय दी व चुप बैठी रहीं तथा बाद में वीवी गिरि को निर्दलीय तौर पर खड़ा कराया, उनका समर्थन किया, कांग्रेस प्रत्याशी को हराकर निर्दलीय प्रत्याशी को ऐनकेन प्रकारेण जिताया। कांग्रेस में अनुशासनहीनता की विधिवत और उच्च स्तरीय शुरूआत तो स्वतः श्रीमती गांधी ने की थी। इसी प्रकार की अनेकों घटनाओं का उल्लेख किया जा सकता है, उन्होंने पार्टी को व्यक्ति केन्द्रित या स्वःकेन्द्रित बनाया। कांग्रेस के संगठन व ढांचे का विभाजन और पिछलग्गूपन यहीं से शुरूहुआ तथा महात्मा गांधी के जीवनकाल में जो परंपरा रही थी, कि सत्ता की तुलना में संगठन सर्वोपरि है, उस आदर्श परंपरा को मिटा दिया गया। इस व्यक्तिपरक और सत्तापरक सत्ता के प्रभुत्व के सिद्धांत की शुरूआत कांग्रेस ने ही की थी और अब धीरे-धीरे यह परिपाटी लगभग सभी पार्टियों में पहुंच चुकी है।

पार्टियों में अब अनुशासनहीनता वत्ती विशेषतौर पर जमीनी कार्यकर्ता दल के नीति सिद्धांत से बंधे रहते हैं, उन दल बदलुओं को उनके ही सिर पर थोप दिया जाता है। याने कुल मिलाकर सिद्धांत यह हो गया है कि कोई भी दल हो उसे सत्ता चाहिए, सत्ता के लिये जो भी अनैतिक कार्य करना हो वह करने को सत्ताधारी पक्ष तैयार रहता है। आजकल यह जुमला चल गया है कि भाजपा वाशिंग मशीन है और यह इसलिये कि जिन लोगों को भाजपा ने विपक्ष के रूप में भ्रष्टाचारी कहा, सीबीआई से मुकदमे दर्ज कराये। 100-200 करोड़ नहीं बल्कि

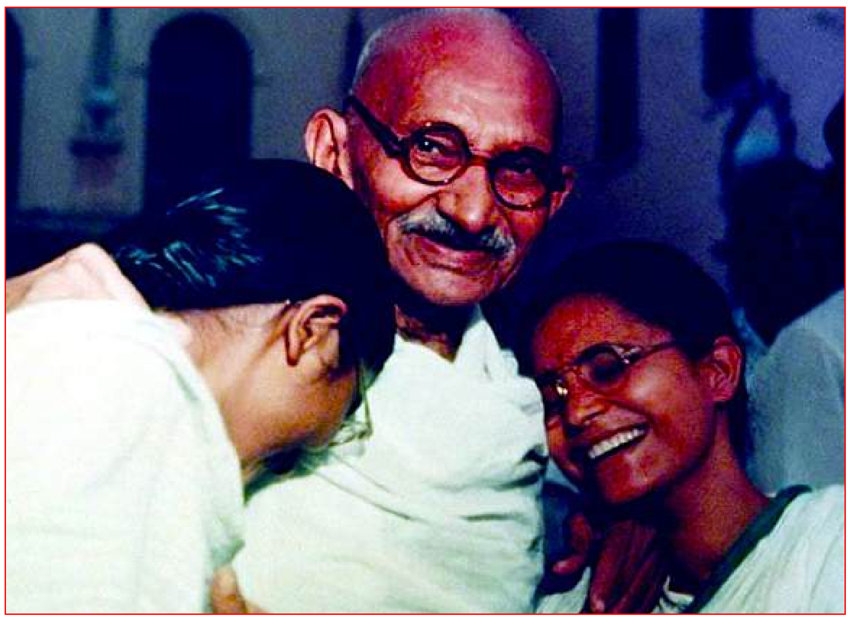

अपराध है याने चाहे वह कांग्रेस हो या भाजपा अब सबकी स्थिति विशेषतः संगठन की स्थिति दोयम दर्जे की है। जो लोग चुनाव का टिकिट नहीं मिलने पर, मंत्री नहीं बनने पर या मुख्यमंत्री नहीं बनने या हटाये जाने पर या केंद्रीय मंत्री नहीं बनाये जाने या हटाये जाने पर किसी सिद्धांत के लिये नहीं बल्कि स्वार्थों के लिये पार्टी छोड़ते हैं, दलबदल करते हैं और बाद में बहुमत में कमी रहती है तब उन्हें ही दलों की सत्ता व संगठन पर वापिसी के नाम पर ससम्मान बुलाती और सत्ता में हिस्सेदारी देती है, जो कार्यकर्ता और हजारों करोड़ के आरोप लगाये परंतु अपनी सत्ता बनाने के लिये उन्हें ही ससम्मान वापिस लाकर पूरी पार्टी के सिर पर बैठा दिया गया। स्व. अजीत पंवार को सरकार बनाने के लिये एनसीपी से तोड़कर उपमुख्यमंत्री की शपथ दिलाई, उनको निर्दोष सिद्ध करने के लिये सीबीआई केस वापिस ले लिये गये और जब वे वापस एनसीपी में चले गये तो उसी सीबीआई ने बेशर्मी के साथ पुनः कार्यवाही की शुरूआत की। क्या सीबीआई के यह कार्य केंद्र की मोदी सरकार के इशारे पर नहीं थे? 2023

के विधानसभा चुनाव के समय फिर उन्हें मिलाया, फिर केस हटाया, फिर उपमुख्यमंत्री बनाया। याने जिन राजनैतिक अपराधों या राजैनतिक अनैतिकता की शुरूआत कांग्रेस ने अपने व्यापक राष्ट्र सत्ता के दौरान की थी उन्हीं तरीकों को और अधिक बेशर्मी के साथ भाजपा आगे ले जा रही है। हरियाणा में दलबदल का खेल छुटपुट चलता रहा परंतु स्व. देवी लाल को, मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिये भजनलाल को जो कांग्रेस के थे, पूरे विधायकों के साथ करती और अपनी पार्टी को नैतिक तरीकों से मजबूत बनाती।

नैतिकता के सिद्धांत को तो कांग्रेस ने पहले आम चुनाव के बाद ही त्याग दिया दिया था जब समाजवादियों ने कांग्रेस से निकलकर सोशलिस्ट पार्टी बनाई तो आचार्य नरेन्द्र देव के नेतृत्व में कांग्रेस के चिन्ह पर निर्वाचित विधायकों ने विधायक पद से नैतिक आधार पर इस्तीफा दे दिये तथा मध्यावधि चुनाव में सोशलिस्ट पार्टी के प्रत्याशी बनकर चुनाव लड़े तथा अपनी ही कट्टरपंथ की राजनीति का उदय नहीं होता। आज कांग्रेस के ही अनैतिक व घिनौने अस्त्रों का इस्तेमाल, भाजपा कांग्रेस के खिलाफ कर रही है। दुखद यह है कि 1950 से लेकर 1960 के दशक तक राजनीति व चुनाव में, पैसे का चलन उतना नहीं हुआ था। समाज में भी कमोवेश नैतिक मूल्यों का सम्मान होता था। चुनाव में पैसे का खुलकर उपयोग 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने शुरू किया था। उमा वासुदेव ने जिन्होंने उनकी आत्मकथा लिखी थी उसमें

जनता पार्टी में शामिल कराकर मुख्यमंत्री बनाया गया। 1980 के विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला और देवीलाल को लगभग बहुमत होने के बाद भी रोकने के लिये कि वह मुख्यमंत्री न बन सकें, श्रीमती इंदिरा गांधी ने जनता पार्टी के मुख्यमंत्री व मंत्रियों याने सारे मंत्रीमंडल को वापिस कांग्रेस में शामिल करा दिया। क्या बिगड़ जाता अगर कांग्रेस एक दो राज्यों में अपने विरोधी दलों की सरकार को बर्दाश्त पार्टी के पुराने साथियों को हराने के लिये कांग्रेस ने अनैतिक रास्ते अपनाये। यह सर्वविदित तथ्य है कि आचार्य नरेन्द्र देव को हराने के लिये कांग्रेस ने बाबा राघवदास को खड़ा किया और अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिये वोट मांगे। अगर आचार्य वह चुनाव जीत जाते, कांग्रेस पार्टी नैतिक मूल्यों का सम्मान करती और उन्हें हटाने के लिये हिंदुत्व कार्ड नहीं खेलती तो देश में नैतिक मूल्यों की स्थापना होती तथा श्रीमती इंद्रा गांधी को एक प्रश्न के उत्तर में यह कहते हुये उद्धृत किया है कि मैं चुनाव इतने महंगे कर दूंगी कि कोई विरोधी चुनाव नहीं लड़ सकेगा। जिस राजनैतिक गंदगी की शुरु आत राजनीति में पैसे के चलन को कांग्रेस ने शुरू किया था अब उसी का इस्तेमाल और बड़े पैमाने पर भाजपा कर रही है। भाजपा को उद्योगपतियों ने इस वर्ष 6600 करोड़ रूपय का चंदा दिया और कांग्रेस को 1900 करोड़ का। याने अब

भाजपा की सत्ता उद्योगपतियों को अधिक पसंद है बजाय कांग्रेस के। अब तो हालात इतने चिंताजनक है कि पंचायतों के चुनावों में लाखों से लेकर करोड़ों रूपया खर्च होने लगे। मतदाता पंचायत से लेकर लोकसभा तक हर चुनाव में अपवाद छोड़कर सीधे रूपया लेकर वोट दे रहे हैं। जो लोग सीधे रुपया नहीं ले रहे हैं वे सरकार से कुछ हजार रूपये की सुविधाओं के बदले में वोट दे रहे हैं। यह भी लगभग उसी प्रकार वोट को बेचना है जिस प्रकार नगद रुपया देकर वोट को बेचना है। दिल्ली का उच्च मध्यमवर्ग और मध्यवर्ग जिसकी मासिक आमदनी औसतन लाख दो लाख प्रतिमाह से अधिक है, वह भी 200 यूनिट बिजली, 300 लीटर मुफ्त पानी, के लिये वोट देता है। अगर सामान्य व गरीब मतदाता 5-10 हजार रूपयों को लेकर अपना वोट बेचता है तो हमारा पढ़ा लिखा संभ्रांत मतदाता साल के 30-40 हजार रूपया और 5 साल के लिये लाख डेढ़ लाख रूपय में अपना वोट बेचता है। यह राजनीति के पतन का भयानक दौर है। पहले मुस्लिम मतदाता ने केवल कांग्रेस को वोट दिया, अपने मतों का ध्रुवीकरण किया और अब उसके प्रतिउत्तर में हिंदु मतदाताओं का धुव्रीकरण शुरु हुआ तथा हिंदु मतदाता भी अब आमतौर पर भाजपा का समर्थक मतदाता बन रहा है। पहले कांग्रेस अल्पसंख्यकों को डराकर उनके वोट लेती थी, अब बहुसंख्यक हिंदु संप्रदाय को भाजपा डरा कर उनका भयादोहन कर रही है। दल बदल अब इतना फैल चुका है कि जो राजनीति व राजनैतिक दलों के लिये कैंसर जैसा हो गया है। अब जो पार्टी सरकार से हटती है उसके लोग बड़े पैमाने पर पार्टी को छोड़कर सत्ता पक्ष की ओर चले जाते हैं जो कि एक चलन बन गया है। जब प.बंगाल में कांग्रेस व सीपीएम सरकार से हटी तो कांग्रेस के काफी लोग ममता बनर्जी के साथ चले गये। और इस बार जब ममता बनर्जी हार गई तो चुनाव के दो माह भी नहीं हुए और उनकी पार्टी के अधिकांश विधायक, सांसद, यहां तक कि राज्यसभा के सदस्य भी पार्टी छोड़कर चले गये। यह स्थिति करीब-करीब सभी सूबों में, सभी दलों के साथ हो रही है। जब कभी दिल्ली का ताज भाजपा से छिनेगा तो उनकी पार्टी में भी इससे ज्यादा भगदड़ मचेगी। राजनीति व राजनैतिक कार्यकर्ताओं को सत्ता का खून पीने की दाढ़ लग चुकी है और अब यह जल्दी रुकने वाली नहीं है। इसलिये भाजपा हर हाल में अपनी सत्ता को बनाये रखने के लिये हर अपराध करेगी, कानून को तोड़ेगी, संवैधानिक संस्थाओं को पंगु बनायेगी और व्यक्ति केन्द्रित सत्ता की परिपाटी को चलायेगी।

मैं उन सभी लोगों से जो सिद्धांत पर चलना चाहते हैं, अपील करता हूँ कि इस अनैतिकता की गिरावट, भयंकर आंधी और तूफान में भी आप तिनके के समान खड़े रहें। आंधी, तूफान जायेगा परंतु ये तिनके ही कल राजनीति की नैतिकता के मार्गदर्शक और आधार बनेंगे।

एक चेतावनी है वेनेजुएला का भूकंप

प्रमोद भार्गव

दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में एक मिनट के अंतराल पर आए दो शक्तिशाली भूकंपों ने बड़ी ताबाही मचा दी है। 24 जून 2026 को शाम को आए 7.2 और 7.5 तीव्रता वाले भूकंपों ने पूरे देश की बुनियाद को हिला दिया है। इसे वेनेजुएला का एक सदी में आए सबसे ज्यादा विनाशकारी भूकंप का दर्जा दिया गया है। इस शक्तिशाली भूकंप के प्रभाव से राजधानी कराकस और उसके आसपास की सैंकड़ों

> **24 जून 2026 को शाम को आए 7.2 और 7.5 तीव्रता वाले भूकंपों ने पूरे देश की बुनियाद को हिला दिया है। इसे वेनेजुएला का एक सदी में आए सबसे ज्यादा विनाशकारी भूकंप का दर्जा दिया गया है।**

इमारतें कंक्रीट और स्टील के मलबे में बदल गई। 188 लोगों की मृत्यु हो गईं और हजारों लोग मलबे में दबे हुए हैं। यूएस भूगर्भीय सर्वेक्षण में कहा गया है कि आशंका है कि 10,000 से भी अधिक लोग इस विनाशलीला में समा गए हो? 7.2 तीव्रता का पहला भूकंप कैरिबियन तट पर मोरोन के पश्चिम में आया। राजधानी कराकस से करीब 170 किमी की दूरी पर यह स्थल है। भूकंप का केंद्र धरती से 22 किमी नीचे था। ठीक एक मिनट बाद 7.5 तीव्रता का दूसरा

भूकंप आया, यह धरती की 10 किमी गहराई से उभरा था। यह जगह मोरोन से 16 किमी दक्षिण-पश्चिम में स्थित है। चूंकि यह भूकंप छुट्टी के दिन आया था, इस कारण ज्यादातर लोग बहुमंजिला इमारतों के घरों में थे। इस कारण मौतों का अनुमान 10,000 तक लगाया जा रहा है। इसकी आशंका इसलिए की जा रही है, क्योंकि गुमशुदा लोगों की जानकारी के लिए बनाई गई वेबसाइट पर 66 हजार से भी अधिक लापता लोगों की सूची सामने आ गई। इस भूकंप के झटके जापान और नेपाल में भी दर्ज किए गए हैं।

उथले भूकंप गर्भ से भूमि की सतह पर फूटने के साथ भीषण बर्बादी का कारण बनते हैं। वेनेजुएला का भूकंप 10 और 22 किमी की गहराई से फूटे इसलिए नुकसान ज्यादा होने की आशंका है। भूकंप की चेतावनी संबंधी प्रणालियां अनेक देशों में संचालित हैं लेकिन वह भू-गर्भ में हो रही दानवी हलचलों की सटीक जानकारी समय पूर्व देने में लगभग असमर्थ हैं। क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं की जानकारी देने वाले अमेरिका, जापान, भारत, नेपाल, अफगानिस्तान, चीन और अन्य देशों में भूकंप आते ही रहते हैं। इसलिए यहां लाख टके का सवाल उठता है कि चांद और मंगल जैसे ग्रहों पर मानव बस्तियां बसाने का सपना और पाताल की गहराइयों को नाप लेने का दावा करने वाले वैज्ञानिक आखिर पृथ्वी के नीचे उत्पात मचा रही हलचलों की जानकारी प्राप्त करने में क्यों असफल हैं? जबकि वैज्ञानिक इस दिशा में लंबे समय से कार्यरत हैं। अमेरिका एवं भारत समेत अनेक देष मौसम व भू-गर्भीय हलचल की जानकारी देने वाले सैंकड़ों उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित कर चुके हैं। हिंदूकुश क्षेत्र में आया यह भूकंप भारत के लिए भी चेतावनी हैं। लेकिन ये उपग्रह 2025 में आए अफगानिस्तान के भूकंप की तरंगों को नहीं पकड़ पाए थे। दरअसल दुनिया के नामचीन

भूकंप की चेतावनी संबंधी प्रणालियां अनेक देशों में संचालित हैं लेकिन वह भू-गर्भ में हो रही दानवी हलचलों की सटीक जानकारी समय पूर्व देने में लगभग असमर्थ हैं। क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं की जानकारी देने वाले अमेरिका, जापान, भारत, नेपाल, अफगानिस्तान, चीन और अन्य देशों में भूकंप आते ही रहते हैं।

विषेशज्ञों व पर्यावरणविदों की मानें तो सभी भूकंप प्राकृतिक नहीं होते, बल्कि उन्हें विकराल बनाने में मानवीय हस्तक्षेप शामिल है। इसीलिए इस भूकंप को स्थानीय भू-गर्भीय विविधता का कारण माना गया है। दरअसल प्राकृतिक संसाधनों के अकूत दोहन से छोटे स्तर के भूकंपों की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। भविष्य में इन्हीं भूकंपों की व्यापकता और विकरालता बढ़ जाती है। यही कारण है कि भूकंपों की आवृत्ति बढ़ रही है। पहले 13 सालों में एक बार भूकंप आने की आशंका बनी रहती थी, लेकिन अब यह घटकर 4 साल हो गई है। यही नहीं

आए भूकंपों का वैज्ञानिक आकलन करने से यह भी पता चला है कि भूकंपीय विस्फोट में जो उर्जा निकलती है, उसकी मात्रा भी पहले की तुलना में ज्यादा शक्ति शाली हुई है। 25 अप्रैल 2015 को नेपाल में जो भूकंप आया था, उनसे 20 थर्मोन्यूक्लियर हाइड्रोजन बमों के बराबर उर्जा निकली थी। यहां हुआ प्रत्येक विस्फोट हिरोशिमा-नागाशाकी में गिराए गए परमाणु बमों से भी

हैरानी इस बात पर है कि विज्ञान की आश्चर्यजनक तरक्की के बाद भी वैज्ञानिक आज तक ऐसी तकनीक ईजाद करने में असफल रहे हैं, जिससे भूकंप की जानकारी आने से पहले मिल जाए।

दुनिया इस अभिशाप को झेलने के लिए जब-तब विवश होती रही है। बावजूद हैरानी इस बात पर है कि विज्ञान की आश्चर्यजनक तरक्की के बाद भी वैज्ञानिक आज तक ऐसी तकनीक ईजाद करने में असफल रहे हैं, जिससे भूकंप की जानकारी आने से पहले मिल जाए। भूकंप के लिए जरूरी उर्जा के एकत्रित होने की प्रक्रिया को धरती की विभिन्न परतों के आपस में टकराने के

कई गुना ज्यादा ताकतवर था। जापान और फिर क्वोटो में आए सिलसिलेवार भूकंपों से पता चला है कि धरती के गर्भ में अंगड़ाई ले रही भूकंपीय हलचलें महानगरीय आधुनिक विकास और आबादी के लिए अधिक खतरनाक साबित हो रही हैं। ये हलचलें भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश की धरती के नीचे भी अंगड़ाई ले रही हैं। इसलिए इन देशों के महानगर भूकंप के मुहाने पर खड़े हैं। विकास की अंधी दौड़ में पर्यावरण की अनदेखी प्रकृति को प्रकोप में बदल रही है। इसलिए बाढ़, भू-स्खलन, सूखा, हिमनदों का पिघलना, भूकंप और सुनामी जैसे तूफानों का आना निरंतर बना हुआ है।

भूकंप आना कोई नई बात नहीं है। पूरी

सिद्धांत से आसानी से समझा जा सकता है। ऐसी वैज्ञानिक मान्यता है कि करीब साढ़े पांच करोड़ साल पहले भारत और आस्ट्रेलिया को जोड़े रखने वाली भूगर्भीय परतें एक-दूसरे से अलग हो गईं और वे यूरेशिया परत से जा टकराईं। इस टक्कर के फलस्वरूप हिमालय पर्वतमाला अस्तित्व में आई और धरती की विभिन्न परतों के बीच

वर्तमान में मौजूद दरारें बनीं। हिमालय पर्वत उस स्थल पर अब तक अटल खड़ा है, जहां पृथ्वी की दो अलग-अलग परतें परस्पर टकराकर एक-दूसरे के भीतर घुस गई थीं। परतों के टकराव की इस प्रक्रिया की वजह से हिमालय और उसके प्रायद्वीपीय क्षेत्र में भूकंप आते रहते हैं। इसी प्रायद्वीप में ज्यादातर एशियाई देश बसे हुए हैं।

वैज्ञानिकों का मानना है कि रासायनिक क्रियाओं के कारण भी भूकंप आते हैं। भूकंपों की उत्पत्ति धरती की सतह से 30 से 100 किमी भीतर होती है। इससे यह वैज्ञानिक धारणा भी बदल रही है कि भूकंप की विनाशकारी तरंगें जमीन से कम से कम 30 किमी नीचे से चलती हैं। ये तरंगे जितनी कम गहराई से उठेंगी, उतनी तबाही भी ज्यादा होगी और भूकंप का प्रभाव भी कहीं अधिक बड़े क्षेत्र में दिखाई देगा। लगता है अब कम गहराई के भूकंपों का दौर चल पड़ा है। मैक्सिको में सितंबर 2017 में आया भूकंप धरती की सतह से महज 40 किमी नीचे से उठा था। इसलिए इसने भयंकर तबाही का तांडव रचा था। तिब्बत में आए भूकंप की गहराई तो मात्र 10 किमी आंकी गई है,अफगानिस्तान का भूकंप मात्र 8 से 10 किमी की गहराई से उठा था, और अब वेनेजुएला में आया भूकंप भी 10 किमी की गहराई से फूटा है।

दरअसल सतह के नीचे धरती की परत ठंडी होने व कम दबाव के कारण कमजोर पड़ जाती है। ऐसी स्थिति में जब चट्टानें दरकती हैं तो भूकंप आता है। कुछ भूकंप धरती की सतह से 100 से 650 किमी के नीचे से भी आते हैं, लेकिन तीव्रता धरती की सतह पर आते-आते कम हो जाती है, इसलिए बड़े रूप में त्रासदी नहीं झेलनी पड़ती। दरअसल इतनी गहराई में धरती इतनी गर्म होती है कि एक तरह से वह द्रव रूप में बदल जाती है। इसलिए इसके झटकों का असर धरती पर कम ही दिखाई देता है। बावजूद इन भूकंपों से उर्जा बड़ी मात्रा में निकलती है। धरती की इतनी गहराई से प्रगट हुआ सबसे बड़ा भूकंप 1994 में बोलिविया में रिकार्ड किया गया है। पृथ्वी की सतह से 600 किमी भीतर दर्ज इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 8.3 मापी गई थी। इसीलिए यह मान्यता बनी है कि इतनी गहराई से चले भूकंप धरती पर तबाही मचाने में कामयाब नहीं हो सकते हैं, क्योंकि चट्टानें तरल द्रव्य के रूप में बदल जाती हैं। लेकिन कम गहराई से फूटने वाले भूकंप बर्बादी का जलजला धरती पर परोस देते हैं।

नशे के विरूद्ध निर्णायक युद्ध :
ड्रग्स माफियाओं पर बढ़ा प्रहार

किशन भावनानी

वैश्विक स्तर पर जिस प्रकार भारत ने वामपंथी उग्रवाद के विरूद्ध समयबद्ध रणनीति अपनाकर विजन 2026 के माध्यम से नक्सलवाद को निर्णायक रूप से समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया, उसी प्रकार अब केंद्र सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी और नशे के अवैध कारोबार के विरूद्ध भी एक स्पष्ट, बहुस्तरीय और समयबद्ध अभियान प्रारंभ किया है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा 26 जून 2026 को नार्को- कोऑर्डिनेशन सेंटर (नार्कोर्ड) की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक में जारी नारकोटिक्स कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट 2026-2029 केवल एक प्रशासनिक दस्तावेज नहीं, बल्कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, युवाओं के भविष्य और संगठित अंतरराष्ट्रीय अपराध के विरु द्ध घोषितरणनीतिक युद्ध का रोडमैप है। गृहमंत्री द्वारा प्रस्तुत 3डी रणनीति-डिटेक्ट, डिसट्रपट और डिस्ट्रॉय, इस नई नीति का संचालन सिद्धांत है। डिटेक्ट का अर्थ है अत्याधुनिक तकनीक, खुफिया सूचनाओं और डेटा विश्लेषण के माध्यम से नेटवर्क की प्रारंभिक पहचान करना।डिसट्रपट का उद्देश्य अपराधी नेटवर्क की गतिविधियों को बीच में ही रोक देना है ताकि वे अपनी आपूर्ति श्रृंखला संचालित न कर सकें। डिस्ट्रॉय का आशय है अपराधियों के आर्थिक स्रोत, अवैध संपत्तियों, उत्पादन केंद्रों और पूरे नेटवर्क को स्थायी रूप से समाप्त करना। यह रणनीति केवल गिरफ्तारी तक सीमित नहीं बल्कि अपराध

की संरचना को ध्वस्त करने पर आधारित है। सरकार ने स्पष्ट संकेत दिया है कि आने वाले तीन वर्ष यह तय करेंगे कि भारत नशे के वैश्विक नेटवर्क के सामने झुकेगा या उसे निर्णायक रूप से परास्त करेगा। आज मादक पदार्थों की तस्करी पारंपरिक अपराध की सीमा से बहुत आगे निकल चुकी है। यह आतंकवाद, हथियारों की तस्करी, हवाला, मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर अपराध और अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध से गहराई से भारत की एंटी नारकोटिक्स नीति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का संकेत देता है।

नाकार्ड की 10वीं बैठक में गृहमंत्री ने कहा कि आने वाले तीन वर्ष यह निर्धारित करेंगे कि नशा भारत पर हावी होगा या भारत नशे पर विजय प्राप्त करेगा। यह केवल राजनीतिक वक्तव्य नहीं बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही का सार्वजनिक संकल्प है। इस बैठक में केंद्र सरकार, राज्यों, केंद्रीय जांच एजेंसियों, सुरक्षा बलों युवाओं में नशीले पदार्थों की मांग को कम करना। दूसरा लक्ष्य है सप्लाई रिडक्शन अर्थात तस्करी की पूरी आपूर्ति श्रृंखला को ध्वस्त करना। तीसरा लक्ष्य है हार्म रिडक्शन एवं पुनर्वास, अर्थात नशे के शिकार व्यक्तियों को अपराधी नहीं बल्कि उपचार और पुनर्वास के पात्र नागरिक मानते हुए उन्हें समाज की मुख्यधारा में वापस लाना। यही संतुलित दृष्टिकोण आधुनिक वैश्विक ड्रग नीति का भी आधार माना जाता है।

जुड़ चुकी है। दुनियाँ के अनेक सुरक्षा विशेषज्ञ यह मानते हैं कि ड्रग्स का पैसा अक्सर आतंकवादी संगठनों, उग्रवादी नेटवर्क और अंतरराष्ट्रीय अपराध सिंडिकेट की वित्तीय जीवनरेखा बनता है। इसी कारण भारत सरकार ने पहली बार स्पष्ट रूप से यह संदेश दिया है कि ड्रग्स केवल कानून-व्यवस्था का विषय नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का गंभीर प्रश्न है। यह दृष्टिकोण और विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों की भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि सरकार इस चुनौती को पूरे शासन तंत्र की सामूहिक जिम्मेदारी मान रही है।

नारकोटिक्स कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट 2026-2029 की सबसे बड़ी विशेषता इसका त्रिस्तरीय दृष्टिकोण है।पहला लक्ष्य है डिमांड रिडक्शन अर्थात समाज विशेषकर

इस विजन डॉक्यूमेंट की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह केवल ड्रग्स पकड़ने की नीति नहीं है बल्कि पूरे अपराधी नेटवर्क को नष्ट करने की रणनीति प्रस्तुत करता है। पहले जहां कार्रवाई का मुख्य केंद्र ड्रग्स की बरामदगी और छोटे तस्करों की गिरफ्तारी तक सीमित रहता था, वहीं अब लक्ष्य पूरे अंतरराष्ट्रीय कार्टेल, उनके वित्तीय स्रोत, हवाला नेटवर्क, मनी

लॉन्ड्रिंग चैनल, डार्कनेट प्लेटफार्म और विदेशी संचालकों तक पहुंचना है। यह नेटवर्क आधारित प्रवर्तन भारत की जांच प्रणाली को अधिक प्रभावी बना सकता है। बीते कुछ वर्षों में ड्रग्स तस्करी का स्वरूप तेजी से बदला है। अफीम, चरस और गांजा जैसे पारंपरिक मादक पदार्थों के साथ-साथ अब सिंथेटिक ड्रग्स जैसे मेथमफेटामाइन, एमडीएमए और अन्य रासायनिक नशीले पदार्थ,तेजी से फैल रहे हैं। इनकी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इन्हें छोटे-छोटे गुप्त प्रयोगशालाओं में तैयार किया जा सकता है, इन्हें छिपाना अपेक्षाकृत आसान होता है और इनका अंतरराष्ट्रीय व्यापार डिजिटल माध्यमों से संचालित होता है। यही कारण है कि विजन डॉक्यूमेंट में सिंथेटिक ड्रग्स को विशेष खतरे के रूप में चिन्हित किया गया है।

डिजिटल युग ने ड्रग तस्करी को नई दिशा दी है। डार्कनेट, एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफार्म और क्रिप्टोकरेंसी ने अपराधियों को ऐसी गुमनामी प्रदान की है जिससे पारंपरिक पुलिस व्यवस्था के लिए उन्हें पकड़ना कठिन हो गया है। आज कई अंतरराष्ट्रीय ड्रग सौदे बिना किसी प्रत्यक्ष संपर्क के ऑनलाइन तय होते हैं और भुगतान डिजिटल माध्यमों से होता है। भारत की नई नीति इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए साइबर फॉरेंसिक, डिजिटल निगरानी, डेटा इंटेलिजेंस और अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर विशेष बल देती है।

भारत सरकार ने इस अभियान में वित्तीय कार्रवाई को भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। आधुनिक संगठित अपराध का सबसे बड़ा आधार उसका आर्थिक संसाधन होता है। यदि तस्करों की संपत्ति, बैंक खाते, हवाला नेटवर्क और निवेश जब्त कर दिए जाएं तो उनका अपराध लंबे समय तक टिक नहीं सकता। इसी सोच के तहत संबंधित कानूनों के माध्यम से अवैध संपत्तियों की कुर्की, मनी लॉन्ड्रिंग की जांच तथा आर्थिक नेटवर्क को ध्वस्त करने की रणनीति को मजबूत किया जा रहा है।राज्यों में गठित एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स इस अभियान की जमीनी शक्ति होगी। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में यह टास्क फोर्स नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी। इसका उद्देश्य केवल पुलिस कार्रवाई करना नहीं बल्कि विभिन्न विभागों, खुफिया एजेंसियों, सीमा सुरक्षा बलों, राजस्व विभाग और अन्य संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करना है। इससे सूचना साझा करने और संयुक्त कार्रवाई की क्षमता बढ़ने की संभावना है।

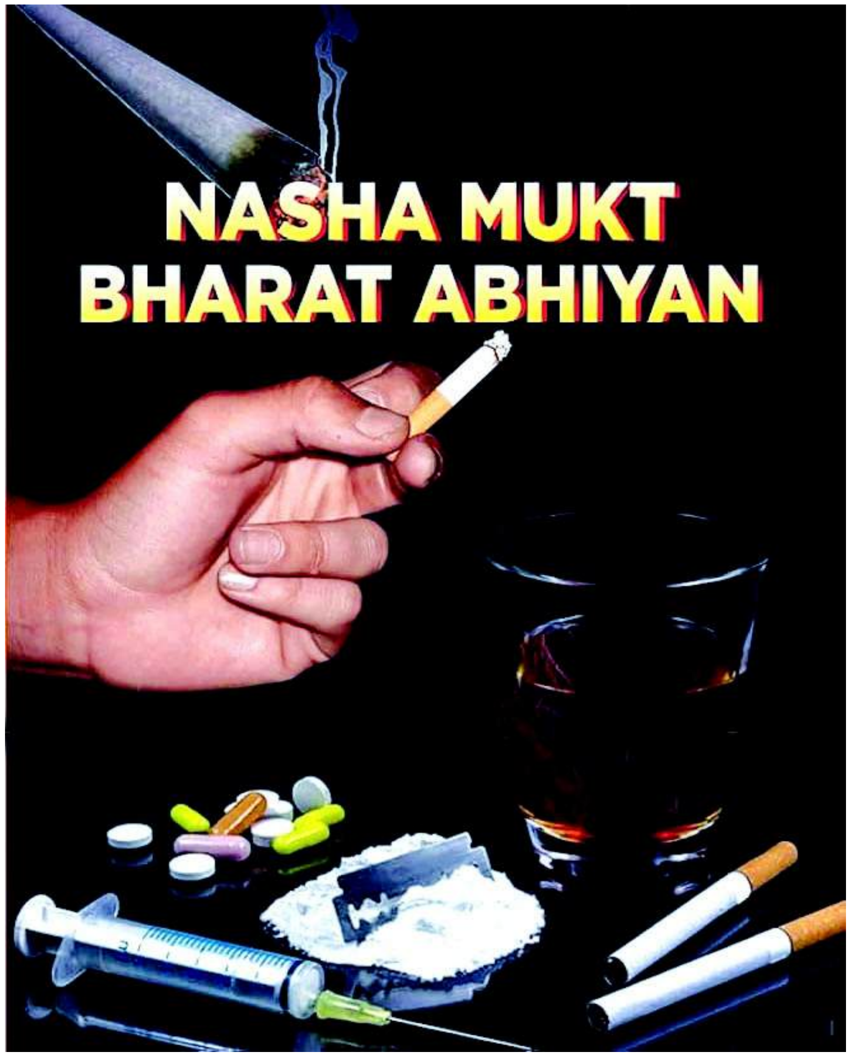

नार्कोर्ड की चार स्तरीय संरचना, राष्ट्रीय, राज्य, जिला और उप-जिला स्तर, भारत जैसे विशाल और संघीय देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ड्रग्स नेटवर्क स्थानीय स्तर पर सक्रिय होते हैं लेकिन उनके तार अंतरराष्ट्रीय संगठनों से जुड़े हो सकते हैं। इसलिए स्थानीय पुलिस से लेकर केंद्रीय एजेंसियों तक एकीकृत समन्वय ही इस चुनौती का प्रभावी समाधान प्रदान कर सकता है। बैठक के दौरान देशभर में लगभग 2,09,500 किलोग्राम अवैध

नशीले पदार्थों का विनाश किया गया जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 6,000 करोड़ रूपए बताई गई। यह केवल प्रतीकात्मक कार्रवाई नहीं बल्कि यह संदेश है कि जब्त किए गए मादक पदार्थ पुनः अवैध बाजार में नहीं लौटेंगे। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट हुआ कि विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वित कार्रवाई के परिणाम अब अधिक व्यापक रूप में सामने आ रहे हैं। भारत सरकार ने जम्मू और गुवाहाटी में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए क्षेत्रीय कार्यालय प्रारंभ कर सीमावर्ती क्षेत्रों में अपनी संस्थागत क्षमता भी मजबूत की है। भारत की पश्चिमी और पूर्वोत्तर सीमाएं लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स मार्गों से प्रभावित रही हैं। ऐसे में इन क्षेत्रों में संस्थागत उपस्थिति बढ़ाना रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है।

ड्रग्स के विरूद्ध संघर्ष केवल गृह मंत्रालय या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं रहेगा बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, वित्त, सीमा प्रबंधन, विदेश नीति, सूचना प्रौद्योगिकी तथा अन्य मंत्रालयों सहित पूरे शासन तंत्र की साझा जिम्मेदारी होगी। जब 44 केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें और विभिन्न एजेंसियां एक साझा लक्ष्य के साथ कार्य करेंगी, तभी व्यापक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। नशे के विरूद्ध लड़ाई केवल दमनात्मक कार्रवाई से नहीं जीती जा सकती। यदि समाज में जागरूकता, विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में नशा विरोधी अभियान, परिवारों की सहभागिता मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और पुनर्वास केंद्रों की प्रभावशीलता नहीं बढ़ेगी तो केवल गिरफ्तारी से समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं होगा। इसलिए विजन डॉक्यूमेंट में मांग कम करने और पुनर्वास को समान महत्व दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ड्रग्स के विरूद्ध संघर्ष में सहयोग अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि ड्रग्स उत्पादन, तस्करी, वित्तपोषण और वितरण अक्सर कई देशों में फैला होता है। इसलिए प्रत्यर्पण, साझा खुफिया जानकारी, सीमापार जांच और अंतरराष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग भारत की रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बनता जा रहा है। हालांकि किसी भी विजन डाक्यूमेंट की सफलता उसके क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। यदि राज्यों के बीच समन्वय मजबूत नहीं होगा, जांच समयबद्ध नहीं होगी, न्यायालयों में मामलों का शीघ्र निपटारा नहीं होगा और पुनर्वास व्यवस्था पर्याप्त नहीं होगी, तो लक्ष्य प्राप्त करना कठिन हो सकता है। इसलिए आने वाले तीन वर्षों में वास्तविक परीक्षा केवल नीति की नहीं बल्कि उसके प्रभावी कार्यान्वयन की होगी।

ब्रिटिश हुकूमत का क्रूरतम स्वरूप

टुरिया जंगल कांड

विजया पाठक

सिवनी जिले का टुरिया कांड ब्रिटिश हुकूमत के बर्बरतम स्वरूप की रोंगटे खड़े करने वाली घटना है। जलियाँवाला बाग में देशवासियों को गोलियों से भूनने वाली क्रूर ब्रिटिश हुकूमत ने 9 अक्टूबर, 1930 को टुरिया गाँव के सत्याग्रहियों पर गोलियाँ बरसाई, आन्दोलनकारियों को वृक्षों से बाँधकर कोड़े मारे। आज़ादी के दीवानों को लहू-लुहान किया तथा अनेको को काँजी हाऊस में बंद कर दिया। प्रदेश भर में यह आन्दोलन बड़े उत्साह के साथ चलाया गया, अनेक देशभक्त शहीद हुए, लाठियाँ खायीं, जेल की यातनाएँ भोंगी पर टस से मस न हुए। आन्दोलन के इस दौर में सिवनी जिले का विशिष्ट योगदान रहा है। आदिवासियों ने जंगल सत्याग्रह में अपनी सशक्त भागीदारी सुनिश्चित की तथा पीढ़ियों से आदिवासियों द्वारा आक्रांताओं के विरोध में उठाई जा रही अपनी गौरव गाथा को बरकरार रखा और जंगल सत्याग्रह में कूद पड़े।

भारतीय आज़ादी के इतिहास की किताबों में गाँवों में फैले ऐसे-ऐसे आन्दोलनों का जिक्र है जिसे पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब सिवनी जिले के ग्राम टुरिया में उठी आंदोलन की आंधी को ही लें। यह जानकर हैरत होती है कि बिना प्रशिक्षण अथवा बिना किसी तीखी योजना

के उस गाँव में उठी एक अकेली चिन्गारी ने अंग्रेजों के पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था। इस तरह के आंदोलन केवल इस अकेले गाँव में ही शुरू नहीं हुए थे बल्कि देश के सैकड़ों वन-ग्रामों के लोग अपने सिर पर कफन बाँधकर अंग्रेजों की तोपों के सामने आ खड़े हुए थे। इतिहासकारों ने ऐसे तमाम आंदोलन को जंगल सत्याग्रह का नाम दिया।

मध्यप्रदेश में जंगल सत्याग्रह के इतिहास में सिवनी जिले का टुरिया कांड ब्रिटिश हुकूमत के बर्बरतम स्वरूप की रोंगटे खड़े करने वाली घटना है। जलियाँवाला बाग में देशवासियों को गोलियों से भूनने वाली क्रूर ब्रिटिश हुकूमत ने 9 अक्टूबर, 1930 को टुरिया गाँव के सत्याग्रहियों पर गोलियाँ बरसाईं, आन्दोलनकारियों को वृक्षों से बाँधकर कोड़े मारे। आज़ादी के दीवानों को लहू-लुहान किया तथा अनेको को काँजी हाऊस में बंद कर दिया।

प्रदेश के टुरिया काँड के बाद सिवनी जिले के सत्याग्रह की यह चिन्गारी बैतूल में प्रज्ज्वलित हुई,

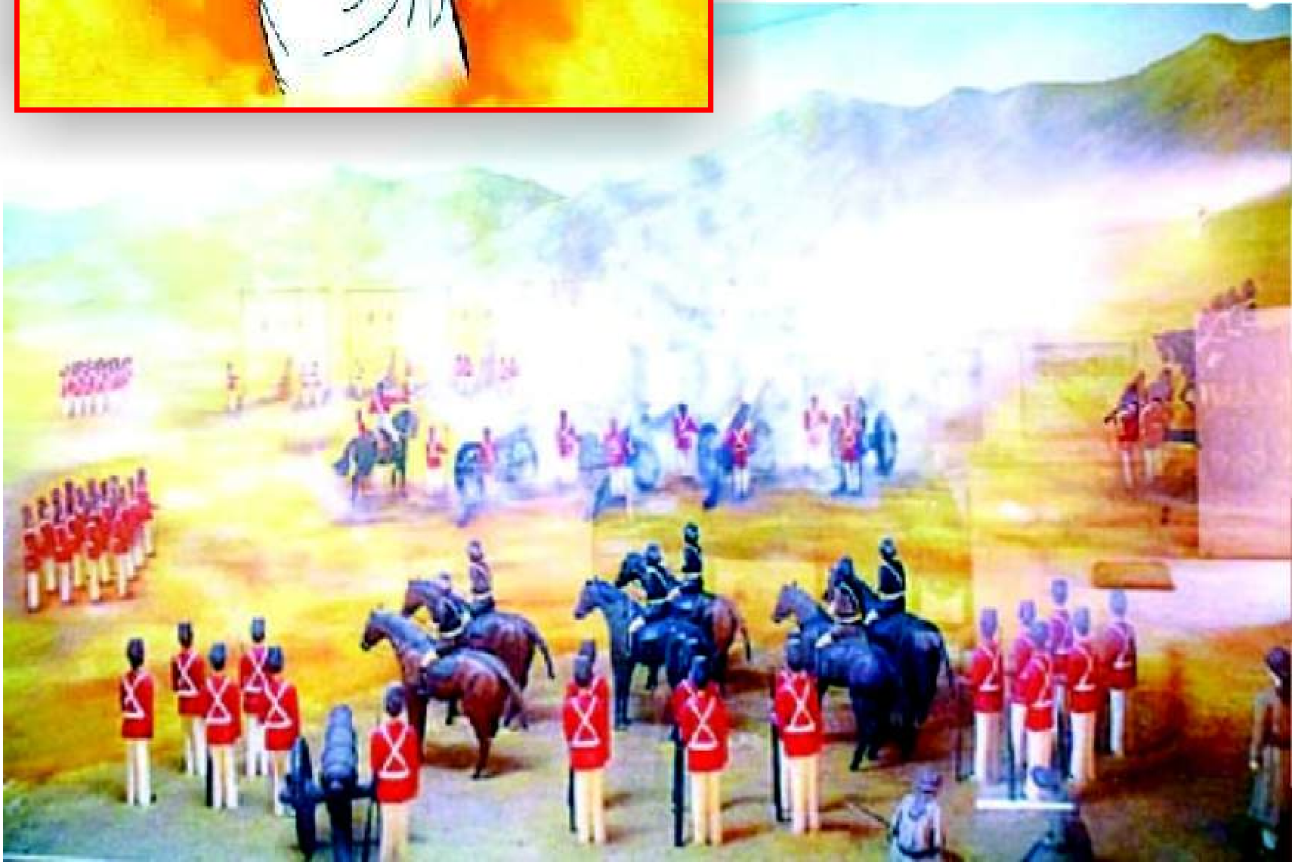

लोकजन जुड़ते चले गये अंचलों का हर आदिवासी कंधे पर कंबल डाल सत्याग्रह में शामिल हो गया। शाहपुर के समीप यह कमान गंजनसिंह कोरकू ने संभाली, आदिवासी-सेनानियों का नेतृत्व किया। पुलिस ने जोर-जबरदस्ती की। रामू और मकडू गौण्ड के बलिदान से आन्दोलन और प्रखर हुआ। परिणामस्वरूप महाकौशल से निमाड़, छत्तीसगढ़ जंगल सत्याग्रह से धधक उठा। सतपुड़ा के जंगल से उठा सैलाब खण्डवा, बुरहानपुर, रुस्तमपुर, मूंदी, पंधाना, हरसूद, डोंगरगाँव तक स्वप्रेरणा से उमड़ पड़ा। क्रांतिकारी चेतना में जन-जन शामिल हो गया।

असल में गाँधीजी के नेतृत्व में चले स्वाधीनता संग्राम में सत्याग्रह आन्दोलन की प्राण शक्ति था। इसी सत्याग्रह की ताकत ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। गाँधीजी द्वारा ईजाद किए गये "सत्याग्रह" तत्व को भारतवासियों ने एक साथ आत्मसात किया। राष्ट्रपिता ने 1929-30 को "नमक सत्याग्रह" में नमक बना ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दी। यह चुनौती पूरे देश ने दी। मध्यप्रदेश में "नमक सत्याग्रह" ने ही "जंगल सत्याग्रह" की नींव रखी। प्रदेश भर में यह आन्दोलन बड़े उत्साह के साथ चलाया गया, अनेक देशभक्त शहीद हुए, लाठियाँ खायीं, जेल की यातनाएँ भोंगी पर टस से मस न हुए।

आन्दोलन के इस दौर में सिवनी जिले का विशिष्ट योगदान रहा है। आदिवासियों ने जंगल सत्याग्रह में अपनी सशक्त भागीदारी सुनिश्चित की तथा पीढ़ियों से आदिवासियों द्वारा आक्रांताओं के विरोध में उठाई जा रही अपनी गौरव गाथा को बरकरार रखा और जंगल सत्याग्रह में कूद पड़े।

आरम्भ में सत्याग्रह के तहत सिवनी जिले के स्वयं सेवक शासकीय जंगल, चंदन बगीचा में जाकर घाँस काट सत्याग्रह करते थे। सत्याग्रही पहले नोटिस देते, जत्थे में जाते और घाँस काटते। इसकी कार्यवाही के तहत सरकार द्वारा दफा 379/114 ता.हि. एवं 26 फॉरेस्ट एक्ट के अंतर्गत मुकदमा चलाया जाता व सजा तथा जुर्माना तय किया जाता। जुर्माने की वसूली अत्यंत निर्ममता से की जाती थी। इसमें संपत्ति, जानवर, जमीन, बर्तन सब कुछ कुड़की में नीलाम कर दिये जाते थे। बावजूद इसके आन्दलोनकारी नहीं रुके, उनका जत्था दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। इसी क्रम में "टुरिया सत्याग्रह" होना था।

टुरिया गाँव सिवनी नागपुर राजमार्ग पर सिवनी से 28 मील दूर खवासा ग्राम से दाहिनी तरफ 5 मील दूरी पर स्थित है। इस वन ग्राम द्वारा नियत समय अनुसार 9 अक्टूबर 1930 को "चंदन बगीचा" में घाँस

काटकर सत्याग्रह आरम्भ किया जाना तय हुआ। सत्याग्रह की सूचना टुरिया ग्राम के ही सत्याग्रही अग्रणी श्री मूका ने अंग्रेजी शासन को नोटिस देकर दी कि वो 9 अक्टूबर को टुरिया के निकट जंगल में घाँस काटकर सत्याग्रह करेंगे। इस सूचना से तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर (कलेक्टर) सीमेन भड़क उठा और टीच देम ए लेसन का आदेश देकर पुलिस को लाव-लश्कर के साथ टुरिया भेज दिया। सत्याग्रह के पूर्व श्री रामप्रसाद तथा श्री मूका ने जोश भरे भाषण से अपने साथियों को प्रोत्साहित किया। इस अभियान में लगभग 500 व्यक्ति शामिल थे। पुलिस ने जोर जबरदस्ती से रोकने का प्रयास किया सत्याग्रही भला कब रुकने वाले थे। आन्दोलनकारियों ने घाँस काटी उपस्थित जनसमुदाय ने श्री मूका का अभिनन्दन किया। पुलिस सब इन्स्पेक्टर सदरउद्दीन व रेंजर मेहता पूरी तैयारी में थे उन्होंने सत्याग्रह आरम्भ होते ही मूका को गिरफ्तार कर लिया। इस पर जन समूह में आक्रोश उत्पन्न हुआ, ग्रामवासियों की उत्तेजना के विरोध में अंग्रेजी शासन के आदेशानुसार पुलिस गोलियाँ बरसाने लगी। ग्रामवासियों पर अंधाधुंध गोलियाँ चलाई गईं। हाहाकार मच गया। अंग्रेजी हुकूमत की क्रूरता भोले-भाले ग्रामवासियों पर बरस रही थी। घटना स्थल पर ही गुड्डेबाई साकिन खामरीठ, रेनीबाई साकिन खम्बा, देभोबाई सा. भीलवा और विरजू भाई सा. मरझोडू शहीद हो गये। लगभग 35-40 लोग घायल हुए। अंग्रेजों ने अपना तानाशाही परम्परा के तहत मृतकों के शव घरवालों को नहीं दिये।

घटनास्थल के गोलीकांड के बाद भी पुलिस की बर्बरता रुकी नहीं ग्रामवासियों को वृक्षों से बाँधा गया उन्हें कोड़ों से पीटा, जमीन पर घसीटा तथा लातों-घूंसों से मारा गया। सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया। घायलों को रिश्तेदारों से मिलने तक नहीं दिया। उनकी तड़प व चीख से सिवनी जिला चीत्कार उठा।

अमर शहीदों के खून से भीगी जंगल की देह ने बलिदान का रंग भरा। इस बलिदान के बाद जंगल सत्याग्रह दावानल बनकर प्रांत भर में छा गया।

अयोध्या मंदिर में चढ़ावा चोरी
आस्था, व्यवस्था और पारदर्शिता की चुनौती

समता पाठक

भारत में मंदिर केवल पूजा-अर्चना के स्थान नहीं हैं, बल्कि वे करोड़ों लोगों की आस्था, संस्कृति और सामाजिक जीवन के केंद्र हैं। श्रद्धालु अपनी श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक के रूप में मंदिरों में नकद धनराशि, सोना-चांदी, आभूषण तथा अन्य मूल्यवान वस्तुएँ चढ़ाते हैं। विशेष रूप से अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में प्रतिदिन देश-विदेश से हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँचते हैं और बड़ी मात्रा में चढ़ावा अर्पित करते हैं। ऐसे में यदि चढ़ावे की चोरी या गबन जैसी घटनाएँ सामने आती हैं, तो यह केवल आर्थिक अपराध नहीं रहता, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं और विश्वास पर भी आघात पहुँचाता है। हाल के वर्षों में अयोध्या मंदिर से जुड़े चढ़ावे की सुरक्षा और कथित चोरी के मामलों ने यह प्रश्न खड़ा किया है कि धार्मिक संस्थानों में वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही किस प्रकार सुनिश्चित की जाए। यह विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मंदिरों में आने वाला दान जनविश्वास पर आधारित होता है।

चढ़ावे का धार्मिक और सामाजिक महत्व

हिंदू परंपरा में दान और चढ़ावा ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का माध्यम माना जाता है। श्रद्धालु अपनी क्षमता के अनुसार धन, वस्त्र, अनाज, सोना-चांदी अथवा अन्य सामग्री भगवान को अर्पित करते हैं। यह राशि मंदिर के रखरखाव, धार्मिक अनुष्ठानों, सामाजिक सेवा, शिक्षा, चिकित्सा और जनकल्याण के कार्यों में उपयोग की जाती है। अयोध्या का श्रीराम मंदिर देश के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक है। मंदिर के निर्माण के बाद यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। स्वाभाविक रूप से चढ़ावे की मात्रा भी बढ़ी है। ऐसे में उसके सुरक्षित संग्रह, गिनती, रिकॉर्ड और उपयोग के लिए अत्यंत मजबूत व्यवस्था की आवश्यकता होती है।

चोरी के आरोप और विवाद

जब किसी मंदिर में चढ़ावे की चोरी अथवा गबन के आरोप सामने आते हैं, तो सबसे पहले श्रद्धालुओं के मन में संदेह उत्पन्न होता है। यदि दानपात्र से धन गायब हो

जाए, गिनती में अनियमितता मिले या कर्मचारियों पर धन निकालने के आरोप लगें, तो यह पूरे प्रबंधन की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगा देता है। अयोध्या मंदिर से जुड़े कुछ मामलों में भी कर्मचारियों अथवा संबंधित व्यक्तियों पर चढ़ावे की राशि में अनियमितता के आरोप लगे। कई मामलों में प्रशासन ने जांच कराई, संदिग्ध कर्मचारियों को हटाया या उनके विरूद्ध कार्रवाई की।

श्रद्धालुओं के विश्वास पर प्रभाव

मंदिरों की सबसे बड़ी पूँजी श्रद्धालुओं का विश्वास होता है। यदि लोगों को यह महसूस होने लगे कि उनके द्वारा चढ़ाया गया दान सुरक्षित नहीं है या उसका सही उपयोग नहीं हो रहा, तो इससे धार्मिक संस्थानों की प्रतिष्ठा प्रभावित होती है। हालाँकि अधिकांश श्रद्धालु भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा के कारण दान देना जारी रखते हैं, फिर भी वे यह अपेक्षा अवश्य रखते हैं कि उनकी आस्था का सम्मान हो और उनके द्वारा दिया गया दान जनकल्याण तथा मंदिर के विकास में ही खर्च किया जाए।

मामला कैसे सामने आया?

जून 2026 में मंदिर प्रशासन को चढ़ावे के प्रबंधन में कथित अनियमितताओं की जानकारी मिली। इसके बाद श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मामले की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से विशेष जांच दल (SIT) गठित करने का अनुरोध किया। प्रारंभिक जांच के आधार पर प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई और कई कर्मचारियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई।

जांच में क्या सामने आया?

पुलिस और एसआईटी की प्रारंभिक जांच के अनुसार, चढ़ावे की नकदी की गिनती करने वाले कुछ कर्मचारियों पर नकदी की कथित हेराफेरी के आरोप लगे। जांच एजेंसियों ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, जांच के दौरान नकदी बरामद होने और कुछ आरोपियों की आय की तुलना में अधिक संपत्ति होने की भी जांच की गई।

कथित तौर पर अपनाया गया तरीका

जांच एजेंसियों के अनुसार, आरोप है कि कुछ कर्मचारी नकदी की गिनती के दौरान सीसीटीवी की निगरानी में मौजूद कमियों का लाभ उठाकर थोड़ी-थोड़ी रकम अलग कर देते थे। कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि कथित रूप से नकदी को अस्थायी रूप से परिसर के भीतर छिपाया जाता था और बाद में बाहर ले जाया जाता था। ये विवरण पुलिस जांच का हिस्सा हैं और इनकी अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगी।

कुछ कर्मचारी नकदी की गिनती के दौरान सीसीटीवी की निगरानी में मौजूद कमियों का लाभ उठाकर थोड़ी-थोड़ी रकम अलग कर देते थे। कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि कथित रूप से नकदी को अस्थायी रूप से परिसर के भीतर छिपाया जाता था और बाद में बाहर ले जाया जाता था।

एसआईटी की कार्रवाई

विशेष जांच दल ने चढ़ावे की गिनती, नकदी के संग्रह, रिकॉर्ड, सुरक्षा व्यवस्था और वित्तीय प्रक्रियाओं की समीक्षा शुरूकी। बाद में ट्रस्ट के पिछले पाँच वर्षों के खातों के पुनः ऑडिट (Re-audit) का निर्णय भी लिया गया ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कहीं व्यापक वित्तीय अनियमितता तो नहीं हुई।

भारत में समय-समय पर कई प्रमुख मंदिरों में चोरी

बद्रीनाथ मंदिर-वर्ष 2026 में मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता के आरोप लगे, जिसके बाद मंदिर समिति ने जांच शुरू कराई।

सोमनाथ मंदिर-ऐतिहासिक रूप से कई बार लूट और आक्रमण का सामना कर चुका है। आधुनिक काल में भी सुरक्षा को लेकर समय-समय पर सतर्कता बढ़ाई गई है।

पुरी के प्राचीन मंदिर- वर्ष 2026 में पुरी जिले के कई मंदिरों में दानपात्र की नकदी और देवी-देवताओं के स्वर्ण एवं रजत आभूषण चोरी होने की घटनाएँ दर्ज हुईं।

जैन मंदिर-वर्ष 2025 में मंदिर के शिखर पर लगा लगभग 40 लाख रूपये मूल्य का स्वर्ण-लेपित कलश चोरी हो गया था। घटना सीसीटीवी में कैद हुई।

माता पहाड़ी मंदिर- वर्ष 2026 में मंदिर के पूर्व कर्मचारी को श्रद्धालुओं के चढ़ावे और कीमती सामान की कथित चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

काली मंदिर- वर्ष 2025 में दो काली मंदिरों से लाखों रूपये के स्वर्ण और रजत आभूषण चोरी होने की घटनाएँ सामने आईं।

इसके अलावा, देश के अनेक राज्यों विशेषकर तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और ओडिशा में प्राचीन मूर्तियों और मंदिरों के आभूषणों की चोरी के अनेक मामले दर्ज हुए हैं। कई मामलों में पुलिस ने ऐसे गिरोहों का पर्दाफ़ाश किया है जो वर्षों से मंदिरों को निशाना बना रहे थे। ध्यान देने योग्य बात यह है कि सभी मामलों की प्रकृति एक जैसी नहीं होती। कुछ में केवल दानपात्र से नकदी चोरी हुई, कुछ में आभूषण या मूर्तियाँ चोरी हुईं, जबकि कुछ मामलों में चढ़ावे के कथित गबन या वित्तीय अनियमितताओं की जांच

Assam: Uniform Civil Code and Muslim women of the 'Char' areas

Ashraful Islam & Suwa Lal Jangu

The debate over the Uniform Civil Code (UCC) has long occupied a prominent place in India's political and constitutional discourse. In Assam, this debate has now moved beyond theory and entered the realm of legislation. In its manifesto for the 2026 Assam Legislative Assembly elections, the Bharatiya Janata Party (BJP) promised to introduce a Uniform Civil Code if voted to power. The elections, held on 9 March 2026, delivered a decisive mandate to the NDA alliance, which secured 102 out of 126 seats, with the BJP alone winning 82. Following the formation of the government under Chief Minister Himanta Biswa Sarma on 12 May 2026, the promise was swiftly translated into action. On 25 May 2026, the government introduced The Uniform Civil Code Assam Bill, 2026 in the Assembly. After extensive debate, the Bill was passed on 27 May through a voice vote despite demands from opposition parties, including the Congress and Raijor Dal, for referral to a Select Committee. Assam becomes the third Indian state after Uttarakhand and Goa to adopt a common civil framework governing marriage, divorce, inheritance, succession, and related family matters. The government has projected the legislation as a historic step towards gender justice and equality. Himanta Biswa Sarma wrote on the X platform on May 15: "The Uniform Civil Code in Assam will ensure equal application of rule of law for everyone in Assam and ensure fair rights to all, especially women and children. The Janjatiya Samaj (Scheduled tribes) of Assam will not be under the purview of UCC Assam to protect their customs and traditions."

Yet, the true test of any social reform lies in its impact on those who remain on the margins of society.

Why the char areas matter

A *char* in Assam refers to a riverine island formed primarily in the Brahmaputra River and its tributaries. According to the Directorate of Char Areas Development, the Char-Chapori regions remain among the most socio-economically backward areas of Assam. Government data published in 2003 recorded more than 24 lakh people residing in nearly 2,300 Char villages. Given the substantial population growth witnessed over the past two decades, the present population is likely to have crossed four million. The Char areas constitute nearly five per cent of Assam's geographical area and accommodate approximately ten per cent of its population. A substantial proportion of this population comprises Bengali-origin Muslims whose historical roots can be traced to erstwhile East Bengal. Consequently, discussions about the Char areas are often inseparable from discussions about this community. What makes the situation particularly alarming is the condition of women.

Char women live at the intersection of multiple forms of disadvantage. They face geographic isolation, chronic poverty, inadequate public services, and deeply entrenched patriarchal norms. According to government data, nearly 68 per cent of the Char population belonged to the Below Poverty Line (BPL) category in 2003, when the state's average BPL category population was around 36 per cent (Chakraborty, 2009). Literacy levels remain distressingly low. While Assam's overall literacy rate stood at more than 63 per cent in 2001, literacy in the Char areas was estimated at around 19 per cent. Among Muslim women in these regions, the figure was estimated to be below 10 per cent (Directorate of Char Areas Development, 2003). Educational deprivation has far-reaching consequences. Girls are often married at a

young age, become mothers during adolescence, and remain economically dependent throughout their lives. Child marriage, teenage pregnancy, maternal health complications and school dropouts continue to be widespread concerns.

As Dr Hafiz Ahmed, President of Char-Chapori Sahitya Parishad, observes: "The condition of health, education, and transportation in the Char areas is extremely poor. The school dropout rate among girls is alarmingly high due to the unavailability of secondary and higher secondary schools and colleges. Many parents are reluctant to allow their daughters to go to distant places for further studies, and the religious fundamentalists who dominate Char society, often treating girls as commodities, discourage higher education for them."

This has been reflected in the lower educational growth among the Char women. Higher education among the women of this community is almost absent.

Dr Hafiz further explains: "Frequent river erosion severely impacts women's health and education. At present, around 55 percent of the Char population belong to the BPL category, leaving them in deep poverty. Since the Chars are not permanent and many areas are submerged by the river each year, economic vulnerability is a major concern, along with disrupted and challenging transportation facilities. Moreover, a large number of Char residents do not have myadi land (land patta); for instance, in Barpeta district, only around 37.5 percent of the population possess myadi land."

Significantly, the districts frequently identified for high levels of teenage pregnancy Dhubri, Barpeta and Goalpara are also districts with a large concentration of Char villages. Troubling concentration of child marriage can be seen in the Char Muslim concentrated districts of Assam as per the National Family Health Survey (NFHS-5). According to the NFHS-5 district level data, Dhubri records highest concentration of child marriage at 50.8 per cent followed by South Salmara Mancachar (44.7 per cent) and Darrang (42.8 per cent). Goalpara and Barpeta record 41.8 and 40.1 percent respectively, significantly higher than the national average of 23.3 per cent (International Institute for Population Sciences [IIPS] & ICF, 2021). It has to be mentioned that Barpeta, Dhubri, South Salmara Mankachar and Goalpara districts have the highest number of Char villages. This is hardly a coincidence and it reflects a clear pattern that structural disadvantages continue to shape the lives of Char women.

The invisible burden of polygamy

Pijush Hazarika, Assam Cabinet Minister from the ruling BJP, while participating in the debate over the UCC Bill in the Assembly on 27 May, stated: "Where is it allowed to marry up to four times without the consent of his first wife? When a Hindu, Sikh or Buddhist man can go to jail for bigamy, why should male members of one particular community be allowed to indulge in such practices?"

He further asserted that the Bill has been brought to give respect and equal rights to women.

A study conducted in selected Char areas of Goalpara, Barpeta, and Majuli during 2021-2022 revealed that, although polygamy is not as widespread as child marriage, it nonetheless remains a significant social reality among sections of the Muslim Char community (A field study conducted by Ashraful Islam for his PhD thesis titled "Women in the Margin: A Critical Study of the Char Areas of Assam" in 2021). Reliable statistics are unavailable, but its impact on women's lives is unmistakable. The study revealed that many men entering subsequent marriages neither sought the consent of their existing wives nor fulfilled the Islamic requirement of equal treatment among spouses. In practice, religious justifications were often invoked selectively to legitimize multiple marriages, while the responsibilities attached to such marriages were ignored. This reflects a broader contradiction. Islamic law permits polygamy only under strict conditions of justice and equal treatment. Yet, in many instances, these conditions remain unmet. Consequently, what is defended as a religious practice often functions as a mechanism of patriarchal privilege. The consequences for women are severe. Many women in polygamous households face emotional distress, economic insecurity and unequal access to food, healthcare, education and other household resources.

Children frequently become victims of fragmented family structures and unequal parental support. Perhaps even more significant is the psychological impact of the mere possibility of polygamy. Rohiton Nessa, a 32-year-old Anchalik Panchayat Member representing the Char areas under Balikuri Gram Panchayat in the Mandia constituency of Barpeta district, welcomed the UCC: "The UCC will certainly help bring Char women to the forefront of society. Many women in the Char areas live under the constant fear and insecurity associated with polygamous family structures. This Bill will put an end to that fear. Women will no longer have to worry that their husbands may marry another woman and bring her into the family."

This will improve their quality of life and give them greater confidence to raise their voices against torture, discrimination and other injustices. Without the fear of their husbands entering into another marriage, women will be in a stronger position to assert their rights and seek justice. Even where polygamy is not widely practised, its acceptance acts as a powerful instrument of control. Many women remain silent in the face of injustice because they fear that resistance may

result in their husbands taking another wife. The threat of polygamy thus reinforces patriarchal authority, compels conformity, and limits women's bargaining power within marriage. In this sense, polygamy functions not merely as a marital arrangement but as a social institution that perpetuates gender inequality.

There is a strong connection between child marriage and the practice of polygamy in the Char regions of Assam. Many girls are married at a very young age and begin bearing children early in life. The combined burden of repeated pregnancies, heavy household responsibilities, and inadequate nutrition often leads to premature physical ageing. As a result, many women appear significantly older by their thirties. Many husbands find their wives less attractive and want to enter into subsequent marriages, as there are no social sanctions against them.

Gender justice vs religious freedom

The Assembly debate on the UCC reflected a larger constitutional dilemma: how should a democratic society balance gender justice with religious freedom? Wazed Ali Choudhury, a Muslim legislator and Leader of the Opposition in the Assam Assembly, voiced his opposition to the Bill: "Uniform Civil Code cannot be enforced in a multi-religious and multi-cultural society like Assam. When several laws are already in place, the UCC will complicate matters. It will create conflict in society."

On the other hand, supporters of the Bill argue that the state has a constitutional obligation to protect equality, dignity and women's rights. BJP MLA Diplu Ranjan Sarmah of the New Guwahati constituency, argued that the Bill would eradicate the age-old injustices faced by the women in the state. Critics, however, contend that certain provisions interfere with personal laws protected under Article 25 of the Constitution, which guarantees freedom of religion. The most contentious provision is the prohibition of polygamy. Opponents argue that Muslim Personal Law permits polygamy under specific conditions and that the state should not interfere with religiously sanctioned practices. However, this argument raises an important constitutional question: does every aspect of personal law automatically qualify as an essential religious practice deserving constitutional protection? Comparative experiences from the Islamic world suggest otherwise. Countries such as Turkey and Tunisia have completely prohibited polygamy, while nations like Pakistan, Indonesia and Egypt regulate it through stringent legal conditions (Purwanto et al., 2021).

These countries remain overwhelmingly Islamic despite such reforms. Their experience demonstrates that legal restrictions on polygamy are not necessarily incompatible with Islamic faith. The issue, therefore, is not religion versus secularism. Rather, it is whether a practice that often disadvantages women should continue merely because it has historical or religious roots. A constitutional democracy cannot remain indifferent when social customs perpetuate inequality and discrimination.

At the same time, the prohibition of cousin marriages presents a more complex challenge. Unlike polygamy, whose consequences for women are well documented, cousin marriage involves consenting adults exercising personal choice. Critics therefore argue that banning such marriages requires stronger justification than simply invoking social reform. In this respect, Sherman Ali Ahmed, the only TMC MLA in the Assembly, said, "I have no objections to most of the provisions of the Bill; however, some sections of the Bill, like who a person can marry, violate the verses of the Holy Quran."

If the state seeks to regulate intimate personal decisions, it must provide compelling evidence that such restrictions serve a legitimate public interest. Consequently, while the argument for regulating polygamy can be defended through the language of gender justice, the case against cousin marriage remains less convincing and may require deeper public deliberation.

Can UCC alone bring Char women into the mainstream?

The strongest argument in favour of the UCC is undoubtedly its potential to advance women's rights. Provisions relating to the prohibition of polygamy, mandatory marriage registration, inheritance rights, maintenance and protection from arbitrary divorce can significantly benefit Char women. Although Islamic law guarantees daughters a third of inheritance rights, the reality on the ground is often very different. Women frequently surrender their claims under family pressure or are denied their lawful share altogether. Due to illiteracy, poverty and social dependence, few can challenge such injustices. Similarly, while many Islamic scholars argue that instant triple talaq lacks religious validity, countless women have nevertheless suffered because of its misuse.

Legal safeguards are indispensable precisely because social realities often fall short of professed religious ideals. Moreover, in many contexts, religious norms and personal laws have historically institutionalized gender-based inequalities that place women in a disadvantaged position. Therefore, strong legal protections are essential to uphold equality, protect individual rights, and ensure that principles of justice are not subordinated to discriminatory social or religious practices. Mandatory marriage registration can also become a powerful tool against child marriage. Documentation creates accountability, strengthens legal oversight and makes it more difficult to conceal underage marriages.

However, a critical and uncomfortable question persists: can legal reform alone truly transform the lives of Char women? The answer is nuanced, partially affirmative, yet fundamentally insufficient. Anjuman Ara Begum, an academic and human rights researcher from Assam, says: "Women in Char-Chaporis face structural discrimination; for example, they face discrimination at home, at the community level, and also within state institutions. So, UCC is just a minor thing. It is not an enabling provision to empower women; it is more of a regulation to control personal laws. It can control polygamy among Muslims, but polygamy among Muslims has already reduced."

She has argued for improved educational facilities for the girls near the homes, so that they don't need to spend money on transportation to reach those facilities for example, schools. She further contends that the UCC is not the solution to the persistent gender discrimination that Char women have faced for generations, demanding structural reforms to address the unique problems of these people.

Laws can prohibit discrimination, but they cannot automatically eliminate the social conditions that sustain it. The experience of child marriage illustrates this clearly. Despite the existence of the Prohibition of Child Marriage Act, 2006, the practice continued unabated across many Char regions. It must be acknowledged that following the stringent measures undertaken under the leadership of Chief Minister Himanta Biswa Sarma, including the large-scale crackdown on child marriage and the arrest of those involved, the incidence of child marriage has declined significantly across the Char areas. This demonstrates that legal provisions become effective only when accompanied by strong political will. Similarly, while the UCC may prohibit certain harmful practices, it alone cannot emancipate Char women from the deeply entrenched structures of gender injustice and patriarchal oppression that have shaped their lives for generations.

A girl cannot exercise her legal rights if she never receives an education. A woman cannot seek justice if she lacks access to courts and legal awareness. Property rights become meaningless when women remain economically dependent and socially constrained. The greatest barrier facing Char women today is not discriminatory personal laws but the absence of educational opportunities. Higher education remains a distant dream for numerous girls because colleges are located far away from their homes and families are unable or unwilling to bear the costs of accommodation and transportation. Concerns about safety, financial hardship and social honour further discourage parents from sending daughters outside their villages.

Access to higher education can unlock a wide range of opportunities and resources for Char women. The establishment of residential hostels specifically catering to girls from Char areas in major educational centres and district headquarters across Assam could be transformative. Such facilities, if turned into safe environments with subsidized food and free accommodation, could substantially reduce barriers to continued education. While the state government's *Nijut Moina* scheme provides financial assistance to female students enrolled in colleges and universities, its benefits can reach girls from remote Char areas only if they are first able to access and continue higher education.

From uniform laws to uniform opportunities

> **The Assam UCC Bill of 2026 marks a significant milestone in achieving legal uniformity and gender equality. This law addresses numerous persistent problems concerning women's rights and plays a crucial role in challenging the entrenched patriarchal customs that have subjugated Char women. Nonetheless, genuine empowerment for the disadvantaged Char women cannot be achieved through legal measures alone.**

The Assam UCC Bill of 2026 marks a significant milestone in achieving legal uniformity and gender equality. This law addresses numerous persistent problems concerning women's rights and plays a crucial role in challenging the entrenched patriarchal customs that have subjugated Char women. Nonetheless, genuine empowerment for the disadvantaged Char women cannot be achieved through legal measures alone. To move from marginalization to meaningful inclusion, it is essential to progress from the notion of "one nation, one law" to "one nation, equal opportunity". A combination of equal opportunities and fair legislation can help overcome the structural and geographical barriers that isolate Assam's riverine Char communities from the mainstream. This should include easy access to education, healthcare, economic prospects, legal protection and institutional support.

Furthermore, for the women in Assam's Char regions, true empowerment will be realized not just when the law recognizes them as equal citizens, but when society allows and enables them to live as such. The UCC may open a door. Whether Char women can walk through it will depend on the opportunities, resources and institutional support that follow.

Conclusion

A question remains unanswered: How will the UCC differ from the several existing laws that have already sought to address many of the practices it seeks to regulate? Over the past few years, the state has passed significant legislation to protect women's rights, including the Assam Prohibition of Polygamy Act, 2025, and the Prohibition of Child Marriage Act, 2026. In 2024, the Assam government abrogated the colonial-era Assam Muslim Marriages and Divorce Registration Act and Rules of 1935, implementing significant reforms including mandatory marriage registration, the prohibition of child marriage, and the dissolution of the Qazi system for marriage and divorce registration. This repeal also contributes to ending practices such as instant triple talaq among sections of the Char Muslim population. In this regard, critics of UCC like Wazed Ali Choudhury contended that the existing legal structure was adequate to solve issues like child marriage, polygamy, arbitrary divorce and marriage registration. He therefore urged the government to withdraw the Bill, arguing that it would cause social polarization. Yet the debate over the UCC extends beyond the existence of laws to the question of their implementation.

One of the most significant challenges lies in the Char areas of Assam, which are geographically isolated, flood-prone, and difficult to access. In many respects, these regions resemble what may be described as "lands without government", where the reach of state institutions, including the civil administration and law enforcement agencies, remains limited. Consequently, traditional community leaders, or *mattabars*, continue to play a decisive role in regulating social, civil and political affairs. In such a context, the effectiveness of any legal reform is not only a matter of the law being passed but of the law reaching these peripheral spaces. Notwithstanding these obstacles, the UCC possesses the capacity to enhance the rights of women vulnerable to child marriage, polygamy, and arbitrary divorce. However, its success will ultimately depend on the seriousness of administrative implementation, sustained public awareness campaigns, and the mutual trust and cooperation between Char community and administrative agencies.

जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान, भोपाल

जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान वर्ष 1998 से सतत् रूप से संचालित हो रहा है। इस संस्थान से अध्ययन कर छात्र-छात्राएं प्रिंट व इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में अच्छे पदों पर पदस्थ हैं। साथ ही साथ शासकीय पद पर आसीन होकर इस संस्थान को गौरवान्वित कर रहे हैं।

: विषय :

मास्टर ऑफ आर्ट जर्नलिज्म (2 वर्ष)

बी.एस.सी. मास कम्यूनिकेशन (3 वर्ष)

प्रवेश प्रारंभ

संपर्क सूत्र

विजया पाठक (संचालक) - 9826064596

अर्चना शर्मा - 9754199671 संतोष गुप्ता - 9755618891

कार्यालय - कार्पोरेट कार्यालय - एफ 116/17, शिवाजी नगर, भोपाल, म.प्र.

संस्थान - 28, सुरभि विहार कालोनी, कालीबाड़ी, बी.डी.ए. रोड, भेल, भोपाल, म.प्र.

राज्य ग्रामीण
आजीविका मिशन-बिहान
छत्तीसगढ़ की
लखपति
दीदियां
08 लाख
महिलाएं बनीं लखपति दीदी
10 लाख
अतिरिक्त महिलाओं को
लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य
₹05 करोड़ का बजट प्रावधान
लखपति दीदियों के व्यावसायिक अनुभव के विस्तार
हेतु लखपति दीदी भ्रमण योजना की शुरुआत
2.8 लाख स्व-सहायता समूह
और 30.85 लाख परिवार
बिहान मिशन से जुड़े
महिलाओं को प्रशिक्षण एवं
वित्तीय सहायता से बनाया जा
रहा आर्थिक रूप से सशक्त
महिला समूहों को उद्यम के लिए बेहतर
जगह उपलब्ध कराने 368 महतारी सदनों
का हो रहा निर्माण
संघर्ष से सम्मान तक,
आगे बढ़ती बिहान की दीदियां
R.O. No. 13772/25
श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़
श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री
हमसे जुड़ने के लिए
QR स्कैन करें
/ChhattisgarhCMO
/DPRChhattisgarh
www.dprcg.gov.in
सुशासन से समृद्धि की ओर

जिनके जीवन का हर पल, सेवा और राष्ट्रहित के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है,
जिनके लिए जनकल्याण ही जीवन साधना है, ऐसे **सेवा-व्रती नरेन्द्र मोदी जी** के नेतृत्व में
भारत की निरंतर प्रगति का साक्षी पूरा देश कह रहा है...

12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के

» गरीब कल्याण

- **81+ करोड़** लोगों को प्रतिमाह **मुफ्त राशन**
- **4+ करोड़ पीएम आवास, 10.5+ करोड़ उज्ज्वला गैस कनेक्शन** और **12+ करोड़ शौचालय** से जीवन हुआ आसान

» युवा शक्ति

- लगभग **2 करोड़** युवाओं को **स्किल ट्रेनिंग**
- **₹40 लाख करोड़** के **मुद्रा लोन**
- देशभर में **2.2 लाख स्टार्टअप्स**
- **10,000+ अटल टिंकरिंग लैब्स** से नवाचार को बढ़ावा

» किसान कल्याण

- **₹4.3 लाख करोड़** की पीएम किसान सम्मान निधि
- **4+ करोड़** किसानों को **₹2 लाख करोड़** का **फसल बीमा**
- **₹26+ लाख करोड़** की फसल खरीद **MSP** पर
- **8 करोड़** किसानों को **किसान क्रेडिट कार्ड**

» नारी शक्ति

- **32+ करोड़** महिलाओं के **जन-धन खाते** खुले
- सेना में महिलाओं को मिला **स्थायी कमीशन**
- **3+ करोड़ लखपति दीदी**
- **10 करोड़** ग्रामीण महिलाएं **91+ लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप** के माध्यम से सशक्त

» स्वास्थ्य

- **70+** के बुज़ुर्गों को भी **₹5 लाख** का **मुफ्त उपचार**
- **60+ करोड़** लोगों को **आयुष्मान भारत** की सुरक्षा
- देशभर में **19,000+ जन-औषधि केंद्रों** पर **90%** तक सस्ती दवाएं

» मिडिल क्लास

- **₹12.75 लाख** तक की वार्षिक आय **टैक्स फ्री**
- **UDAN** योजना के तहत **1.6+ करोड़** यात्रियों ने की किफ़ायती हवाई यात्रा
- **एमबीबीएस** सीटों की संख्या 151% बढ़कर करीब **1.3 लाख** हुई

» राष्ट्र निर्माण

- **26** शहरों में फैला **1,100+ किमी** का **मेट्रो नेटवर्क**
- देशभर में दौड़ रहीं **164 वंदे भारत ट्रेनें**
- अटल सेतु, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील ब्रिज, पंबन समुद्री पुल जैसे **बड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण**
- **एयरपोर्ट्स** की संख्या 74 से बढ़कर **164** हुई

» राष्ट्र प्रथम

- करीब **₹38,400 करोड़** का रिकॉर्ड **डिफेंस एक्सपोर्ट**
- **नक्सलमुक्त भारत** का सपना साकार, आतंकवाद पर हो रहा **कड़ा प्रहार**
- गुलामी की मानसिकता से मुक्ति - राजपथ बना **कर्तव्य पथ, शिवाजी की मुद्रा** से प्रेरित **नौसेना का नया ध्वज**

» विरासत और विकास

- अयोध्या में **भव्य राम मंदिर** का निर्माण
- काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल महालोक और केदारनाथ धाम का **कायाकल्प**

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

R.O. No. 13772/25

छत्तीसगढ़ जनसंपर्क Visit us : /ChhattisgarhCMO /DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in